राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का २२वां दिवस [संख्या १४

बुधवार, १५ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११-१२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित-प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १३४

श्री भैरोंसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : जवाब दे दूं ?

श्री अध्यक्ष : बाद में ले लेंगे, शायद कुछ सप्लीमेन्टरी पूछने हों।

प्रश्न संख्या १३५

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक-उनियारा व अलीगढ़-स० माधोपुर सड़क का निर्माण कार्य

१३६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टोंक उनियारा, अलीगढ़-सवाई माधोपुर रोड के निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ था तथा अब तक कितनी सड़क तैयार हुई है और भविष्य में उसके कब तक पूर्ण होने की आशा की जावे ?

(ख) कस्बा उनियारा के पास उस सड़क का सर्वे कहां कहां किया गया है ? क्या साइट का सर्वे हुआ है ? अगर हां, तो वह साइट कौन कौन सी है ?

(ग) क्या इस पर आने वाले कुए, आराजी आदि एक्वायर कर लिये गये हैं ?

(घ) अगर हां, तो इसमें आने वाले कुए व पीवल धरती को किस तरह से बचाया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) इस सड़क के निर्माण का कार्य २. ७. ५५ से शुरू हुआ था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सुनाई नहीं देता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : (क) इस सड़क का निर्माण का कार्य २. ७. ५४ को शुरू हुआ था। अब तक २६ मील तक की सड़क तैयार हो गई है और लगभग एक वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

(ख) सड़क का सर्वे करबे से बाहर किया गया है। जी हां, साइट का सर्वे हुआ

Page No.2

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है और निम्नलिखित है :

(१) उनियारा से टोंक

(२) उनियारा से अलीगढ़

(३) उनियारा से इन्द्रगढ़

(ग) Acquisition किया जा रहा है ।

(घ) कुए और पीवल धरती जहां तक हो सकती है बचाई जाती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सन् १९५४ से इस सड़क का काम शुरू हो गया था लेकिन यह सड़क टोंक से उनियारा तक ही आई है और ६ मील ही बनी है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने २६ मील कहा था ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : २८ मील तो सवाई माधोपुर से आई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : और तो माइलेज बताया नहीं । काम पूरा होने के लिए कहा था जो इस साल के एन्ड (अन्त) तक हो जायगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कितने मील है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन सी सड़क ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक से सवाई माधोपुर वाया उनियारा अलीगढ़ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सवाई-माधोपुर से टोंक को लगती है, कुल २५ मील है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब २५ मील आप फरमाते हैं तो २८ मील तो तैयार हो चुकी है, यह कैसे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २६ मील कहा था । सड़क कितनी लगता है यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक से उनियारा तक की सड़क का ठेका कॉन्ट्रैक्टर का हो चुका है । उसने अब तक सड़क नहीं बनाई है, मिट्टी डाल कर सन् ५४ से वह अब तक चुप बैठा है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से कॉन्ट्रैक्टर से मतलब है, यह मैं कल पता लगाकर बता सकता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कॉन्ट्रैक्टर का नाम है चिमनी ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप जानकारी दे रहे हैं । इसका पता लगाकर बता दूंगा ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जानकारी तो दे रहा हूं, लेकिन मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ५४-५५ व ५६ तीन साल हो गये हैं; अब तक उस सड़क का कार्य शुरू नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : सर्वे हो चुका है, साइट सिलेक्शन हो गया है जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिया गया है उनमें से बहुत सो ने कार्य कर दिया है । बचा हुआ है वह इस साल के आखीर तक हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका जवाब नहीं दिया है । साइट का चुनाव हुआ तो वह कस्बे से कौन सी है ?

श्री अध्यक्ष : इस साल में तो खत्म हो जायेगा कम से कम ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : Thank you

सीकर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

१३७ **श्री मदनसिंह** (दांता-रामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सीकर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध पलसाना स्टेशन पर शराब पीकर अभद्र प्रदर्शन करने के शिकायत विचाराधीन है ?

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच करवा कर अध्यक्ष महोदय का जवाब मांगा है ? यदि हां, तो क्या नतीजा रहा ।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

श्री तनसिंह : नतीजा क्या रहा इसका जवाब नहीं आया है । 'आपने जी हां' कहा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नतीजा कुछ भी नहीं रहा ।

श्री भैंरोंसिंह : क्या जांच से साबित नहीं हुआ कि उन्होंने शराब पीकर स्टेशन पर नंगे होकर प्रदर्शन किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने इन्कार किया कि ऐसा नहीं किया ।

श्री भैंरोंसिंह : इसकी जांच कराई गई थी या उनसे एक्सप्लेनेशन लिया गया था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपका सवाल यही था इसलिए जवाब लिया गया ।

श्री भैंरोंसिंह : वह चीज कवर हो जाती है कि क्या सरकार के पास शिकायत आयी और सरकार ने उसको नोटिस दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नोटिस दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया । कानून वालों का यह कहना है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती है ।

श्री श्रीभानसिंह : Is it the duty of the Government to enquire into the private life of any man ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Unless it is warranted by the provisions of law Government is not competent to hold any enquiry in a court of law.

श्री श्रीभानसिंह : Then why did the Government issue a notice to enquire into the private business, of his private life ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That was because it might have been done in the discharge of his duties.

श्री श्रीभानसिंह : Then, is the Government aware that he should have been sued for public nuisance rather than being served with a notice, for explaining his conduct.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Both ways are open to Government, to hold a departmental enquiry and to sue him in a court of law, in case it is proved that he did so while in the discharge of his official duties.

श्री श्रीभानसिंह : Did the police

prosecute the Chairman for public nuisance?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No. I have no such information with me with regard to police prosecution.

श्री मदनसिंह : आपने पूछा था तो कुछ तो पूछा होगा कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने इन्कार किया।

श्री मदनसिंह : अगर हम सिद्ध करदें कि उन्होंने ऐसा काम किया है तो सजा देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून से कार्यवाही करनी चाहिए। हमारे यहां जो कानून है उसमें सेक्शन ४९ के मुताबिक "The state Government may remove a Chairman from his office or pass such other order against him as it thinks fit on the ground of habitual failure on his part to perform his duty."

Duty की performance के वक्त करते हैं तो दफा ४९ में एक्शन ले सकते हैं, otherwise the Government under this Act cannot take any action.

श्री मदनसिंह : नंगे नाचे तो सरकार के पास कोई कानून नहीं है कि उनको रोका जाये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एन्टरटेनमेन्ट के लिए किया होगा।

श्री मदनसिंह : ऐसी चीज करने की आवश्यकता क्यों थी, नंगे नाचने की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओफिशियल ड्युटी करते समय ऐसा नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : ओफिशियल ड्युटी के वक्त प्रदर्शन किया हो, क्या जांच कराई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत आई थी।

श्री भैरोंसिंह : किसने की थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाम मुझे ख्याल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह शिकायत डाईरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज की ओर से की गई?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस अधिकारी से कराई गई या नहीं कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह याद पड़ता है कि कलेक्टर साहब को लिखा हो, ठीक ठीक पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : किसी अधिकारियों से जांच कराई गई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा ख्याल होता है कि जांच कराई गई।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या जांच से यह पता चलता है कि शराब पीकर नंगे होकर ऐसा अभद्र व्यवहार किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच से यह साबित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : जांच किस अधिकारी से कराई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ठीक ठीक यह नहीं है कि किससे जांच कराई गई, लेकिन याद पड़ता है कि जांच कराई गई।

Page No.5

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय ने जांच की रिपोर्ट अपनी आंखों से देखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने नहीं देखी।

श्री भैरोंसिंह : फिर किस जानकारी के आधार पर यह कह रहे हैं कि किसी अधिकारी ने जांच की ? मुझे शंका है कि जांच हुई ही नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट है दफ्तर की, उसके आधार पर।

श्री भैरोंसिंह : जांच से साबित न हो, आये उसके पहले मंत्री महोदय का कहना कि म्युनिसिपैलिटी के एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : जांच के विषय में उत्तर नहीं दे रहे हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके कहने के अनुसार भी मान लिया जाये तब भी कोई साबित नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : जांच किसने की, जांच का क्या नतीजा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह स्पेसिफिक इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जांच हुई या नहीं हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा तहकीक पता नहीं, लेकिन जान पड़ता है कि इन्क्वायरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, किस बात को सही मानें, एक तरफ कहा जाता है कि जांच हुई जान पड़ती है, तहकीक नहीं, किस अधिकारी को भेजा, तो पता नहीं ? कोन्ट्राडिक्टरी है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई इसमें कोन्ट्राडिक्टरी बात तो है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि इन जिला बोर्डों के अध्यक्ष इस तरह से शराब पीकर नंगा प्रदर्शन करें और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कानूनन करने की कार्यवाही नहीं है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। यदि कानूनन कोई गलती की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री मदनसिंह : यह कानून में इसलिये नहीं रखा गया कि इस तरह की चीज कोई इन्सान कर ही नहीं सकता, लेकिन यदि कहीं ऐसा कर लिया जाये तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब हम यह कहते हैं कि कानून में सरकार को पॉवर देनी चाहिये तब तो आप यह कहते हैं कि सरकार को यह पॉवर नहीं देनी चाहिये और जब पॉवर नहीं होती है तो यह कहते हैं कि सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय उनको पहले नोटिस दिया गया एक्सप्लेनेशन के लिये उस समय क्या जांच की गई थी कि उनके प्राइवेट मामले में दखल देने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय उनको नोटिस दिया गया एक्सप्लेनेशन के लिये उस समय क्या इस बात की जांच की गई थी कि

(श्री भैरोसिंह)

उनके प्राइवेट मामले में दखल देने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस वक्त यह बात नहीं मालूम थी कि प्राइवेट एफेअर था या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : In view of the fact that the Government was ignorant whether it was a private affair or a public affair and now the Government is certain that it was a private affair, is the Government prepared to apologise from the Hon'ble Chairman of the District Board?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री पी. के. चौधरी : Hon'ble Speaker, Sir, the Hon'ble Minister is chewing Pan while replying to the Question. I am bringing this to your notice.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या कहा ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहें हैं कि आप पान खा कर बोल रहे हैं।

गलबा बन्ध के कार्य प्रारम्भ की तिथि

१३८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गलबे बन्ध जो उनियारे के पास बन रहा है, उसका कार्य कब शुरू हुआ है और अब तक कितने रुपये की लागत का किस कदर काम हो चुका है ?

(ख) क्या इस समय बन्ध का कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्यों और काम कब तक शुरू होने की आशा की जावे ?

उप गृह मन्त्री (श्री भीखाभाई) : गलबे बांध का कार्य दिनांक ७ अप्रेल, ५५ से प्रारम्भ हुआ। बन्ध का काम अब तक ४५ पर्सेन्ट हो चुका है और उसमें लागत १०,३७ २८८ रु० हो चुकी है।

(ख) हां, काम करने वाले ठेकेदार की मृत्यु हो जाने से काम बन्द हो गया है। बाकी कार्य को शुरू करने के लिए टेन्डर लिये गये हैं। टेन्डर मंजूर होने पर कार्य शुरू किया जायेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : काम कब से बन्द है ?

श्री भीखाभाई : ठेकेदार दिसम्बर, ५६ में मर गया, इसलिए बन्द हो गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टेन्डर कितनी दफा कॉल किये गये, एक दफा या दो तीन, चार दफा ?

श्री भीखाभाई : टेन्डर उसके मरने के बाद २० फरवरी और २२ मार्च को कॉल किये गये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूँ कि टेन्डर पहले कॉल किये गये और मंजूर किये गये, फिर एक्सेप्ट नहीं किये गये, किस वजह से ? फिर दुबारा कॉल क्यों किये गये।

श्री भीखाभाई : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जानकारी आपको लेकर आनी चाहिये थी।

श्री भीखाभाई : जानकारी यह है कि टेन्टर कॉल किए जा चुके हैं लेकिन अभी चीफ इंजिनीयर के ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इतना अर्सा हो गया लेकिन अब तक टेन्डर नहीं पहुंचने का क्या कारण है, जब कि यह २० लाख रुपये का इतना बड़ा कार्य है ?

श्री भीखाभाई : It is a question of argument, but the work will be taken up very early.

कोटा से इटावा और मांगरोल जानेवाली सड़क का ठेका

१३६. **श्री रामनारायण** (पीपलदा) :
क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा से इटावा व मांगरोल जाने वाली रोड को बनाने के लिए कौन कौन से वर्ष में किन किन ठेकेदारों को ठेके दिये गये हैं ?

(ख) यह रोड़ कब तक बन जानी चाहिए थी तथा अब तक नहीं बनने का क्या कारण है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (नाथूराम मिर्धा) : (क) मांगरोल सड़क का कोई ठेका नहीं दिया गया है। इटावा रोड को बनाने के लिये निम्न ठेकेदारों को ठेके दिये गये :

श्री प्यारासिंह	सन् ५३
श्री रामनाथ	सन् ५४
श्री केवलप्रकाश	सन् ५४, ५५, ५६

(ख) उक्त इटावा सड़क इस योजना के अनुसार ५५-५६ के अन्त तक और बाकी सड़क ५६-६० तक बननी चाहिये।

मांगरोल सड़क बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) अब तक सड़क नहीं बनने का कारण ठेकेदारों की सुस्ती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस सुस्ती के लिए ठेकेदारों को पेनेलाइज़ किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको पेनेलाइज़ करने की कार्यवाही जारी है।

गंभीरी नदी की बाढ़ को रोकने के लिए बँध

१४०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) :
Will the Minister for Irrigation be pleased to state:—

(a) Is there any scheme to construct a Bund to prevent the water of Gambheer River from causing annual floods in Bayana and Rupbas Tehsils of Bharatpur District ?

(b) If yes, when and where will this plan be excuted.

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) :
(a) No.
(b) Does not arise.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government aware of the promise given by the Revenue Minister to check these floods ?

Page No.8

श्री भीखाभाई I do not know Sir, when the promise was given and by whom. The Hon'ble member will please give me the name and the date of assurance given by the Hon'ble Minister or anybody else.

श्री श्रीभानसिंह : Did the revenue Minister make aerial survey last year?

श्री भीखाभाई : Please repeat it.

श्री भैरोंसिंह On a point of privilege, Sir. जिस समय उप मन्त्री जी उत्तर देते हैं उस समय ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्य ही सुन सकते हैं, बाकी सदस्य सुनने से महरूम रह जाते हैं। मैं समझता हूं सदन को अधिकार है कि सबको सुनने को मिले। या तो आपकी भाषा में जो ओज होना चाहिये वह नहीं है या माइक में एडजस्ट नहीं होता है। इस विभाग के मंत्री जी उत्तर दे दें तो ज्यादा अच्छा हो, हम भी उनको सुनकर सप्लीमेंट्री प्रश्नों द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकें।

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मन्त्री) उप मंत्री जी को जवाब देने का पूरा अधिकार है। गये साल गंभीरी नदी में ज्यादा वर्षा की वजह से पानी का फैलाव ज्यादा हुआ था और फ्लड आया था। फ्लड को रोकने के लिए केवल गम्भीरी नदी के लिये ही ही विशेष योजना नहीं है बल्कि सारे राजस्थान के लिए यह बात एग्जामिन की जा रही है कि फ्लड्स रोकने के लिए क्या किया जा सकता है।
The whole question is being examined as to what steps can be taken.

श्री श्रीभानसिंह : Who is examining this scheme?

श्री रामकिशोर व्यास : एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा गया है, खासतौर से भरतपुर के लिए एग्जामिन करने के लिए।

श्री श्रीभानसिंह : Which Deparment is examining the scheme?

श्री रामकिशोर व्यास: Irrigation.

श्री श्रीभानसिंह : Does flood-control come under irrigation?

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ा सा सम्बन्ध है।

श्री श्रीभानसिंह : What specific sum has been kept this year in the budget for flood control?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पेसिफिक स्कीम की जरूरत नहीं है। इसके लिए अलग योजना बनायेंगे तब जरूरत होगी। ओर्डिनेरी तौर पर फ्लड को रोकने के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं, इस बात को जनरल तौर पर एग्जामिन किया जा रहा है।

श्री श्रीभानसिंह : Who was deputed to go and examine this scheme in Bharatpur?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी स्कीम को एग्जामिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां के लिए कोई स्कीम है ही नहीं। आम तौर पर फ्लडस को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी जाँच करने के लिये कहा गया है।

Page No.9

श्री श्रीभानसिंह : But when there is no scheme, then what is being exemined? Has the Government deputed any Executive Engineer?

श्री रामकिशोर व्यास : As soon as the matter is examined the scheme will come.

श्री श्रीभानसिंह : Who is examining the matter? Who is examining the scheme?

श्री रामकिशोर व्यास : Executive Engineer.

श्री श्रीभानसिंह : When did the Government write this Letter? May I know the date, please?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई मुद्दे की बात नहीं है। आपने सवाल गंभीरी नदी के के लिए किया है, उसके उत्तर में कहा गया है कि उसके लिये कोई योजना नहीं है। जनरल बात कही गई है कि सब जगह के फ्लड्स को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है, आपका स्पेसिफिक प्रश्न गंभीरी के लिये है उसके लिये कोई योजना नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble Dy. Minister denied that there was no scheme and the Hon'ble Minister says that the scheme is being examined. Where is the scheme? Who is examining the scheme? When it was written? All these are relevant questions.

श्री रामकिशोर व्यास : आपका स्पेसिफिक प्रश्न गंभीरी नदी के लिये है उसके लिये कोई योजना नहीं है। हालांकि मैंने एडीशनल इन्फॉरमेशन आपको दी थी कि फ्लड्स को रोकने के लिये क्या किया जा सकता है, इसके लिये विचार कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government think that it is not an economical proposition to check floods of the Gambheeri river.

श्री रामकिशोर व्यास : The matter is under examination. How can I say just now?

श्री श्रीभानसिंह : The question is that you said that there was no scheme......

श्री रामकिशोर व्यास : It becomes a part of it when the whole question is being examined. It becomes a part of it.

सप्लाई कार्यालय के एक्स-केशियर श्री मूलचन्द के विरुद्ध गबन के मामलों की जांच

१४१. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Minister for Food and Civil Supplies be pleased to state:-

(a) What is the result of the Departmental Enquiry conducted by the Committee appointed to enquire into the following two embezzlement cases against Shri Moolchand Gupta, Ex-cashier, District Supply Officer's office, Baran :

1. The case of disappearance of 30,000 bags of food grains, wroth Rs.4 lakhs from the stock

Page No.10

(श्री पी. के. चौधरी)

in the custody of the D. S. O., Baran.

2, The case of the disappearance of a cheque of Rs. 17,000 which was sent to D. S. O. 's office Baran from Chabra. Please place a copy of the Report before the House.

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : No such enquiry against this officer has been ordered so far as this Department is concerned.

श्री पी० के० चौधरी : When such a huge amount is involved why any departmental enquiry was not made in the case?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No such enquiry has been ordered, and no such enquiry is being conducted against this officer in this Department.

श्री पी० के० चौधरी : What sort of enquiry was ordered ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No such enquiry was pending.

श्री पी० के० चौधरी : My question is that when such a huge amount is involved, and when this is a question of corruption, why no enquiry was conducted ? कार्य के लिये इन्क्वायरी नहीं किया जब कि गवर्नमेंट का पैसा इन्वोल्व्ड था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई पैसा इन्वोल्व्ड नहीं था, कोई कम्पलेन्ट नहीं थी।

I have enquired from the Finance Department, उनके पास कोई केस पेन्डिग नहीं था और कोई कम्पलेन्ट नहीं थी। I have also enquired from the Collector, Kotah. All have said that no such enquiry was pending. If you want to know further details, I will again enquire and find out whether there are some charges against the officer.

श्री पी. के. चौधरी : Will the hon'ble Minister state as to whether there was any case of the loss of a cheque of Rs. 17,000/- and 30,000 bags of grain ? I want to know whether there was any such case or not ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My information is that there is no such case.

श्री पी. के. चौधरी : Is the hon'ble Minister making a categorical statement ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am telling you that in case you have got any information, like that, I am prepared to make further enqury, but so far as my information, from the Department goes no such enquairy is pending or has been ordered from the Civil Supplies Department.

श्री पी. के. चौधरी : Now my supplementary question is not about whether a departmental enquiry committee was appointed or not

Page No.11

(श्री पी. के. चौधरी)

My question is that since the minister has denid I am asking wheather there was any such case where a cheque of Rs. 17,000/-was lost (not traced) and 30,000/- bags of grain were missing also ? Whether there was any case like this?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No such case is pending in the department.

श्री अध्यक्ष : Whether there was at all a case like that ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : My information is "no" . If you point out time and date, otherwise, I have enquired and the department has said "no" . If you can tell me some more details I am prepared to ask from the department.

श्री पी. के. चौधरी : I am not supposed to give the departmental information.

श्री अध्यक्ष : He has said that he does not know any case which is pending or has been enquired into.

श्री पी. के. चौधरी : My question was whether a cheque of Rs.17,000 which was sent to D. S. O. 's Office Baran, from Ghabra was missing and 3 ,000 bags of food grains despatched from Baran are not traced ? If the hon'ble Minister denies that there was no such case I will make further enquiry. But let him have a categorical statement.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am making a categorical statement; so far as my information goes there is no such case ordered by the Civil Supplies Department.

रानीगांव (त० बाडमेर) मुल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी को शासकीय सहायता

१४२. श्री तनसिंह (बाडमेर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) रानी गांव (बाडमेर तहसील) मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन सदस्य हैं ?

(२) उक्त सोसाइटी के निर्माण के बाद अब तक उसे क्या क्या सरकारी सहायता व ऋण दिया गया ?

(३) क्या उपरोक्त ऋण में से कोई वसूली भी हुई है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) रानी गांव (बाडमेर तहसील) मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम की कोई संस्था नहीं है। अतः सदस्यों के नाम बतलाने का कोई सवाल नहीं उठता।

(२) कोई प्रश्न नहीं उठता।

(३) कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : क्या इस प्रकार की कोई सहकारी संस्था पहले थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस संस्था ने कोई जन्म नहीं लिया।

श्री तनसिंह : यदि जन्म नहीं लिया तो

(श्री तनसिंह)

क्या माननीय मंत्रीजी, यदि सहकारी मंत्री के स्वयं के वक्तव्य इस सदन की मेज पर रखूं, जांच करने के लिए तैयार हैं और यह मानेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वह गलत आधार पर दी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सदन की मेज पर क्यों रखते हैं, वह मुझे बता दीजिये, मैं देख लूंगा। वैसे मुझे यह जान पड़ा है कि ऐसी संस्था जन्मी ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : रानीगांव में कोई सोसाइटी है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो दूर के रहने वाले हैं। आपको क्या पता हो सकता है, जब इनको ही पता नहीं। वैसे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है।

ऋषदेव में बिजली की शासकीय व्यवस्था

१४३. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंडा) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) ऋषदेव में बिजली की क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि देवस्थान विभाग नये इन्जन खरीद कर लगाने के लिये ५०,०००) रु० देने को तैयार है, किन्तु बिजली विभाग नये इन्जन खरीद कर लगाने में देरी कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन अधिकारियों ने इस कार्य में लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध एक्शन लेगी ?

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) ऋषदेव पॉवर हाउस का सम्बन्ध बिजली विभाग से नहीं है। देवस्थान विभाग के आधार पर बिजली विभाग व खासतौर पर सुपरिन्टेन्डेन्ट, पॉवर हाउस, डूंगरपुर को भेज कर डूंगरपुर के एक एंजिन को वहां लगवा दिया है, जिससे बिजली सप्लाई चालू है। धूलेव भंडार का एंजिन खराब हो गया है और उसकी मरम्मत जैसलमेर पॉवर हाउस से कुछ पार्ट्स मंगवा कर बिजली विभाग द्वारा कराई जा रही है।

यह ठीक है कि देवस्थान विभाग ने रुपये देना स्वीकार किया है। एंजिन खरीदने की कार्यवाही चालू है। एस्टीमेट्स आदि बन रहे है और एंजिन लगने में समय तो लगेगा ही।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

नेशनल बॉल बियरिंग फैक्ट्री (जयपुर) के निकट पशुओं का लगने वाला हटवाड़ा

१४४. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर शहर में नेशनल बॉल बियरिंग फैक्ट्री के पास पशुओं का एक हटवाड़ा हर हफ्ते लगता है ?

(ख) यदि हां, तो इस इस हटवाड़े में आने वाले पशुओं और खरीद फरोख्त करने वाले लोगों के पानी पीने की क्या व्यवस्था है ? क्या सरकार की ओर से नल लगा रखे हैं ? यदि लगा रखे हैं, तो कहां कहां और नहीं लगा रखे हैं, तो क्यों ?

Page No.13

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

(ग) क्या यह सत्य है कि पानी पीने की व्यवस्था न होने के कारण दो प्यासे किसान अपनी प्यास बुझाने के लिए एक पास वाले बंध पर गये और बिजली के तारों से चिपक कर मर गये ?

(घ) सरकार की ओर से जनता के इस दुःख को मिटाने के हेतु क्या प्रयत्न जारी है ? वहां नल कब तक लगा दिये जायेंगे ।

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां ।

(ख) जिस जगह हटवाड़ा लगता है उसके पास ही सड़क के किनारे मनुष्यों के लिए एक नल व पशुओं के लिए एक खेल पानी पीने हेतु बनाई हुई है ।

(ग) जब पानी की व्यवस्था हटवाड़े में ही है तो प्यास बुझाने वास्ते बन्धे पर जाने का सवाल ही न था, फिर भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) नल तो पहले ही से लगा हुआ है, फिर भी पानी का प्रेशर अधिक रखने की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमी और कितने जानवर इकट्ठे होते हैं और और जो नल लगवाये हैं वे उनके लिए पर्याप्त हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन नलों में पानी कुछ कम आता है। इसलिए प्रेशर बढ़ाने के लिए पी. डब्ल्यू. डी. को लिखा जा चुका है और उम्मीद है कि जल्दी हो जावेगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सत्य नहीं है कि दो किसान पानी पीने के लिए बन्धे पर गये और क्योंकि बन्धे में बिजली के तार पड़े थे, उन किसानों को बिजली ने पकड़ लिया और वे मर गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई सूचना डिपार्टमेंट मे नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्रीजी इसकी जानकारी करके बताने का कष्ट करेंगे कि आदमी मरे या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि जानकारी प्राप्त की थी, यह विभाग की जानकारी में नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सत्य है कि कि गांव की जनता ने एक आवेदन-पत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दिया था कि जो आदमी मर चुके हैं उनके सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या माननीय मन्त्रीजी इसकी जानकारी करेंगे और जो किसान मर गये हैं उनके परिवारों को सहायता सरकार की ओर से दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि कोई किसान पानी पीने गया और उसको बिजली पकड़ ले, तो उसमें डिपार्टमेंट क्या करेगा ? यह लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कसूर नहीं है । यदि रास्ते जाते बिजली

Page No.14

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

किसी को पकड़ ले तो इसका यह मतलब नहीं कि बिजली गलत लगी है ।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : यदि बिजली के तार टूट गये हैं और बंध में गिर पड़े हैं, उस बंध में गरीब किसान पानी पीने के लिए जाते हैं और बिजली उनको पकड़ लेती है और वे दोनों मर जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है तो फिर किस पर है ? जो तार लगे टूटने आदि की हैं उनकी है ? आप सरकार पर नहीं है. तो किस पर जिम्मेदारी इस पर विचार कीजिये ।

श्री अध्यक्ष : कम से कम हमदर्दी बताइये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे अफसोस है कि ऐसा हुआ । मैं इसकी जानकारी करूंगा ।

श्रीमती चंद्रकला : यदि मेले में आने वाले पशुओं और आदमियों के लिए एक नल पर्याप्त नहीं है तो दूसरा नल लगाने की व्यवस्था मंत्री महोदय करेंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नल पर जानवर पानी नहीं पीते हैं, उससे आदमी पानी पीते हैं तथा जानवरों के लिए खेल अलग है ।

सिकराय में डाक-बंगले के भवन का निर्माण कार्य

१४५. **श्री गज्जा पटेल** मीनापट्टी, दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या सिकराय में सरकार की ओर से बनाए जाने वाले एक डाक-बंगले का भवन काफी समय से अधूरा बना पड़ा है ? यदि हां; तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार उसे पूरा बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री : (श्री नाथूराम मिर्धा) (क) सिकराय में ऐसा कोई डाक बंगले का भवन नहीं है कि जिसका निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आरम्भ किया और जो अभी तक अधूरा बना पड़ा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गज्जा पटेल : अधूरा है साहब ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पूरी जानकारी करली है, न सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ऐसा डाक-बंगला बनाना शुरू किया है, न रेवेन्यू महकमे ने किया और न इरिगेशन महकमे ने किया है । माननीय सदस्य ने कोई प्राइवेट मकान बनता देख लिया होगा, जिसको अधूरा छोड़ कर मकान मालिक चला गया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या डाक-बंगला अधुरा पड़ा है या नहीं ? जिस विभाग का भी हो, क्या कोई डाक-बंगला अधूरा पड़ा है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन महकमों की जानकारी मैंने करली है, पी. डब्ल्यू. डी. ने कहीं काम शुरू नहीं किया । किसी महकमे का डाक-बंगला नहीं बन रहा है । कोई प्राइवेट मकान बन रहा होगा, उसकी माननीय सदस्य को जानकारी रह गई होगी ।

श्री गज्जा पटेल : पड़ा हुआ है साहब अधूरा ।

(हंसी)

धौलपुर नगरपालिका की चुंगी दरों में संशोधन

१४६. **श्री बहादुरसिंह** (धौलपुर) क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर नगरपालिका की चुंगी दरों में संशोधन किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह लागू कर दी गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक सरकार लागू करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) कानूनी आपत्ति होने के कारण राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो सकी। अब शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री बहादुरसिंह : कितना समय लगेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जल्दी हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें किस प्रकार की कानूनी दिक्कत सरकार के सामने आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो ऑर्डर पास किया गया, उसके सम्बन्ध में म्युनिसिपल बोर्ड ने आपत्ति करके भेजा कि कानूनी कार्यवाही मुश्किल नहीं हुई है; इसलिए देरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह चीज कानून में संशोधन करने के लिए नगरपालिका के सामने आई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नगरपालिका के सामने नहीं आई। कोई संशोधन करते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कोई दिक्कत हुई तो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। क्यों कि कानूनी कार्यवाही तकमील नहीं हुई, इसलिए देरी हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या संशोधन करने की आज्ञा सरकार ने नगरपालिका से बिना पूछे ही जारी कर दी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनकी सम्मति से की थी।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आपने फरमाया कि नगरपालिका ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया और अब आप फरमा रहे हैं कि नगरपालिका की सम्मति से आज्ञा जारी की थी; तो क्या नगरपालिका ने रज़ामन्दी जाहिर की थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनसे पूछ लिया था तो वे रज़ामन्द थे ; व्यापारी और वे दोनों रज़ामन्द थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनकी ओर से लिखी हुई रज़ामन्दी आई थी या यों ही जुबानी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चेयरमैन द्वारा लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के गवर्नमेंट के ऑर्डर्स, रेट्स में संशोधन करने के क्या नगरपालिका को पहुँचा दिये थे, यदि हां तो कब ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो पहुँचा दिया, गजट में आउट नहीं हुआ है, संशोधन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

दरों के बारे में एतराज उठाया कि कानूनी कार्यवाही मुस्तकिल नहीं हुई इसलिये गजट में छपने में देर हुई।

श्री भैरोंसिंह : अभी तो आपने यह फरमाया कि गजट में इस डर से नहीं प्रकाशित करवाया कि हाई कोर्ट में कानूनी कार्यवाही नहीं हो जाय और अब आप यह फरमा रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि इसको गजट में इसलिये प्रकाशित नहीं करवाया था कि आपत्ति की गई थी, म्युनिसिपैलिटी ने ओब्जेक्शन भेजा था।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

चौकीदारी प्रथा की समाप्ति से आजीविका-विहीन व्यक्ति

१४७. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि चौकीदारी प्रथा समाप्त करने से कई लोग आजीविका विहीन हो गये हैं ?

(ख) यदि हां, तो उनके जीवनयापन हेतु सरकार ने क्या किया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि ऐसे चौकीदारों को बसाने की व्यवस्था की जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब तो बसाने का सवाल पैदा नहीं होता, ५४ में ही यह प्रथा हटा दी गई थी, अब तो सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : तो मतलब यह है कि सरकार इनको बसाने की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री रामकिशोर व्यास : वैसे सरकार सबको बसाने की व्यवस्था कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : चौकीदारी प्रथा हटने से चौकीदार लोग बेकार हो गये, उनके लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की या नहीं की ? हां, में या ना में जवाब दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : हां—ना में नहीं, मैं स्पष्ट उत्तर दूँगा। चौकीदारों में जो योग्य थे, नौकरी करने के लायक थे, उनको सिपाहियों में भर्ती कर लिया, उनकी संख्या ३५० के आस पास है। बाकी जो नौकरी करने के लायक नहीं थे उनको नौकरी नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को पुलिस में भर्ती किया गया था तो क्या उनके लिये आदेश दिये गये थे कि उनको एपोइन्टमेंट में प्रायोरिटी दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये अलग सूचना दें तो बता सकता हूं। हां, इतना जरूर याद है कि सिपाहियों में भर्ती हुए।

श्री भैरोंसिंह : आपने फरमाया कि सिपाहियों में भर्ती किया गया, तो क्या भर्ती करने वालों को आदेश दिये थे कि मीणों चौकीदारों को यदि वे भर्ती होने आयें तो प्रायोरिटी दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं सबको देखा गया था, जो लायक थे उनको भर्ती किया गया था।

Page No.17

श्री रामनारायण वर्मा : जो लोग भर्ती करने लायक नहीं थे, उनको क्या सरकार पेन्शन दे रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे लोग पेन्शन रूल्स के माफिक पेन्शन के एन्टाइटल्ड नहीं हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या हरिजनों में से ही ऐसे चौकीदारों की संख्या ज्यादा थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : हरिजनों में तो बहुत कम थे, मीणे आदियों में से थे।

श्री अध्यक्ष : रावराज श्री सरदारसिंह।

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत गतवर्ष केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन-राशि

१४८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के तहत राजस्थान सरकार को १६५५-५६ तक कितने रुपये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुए ?

(ख) उस रकम में से राजस्थान सरकार ने कितनी रकम जल बोर्ड द्वारा सहायता हेतु डिस्ट्रिक्ट, तहसील व ग्राम वाईज़ वितरित की ?

(ग) यह रकम किन किन की मार्फत दी गई और उनके हिसाबात आ गये या नहीं ?

(घ) जिन कामों के लिए रकम दी गई है उनकी जांच हो गई या नहीं और हो गई है तो क्या कोई गबन या दुरूपयोग पाया गया ? यदि हां, तो कहां कहां और किन किन के द्वारा और उनके निस्बत क्या कार्यवाही की गई या की जा रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) १०००००० रुपया।

(ख) डिस्ट्रिक्ट वाइज़ तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जल बोर्ड के मार्फत वितरित की गई। जी हां, अधिकतर हिसाब आ गये हैं।

(घ) सरकार ने मूल्य निर्धारण समिति बना दी है वह अपनी रिपोर्ट शीघ्र पेश करेगी। अभी तक गबन की कोई इत्तला सरकार को नहीं है।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह: आपने सूची जो दी है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज़ दी है और मेरा सवाल डिस्ट्रिक्ट वाइज़, तहसील वाइज़ और ग्राम वाइज़ वितरित की गई, उसके बारे में है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ग्राम वाइज़ लिस्ट तैयार हो रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि सरपंच चोरू, तहसील उणियारा के खिलाफ इस विषय का मुकदमा चल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे पता नहीं, आप अलग से सवाल करें तो बता सकता हूं। आपने सवाल तो सारे राजस्थान का कर लिया, आप मुझे इस बारे में पूछ लें तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

डांग (धौलपुर) क्षेत्र की सीमा का निर्धारण

१४६. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर): क्या वन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर उप जिले के डांग क्षेत्र के वन की सीमा निर्धारित की जा रही है ?

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के पशुओं के चराने की क्या कोई उपयुक्त व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) सीमा निर्धारण से पूर्व जिस प्रकार पशुओं की चराई की व्यवस्था थी वैसी ही अब भी रहेगी।

श्री बहादुरसिंह : जैसे आज तक लोग पशुओं को वहां पर चराते थे और उनसे कोई टैक्स या चराई के पैसे सरकार वसूल नहीं करती थी, तो क्या अब भी नहीं करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने चराई के बारे में जो व्यवस्था है उसके लिए कहा है तो फोरेस्ट डिमार्केशन ऑफ बाउन्डरी करते हैं तो उससे चराई के मामलों में कोई अड़चन नहीं पड़ती है। आपने चराई के बारे में पूछा है वह आगे की नीति पर निर्भर करेगा।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government contemplating to declare the areas as hilly areas ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वहां पहाड़ी एरिया डिक्लेयर करने के लिये तो मुझे मालूम नहीं, हम तो यह डिक्लेयर करेंगे कि यह जंगलात की हद है।

श्री श्रीभानसिंह : The Government is considering the policy of reducing the grazing fees. What is the principle on which the Government is contemplating-whether on the basis of hilly tracts or otherwise ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चराई का जो प्रश्न है वह बिलकुल अलग है, इसका रेतीली या पहाड़ी इलाका घोषित करने से क्या मतलब ? यह तो इसलिये किया जा रहा है कि जंगल की बाउन्डरी का डिमार्केशन कर दिया जायगा कि यहां यहां तक वन विभाग का इलाका है। किसी जगह रेट ज्यादा है, कहीं बिलकुल नहीं है, उसको किस तरह रेशनेलाइज़ कर सकते हैं, इसके लिये कमेटी बिठाई है।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government give some facilities to those areas which are declared as hilly areas ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हिल्ली एरिया डिक्लेयर कौन करता है, आपने ही बताया। हमें तो मालूम नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government aware that in the Forest rules and regulations there is such a thing and Udaipur Division areas have been declared as hilly areas and in such areas no grazing fees are charged and all facilities are given to the residents there ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्हीं सारी चीजों को देखने के लिये रेशनेलाइज़ेशन कमेटी बिठाई है। फोरेस्ट कानून के मुताबिक संभ-

Page No.19

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वत: फोरेस्ट की तीन किस्में बताई हैं, उनमें शायद हिल भी हो सकती है। यह प्रश्न इससे सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री श्रीभानसिंह : सम्बन्ध तो रखता है। During the State time these meant hilly areas and there should be no hitch now to declare these areas of Bharatpur and Dholpur as hilly areas.

श्री नाथूराम मिर्धा : यह प्रश्न तो फोरेस्ट बाउन्डरीज़ फिक्स करने के बारे में पूछा गया है और फोरेस्ट बाउन्डरीज़ फिक्स करने के बारे में यह जरूरी नहीं है कि यह हिल्ली एरिया है या रेतीला एरिया है या और तरह का एरिया है। यह तो इसलिये है कि जहां जरूरी समझते हैं कि फोरेस्ट को प्रिज़र्व करना जरूरी है वहां हद मुकर्रर करते हैं और खंबे गाड़ते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Will the Government mark out separate tracts for grazing in hilly areas?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा चराई की व्यवस्था है वैसी ही रहेगी, मवेशियों को बाद में इजाजत दे देते हैं, आज तक जो फोरेस्ट को एन्जोय करते हैं उनके राइट्स को रेकार्ड भी करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह !

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगने वाले स्थान

१५०. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्री विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन जिलों में कितने स्थानों पर बिजली लगाने की सरकारी योजना है ?

उप विद्युत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री नये हैं, लम्बी सूची की एडवान्स कॉपी हमको मिलनी चाहिये ताकि उस पर सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछे जा सकें। अगर उनकी यही मशा हो कि हमारे जो स्टार्ड क्वेश्चन्स हैं वे केवल इस बहाने अनस्टार्ड होकर एक रद्दी की टोकरी में चले जावें तो यह तो उचित नहीं होगा। आप मन्त्री महोदय को रूल्स के बारे में एक बार और आखिरी बार समझा दें ताकि हमको एडवान्स कॉपी मिल सके।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आपको इसकी कॉपी नहीं मिली है तो इसकी कॉपी आपको दे दी जायेगी और कल आप इस पर प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष : इस प्रकार की हमेशा शिकायत आती है और इस प्रकार के कई प्रश्न आते हैं। आयन्दा इसके लिए ध्यान रखना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका अफसोस है।

गत वर्ष अध्यक्ष, नगरपालिका सीकर द्वारा वृक्षों के थांवले बनाने का ठेका

१५१. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर)** :

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, नगरपालिका, सीकर ने सन् १९५६-५७ में वृक्षों के ढांवले बनाने का ठेका बिना बोर्ड की मंजूरी के १६ रुपया या १६।। रुपये प्रति ढांवले के हिसाब से ६४ ढांवलों का ठेका दिया ?

(ख) क्या यह सही है कि नगरपालिका में इन्हीं ढांवलों को १२।। रुपये प्रति ढांवला बनवाने के आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

(ग) यदि हां, तो इन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई तथा यह ठेका किस प्रकार मंजूर हुआ ?

(घ) क्या यह भी सही है कि अधिकांश ढांवले बनाने के तुरन्त बाद ही कमजोर माल लगाने के कारण टूट गये ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) पेड़ों के थांवले बनाये जाने के लिये टेन्डर्स आमंत्रित किये गये थे और सबसे नीचे टेन्डर को १६ रुपये ४ आ० फी थांवले के हिसाब से ठेका दिया गया था। यह रकम वन महोत्सव सीगे में मंजूर शुदा धन-राशि में से व्यय की गई थी। बोर्ड द्वारा स्वीकृति नहीं ली गई थी।

(ख) जी हां। १२।। रुपये का एक टेन्डर बोर्ड के एक माननीय सदस्य श्री किशनदेव द्वारा ठेका दिये जाने के बाद प्रस्तुत किया गया था।

(ग) चूंकि जिस व्यक्ति के नाम ठेका १६ रुपये ४ आ० पर स्वीकार हो चुका था और उसने कुछ सामान भी खरीद लिया था इसलिये माननीय सदस्य को अध्यक्ष द्वारा यह कहे जाने पर कि यदि वह उक्त ठेकेदार का रुपया जो खर्च हो चुका है उसे लौटावे तो उनका १२।। रुपये का टेन्डर मंजूर किया जा सकता है। परन्तु इस शर्त को माननीय सदस्य ने स्वीकार नहीं किया।

(घ) जी नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : १६।। रु० थांवले के हिसाब से थांवलों की रकम २००) से ज्यादा होती है, तो क्या २००) से ऊपर रकम के लिये सरकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : जिस तारीख को यह थांवले बनाने का ठेका दिया गया उस दिन किसी ने यह नहीं कहा कि मैं ९।। रुपये में थांवला बनाने के लिये तैयार हूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी तारीख को ठेका मंजूर हुआ और कौनसी तारीख को प्रार्थना पत्र दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : २०.६.५६ को ठेका हुआ और ३०. ६. ५६ को प्रार्थनापत्र आया। उसमें कहा गया कि वह १२।। रुपये में काम करने के लिये तैयार है। उसको यह कहा गया कि ठेकेदार का जो रुपया सामान में लग चुका है उसको वापिस दे दिया जाए तो टेन्डर उसके नाम मंजूर किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बोर्ड ने यह उस व्यक्ति को लिख कर दिया कि यदि वह १६।)

Page No.21

(श्री भैरोंसिंह)

में ठेका दिया गया है, उसको सामान खरीदने में जो खर्च हुआ है वह वापिस लौटा दे तो उसे ठेका दिया जा सकता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसकी दरख्वास्त पर लिखा होगा।

श्री भैरोंसिंह : उस व्यक्ति को इस संबन्ध की सूचना भेजी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने इन्कार किया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस व्यक्ति के नोटिस पर हस्ताक्षर कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हस्ताक्षरों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । जब टेन्डर के लिये १० रोज पहले नोटिस निकाला जाता है और समय पर टेन्डर नहीं देते तो मयाद निकल जाने के बाद कोई टेन्डर एक्सेप्ट करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि उसको सूचना देदी गई थी । यदि उसको सूचना दे दी जाती और १२॥) रुपयों वाला व्यक्ति उसको पैसा दे देता तो सरकार क्या कहती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब टेन्डर फाइनल हो गये थे तो फिर किसी को किसी प्रकार की प्रर्थना देना उचित नहीं था और न वह मंजूर की जा सकती थी । उनको चाहिये था कि समय में टेन्डर देते ।

श्री भैरोंसिंह : क्या चेयरमैन ने यह सूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे ख्याल से यह सूचना दी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : दरख्वास्त देने की बात कही गई है, वह आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह राहत देने के लिये थी और ऐसा करना नहीं चाहिये था ।

श्री भैरोंसिंह : क्या किशनदेव ने एतराज किया कि दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कम पैसों में थांवले बना सकते हैं, इसलिये आज जो ठेका मंजूर करने वाले हैं उसको दो दिन के लिये स्थगित किया जाए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब एक बार टेन्डर मांगे गये तो उनको टेन्डर देने चाहिये थे । जुबानी कहने की कोई वेल्यु नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर नोटिस क्या शाया कराया गया और किस प्रकार शाया कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस प्रकार शाया कराया, यह तो नहीं कह सकता लेकिन एक सप्ताह की अवधि दी होगी ।

श्री भैरोंसिंह : अभी पता चल जायगा, आप बताएं तो सही । यह सूचना किस प्रकार शाया की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह नियमानुसार की गई ।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिनों के बाद टेन्डर मांगे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमानुसार मांगे गये ।

श्री भैरोंसिंह : निममानुसार नहीं, बल्कि नियम के खिलाफ थे । कौन सी तारीख को नोटिस जारी किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। अलग से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जयसमन्द, उदयसागर इत्यादि तालाबों से निकलने वाली नहरों पर बेटरमेंट लेवी

१५२. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार उदयपुर ज़िले के जयसमन्द, उदयसागर वगैरह तालाबों, जिनका कि निर्माण सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ है, उनसे निकाली जाने वाली नहरों पर भी बेटरमेंट टैक्स लगायगी ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि बेटरमेंट टैक्स एक्ट को पास करते समय सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसे टैक्स पुरानी और लघु एवं मध्यम योजनाओं पर न लगाया जाकर केवल भाखरा एवं चम्बल जैसी बड़ी योजनाओं द्वारा सिंचाई होने वाली जमीनों पर ही लगाया जायगा ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई)

(क) हां

(ख) हां।

(ग) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। पुराने तालाबों व बन्धों की नई नहरें निकालने के फलस्वरूप जो जमीन सिंचित होती है उस पर बेटरमेंट लेवी लगाये जाने की व्यवस्था एक्ट में है।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह निर्णय कब हुआ ?

श्री भीखाभाई : जो एक्ट है उसकी तहत में कार्यवाही की जावेगी क्योंकि यह स्पष्ट है कि केनाल के द्वारा इर्रिगेशन किया जावेगा और जब इर्रिगेशन किया जावेगा तो जो जमीन है उसकी वेल्यू बढ़ जाती है और उसमें इजाफा आमदनी होने लगती है और वह आमदनी काश्तकार को होती है। चूंकि यह अनअर्न्ड इन्क्रीज़ बेटरमेंट से होता है इसलिए यह बेटरमेंट लेवी रखा गया है।

श्री जनार्दनराय नागर : बेटरमेंट लेवी और कोस्ट ओफ प्रोडक्शन के अनुपात में कितना अन्तर रहता है ?

श्री भीखाभाई : There is no cost of production, but there is only cost of construction. The cost of construction of canals depends also on the amount of expenditure of work, but, Sir, the cost of irrigation charges are fixed with regard to the expenditure of improvement and the advantage which accrue to the cultivator under the betterment work.

श्री सोहनलाल भटनागर : आप लेवी लेना चाहते है।

(अश्रव्य)

श्री भीखाभाई : इसके सम्बन्ध में बोर्ड बिठाया गया है। जिसमें जिलाधीश और एग्जिक्युटिव इंजीनियर, इर्रिगेशन हैं। वे इस बारे में जांच करेंगे और वैसे तो एक्ट में प्रावधान है कि जो शिडयूल्ड किया जावे भिन्न भिन्न हो .. ....

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार को मालूम है कि सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि सन् १९५२

(श्री जनार्दनराय नागर)

के पहले के जो तालाब और बांध हैं उनसे जितन नहरें निकाली जाएंगी उन पर बेटरमेंट और लेवी नहीं लें, ऐसी विधि सरकार से निश्चित की गई है और जयसमन्द और उदयसागर भी इस आदेश के अन्तर्गत आते हैं। क्या उदयसागर और जयसमन्द १९५२ के पहले के हैं या बाद के हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : ये तो पुराने बन्ध हैं और बेटरमेंट टैक्स नहीं लगा सकता मगर पुराने बंधों में जो नई केनाल्स बनाई और उनमे जो पानी दिया जाता है और ये सिंचाई होती है उस पर बेटरमेंट लेवी की बात है और ये जयसमन्द और उदयसागर भी नये रूल्स के अन्तर्गत आते हैं।

श्री जनार्दनराय : सरकार की तरफ से माननीय मन्त्री समझावेंगे कि जो सरकार के आदेश हैं कि सन् १९५२ से पहले के बांध और तालाब हैं उन पर बेटरमेंट टैक्स नहीं लिया जावेगा ; इस आदेश का क्या अर्थ है, समझाने की कृपा करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया है कि जहां जहां पुराने बांध हैं यदि उनमें से नई नहरें निकाली जावें तो वे नये इम्प्रूवमेंट के अन्तर्गत मानी जावेंगी।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने बताया कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया था; यह कागजों को देखने से पता चलता है। आपने इसके बारे में कौन से कागजात देखे हैं। सिलेक्ट कमेटी ने इसके बारे में लिखा है वे देखें हैं या प्रोसीडिंग देखी है?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी ऐसे नियम बने हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : क्या आपने टैक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट भी देखी है, जिसमें लिखा है कि माइनर इर्रिगेशन पर टैक्स नहीं लगाये जावें।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपको पहले ही कहा है कि सन् ५२ के पहले जो कैनाल्स निकाली गईं उन पर यह नहीं लिया गया है। अगर कोई तालाब ५२ से पहले बना हो और इसके बाद में उसमें से कोई केनाल निकली हो तो उस पर यह लग जायेगा।

श्री जनार्दनराय नागर : यह कोई बात नहीं है। उस तालाब के पुराने होने पर उस पर बेटरमेंट टैक्स नहीं लेना चाहिये। सरकार ने ऐसा टैक्स न लगाने का आश्वासन भी दिया था।

श्री रामकिशोर व्यास : मान लीजिये किसी तालाब से पांच हजार बीघा काश्त होती है: इस पर कोई बेटरमेंट टैक्स नहीं लिया जायगा, क्योंकि यह पुरानी चैनल से काश्त हुई है. मगर नई चैनल निकालने से पांच हजार बीघा काश्त के लिये और बढ़ जाती है तो इस पर यह बेटरमेंट-टैक्स लिया जायगा। कहने का मतलब यह है कि नये चैनल द्वारा चार्ज करते हैं और पुराने द्वारा नहीं करते हैं।

दिसम्बर ५५ में नगरपालिका सीकर में नजूल समिति का निर्वाचन

१५३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या स्वयत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि नगरपालिका

Page No.24

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सीकर में दिनांक ४-१२-५५ को नजूल कमेटी का चुनाव हुआ था ?

(ख) क्या यह भी सही है कि इस कमेटी में श्री किशनदेव व श्री हुसेनबख्श भी चुने गये थे और उनके नाम नजूल समिति की कार्यवाही में दर्ज हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जिलाधीश सीकर ने जांच करके दिनांक ५-७-५६ को यह निर्णय दिया है कि उपरोक्त सदस्य नजूल समिति के सदस्य हैं ?

(घ) यदि हां, तो इन सदस्यों को कमेटी में क्यों नहीं लिया गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। श्री हुसेनबख्स का नाम गलत दर्ज हुआ है।

(ग) जी नहीं, जिलाधीश ने इस आशय का सुझाव दिया है। जिसका उत्तर नगर-पालिका द्वारा दिया जा चुका है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या तारीख ३-१-५६ को जो मीटिंग हुई थी उसमें श्री किशनदेव का नाम लिखा गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किस चीज की मीटिंग थी ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : नजूल समिति की मीटिंग हुई थी उसमें श्री किशन देव सदस्य को ही बुलाया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको उत्तर में ही कहा है कि श्री हुसेनबख्श का नाम गलत दर्ज हो गया था।

श्री भैरोंसिंह : तो अभी आपने कहा कि श्री हुसेनबख्श का नाम गलत दर्ज कर लिया गया था, तो इसका मतलब यह हुआ कि श्री किशनदेव का नाम सही था और वह आज भी नजूल समिति के सदस्य हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बोर्ड की मीटिंग में गलत नाम आ गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि बोर्ड के १२ सदस्यों ने, जोकि सभा में उपस्थित थे, उन्होंने लिखा था कि श्री किशनदेव का चुनाव किया गया था और चेयरमैन ने जो कार्यवाही की है वह गलत है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी ऐसी है कि इन १२ सदस्यों ने इनके खिलाफ लिखा था और इसी कारण चुनाव नहीं हुए।

श्री भैरोंसिंह : अभी आपने फरमाया था कि श्री हुसेनबख्श का नाम गलत दर्ज हुआ है, तो मैं फिर आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि श्री किशनदेवजी का चुनाव हुआ था या नहीं और वह सदस्य है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये दोनों ही नाम गलत दर्ज हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कौन सी बात सही मानी जाय, जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उत्तर में कह दिया जाता है कि श्री हुसेनबख्श का नाम गलत दर्ज हुआ है और जब सप्लीमेन्टरी सवाल पूछे जाते हैं तो कह देते है कि श्री किशनदेव का नाम गलत दर्ज हुआ। तो मैं माननीय मंत्री

Page No.25

(श्री भैरोंसिंह)

से यह पूछना चाहता हूं कि श्री हुसेनबख्श का नाम गलत दर्ज हुआ था या श्री किशन देव का नाम गलत दर्ज हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों का ही नाम गलत दर्ज हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या चुनाव भी दोनों के गलत ही हुए थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो ऐसा ही समझता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश, सीकर ने गवर्नमेंट को भी लिखा था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिलाधीश सीकर ने जांच करके कहा है कि नजूल समिति के अध्यक्ष गलत प्रोसीडिंग्ज़ लेने के आदी हैं ; इसलिए दोनों का ही नाम नहीं लिखा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर का ऐसा निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं था और न उसने ऐसा निर्णय दिया ही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना आई है कि नहीं कि श्री हुसेनबख्श और श्री किशनदेव का नाम जानबूझ कर नहीं लिया गया और नजूल समिति गलत प्रोसीडिंग्ज़ लेने की आदी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको अर्ज किया है कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मैं आपको फिर बता दूं कि कलेक्टर को इस प्रकार का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और न ऐसा कोई निर्णय कलेक्टर द्वारा किया गया।

श्री भैरोंसिंह : कलेक्टर को इस प्रकार का निर्णय देने का अधिकार नहीं है तो उसने यह निर्णय अपने अधिकारों के बाहर किया होगा। मगर इस निर्णय की सूचना सरकार के पास आई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस प्रकार का निर्णय दे। अगर उसने निर्णय दिया भी है तो वह गलत है।

श्री तनसिंह : ये नाम गलत कैसे दर्ज हो गए ? देखें, हमारे नाम क्यों नहीं आ गए।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो समिति के वाइस प्रेसीडेन्ट हैं उनकी तरफ से हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस संबंध में जांच करायेगी कि कलेक्टर यह मानता है कि ये नाम गलत हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर ने नहीं कहा कि मिनिट्स में गलत नाम लिख दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या कलेक्टर के निर्णय की कॉपी माननीय मंत्रीजी सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पहले ही कहा है कि कलेक्टर को निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर उसने कोई निर्णय दिया भी हो तो उसकी कोई वकत नहीं।

Page No.26

श्री भैरोंसिंह : आप यह मानते हैं कि कलेक्टर को इस प्रकार का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और जब उसने ऐसा निर्णय दिया है तो उसने गलत काम किया है। क्या सरकार कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेन्ट गलत दिया जा रहा है, मैं इस स्टेटमेन्ट को चेलेन्ज करता हूँ। माननीय मंत्रीजी झूठ बोलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो स्टेटमेन्ट दिया है वह बिलकुल सही है। कलेक्टर ने इस प्रकार कोई निर्णय नहीं दिया है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक घन्टे का मौका दिया जाय। मैं उसकी कॉपी लाकर देता हूँ। अगर कलेक्टर ने अपना निर्णय दिया है तो माननीय मन्त्रीजी अपना त्यागपत्र दे दें, नहीं तो फिर मैं अपना त्यागपत्र दे दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जानकारी है और मैं उस जानकारी के आधार पर ही आपको कहता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको उसकी कॉपी लाकर बता दूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी आज सवेरे ही वहां से टेलीफोन पर बात हुई है ; उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या १५४, श्री भवानीशंकर।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां चैलेन्ज और काउन्टर चैलेन्ज हुए हैं और माननीय सदस्य ने मन्त्रियों के लिए कहा कि वह 'झूठ' बोलते हैं। यह 'झूठ' शब्द जी है अनपार्लियामेन्टरी है। यहां यह सब शब्द यूज़ में आ जावें, चेलेन्ज भी हो जाय और इस्तीफा वगैरह तक देने की बात आ जाय, यह कहां तक ठीक है ?

प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य एवं उससे प्राप्त विद्युत शक्ति

१५४. **श्री भवानीशंकर नन्दवाना**(कपासिन): क्या सिंचाई मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रतापसागर बांध का कार्य कब से प्रारम्भ हो रहा है और उससे जो बिजली उपलब्ध होगी वह कहां कहां सप्लाई की जायगी और उसका रूप क्या होगा ?

(२) जावर माइन्स तक बिजली देने की जो योजना है उसको लाइन कहां कहां हो कर जायगी ?

गृह एवं सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) राणा प्रताप सागर बांध के कार्य आरम्भ होने की निश्चित तारीख नहीं दी जा सकती है। कारण, इस योजना की रिपोर्ट मय एस्टीमेट के भारत सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के पॉवर हाउस बनने के पश्चात् राजस्थान को बिजली दी जा सकेगी।

(२) १३२ के० वी० लाइन का रूट संभवतः नीमच, मंगलवाड़, उदयपुर, जावर माइन्स आदि होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि इजाजत हो जाय तो वह कलेक्टर का निर्णय

(श्री भैरोंसिंह)

मुझे मिल गया है और उसे पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ये जो लाइनें आएंगी वे कितनी मीलों में बिजली देंगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना मैं आपको अभी नहीं दे सकता। लेकिन जानकारी करके बता दूंगा।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि यह जो लाइन की रूट बताई गई वह सम्भवत: है या सुनिश्चित है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तक तो 'सम्भवत:' ही है। जब तक कि यह प्लानिंग कमीशन से फाइनली अप्रूव नहीं हो जाय तब तक तो 'सम्भवत:' ही है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह 'सम्भवत:' कब तक 'सम्भवत:' रहेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : भारत सरकार को प्रपोज़ल्स भेजे हैं, इसलिए इस समय तो यह 'सम्भवत:' ही है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, क्या हम यह मान लें कि अभी माइन्स तक बिजली देने का मामला यहीं चल रहा है, और कोई चीज फाइनल नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक कोई चीज फाइनल नहीं हो जाती और उस पर फाइनल डिसीज़न नहीं हो जाता तब तक फाइनल कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री जनार्दनराय नागर : कब तक यह यह निश्चय सुनिश्चित करने का इरादा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भारत सरकार को इसके एस्टीमेट्स भेज दिये हैं और यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जनार्दनराय नागर : कितने अर्से से यह मामला विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही महत्व का मामला है। यह जावर माइन्स के विकास का सवाल है, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह भारत सरकार के अधीन कितने अर्से से विचाराधीन है और वह कब तक पूरा होगा और हमारी सरकार इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने में क्या कार्यवाही कर रही है ? यह हम जानना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं सदस्य महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि जितने आप इस मामले में इच्छुक हैं हम सब भी इच्छुक हैं कि राणा प्रतापसागर के बांध की योजना जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो, जल्दी से जल्दी उसकी बिजली प्रयोग में लाई जाये और इसी की पूरी कोशिश की जा रही है। मैं इस समय एग्ज़ेक्ट तारीख नहीं बता सकता कि इसके बारे में भारत सरकार को कब कागज भेजे गए ? आप ऑफिस में पधारें, मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह बता दूंगा। सारे प्लान को बनाने में और इसके एस्टीमेट्स आदि बनाने में काफी समय लगता है और मैं समझता हूं कि जावर माइन्स का जहां तक सवाल है वह जल्दी ही पूरा होगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या यह कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में पूरा भी होगा या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : अवश्य होगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे यह कहा जा रहा है कि यह कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना के काल तक भी जा सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी कल्पना में शायद यह सही हो। मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय मन्त्री महोदय, जो जावर माइन्स के विकास का सवाल है क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में आरम्भ हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में चालू हो जायगा।

मनोहरथाना जि० झालावाड के रेन्जर के विरुद्ध दर्ख्वास्तें

१५५. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या वन मन्त्री नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) क्या मनोहरथाना जि० झालावाड के रेंजर के विरुद्ध वहां की जनता ने सरकार को काफी दरख्वास्तें दी हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(क) जी हां।

(ख) वन विभाग द्वारा जांच की गई थी परन्तु वह नियमानुसार नहीं हुई, अतः नियमानुसार पुनः कन्जर्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स द्वारा जांच कराई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : नियमानुसार किसके द्वारा जांच होनी चाहिये थी और वह क्यों नहीं कराई गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच तो नियमानुसार ही हुई थी। यों तो वह जांच ठीक थी, किन्तु कानून के मुताबिक नोटिस देना, उसकी तामील कराना, यह नहीं हुआ था, इसलिए दुबारा जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस अधिकारी ने जांच ठीक प्रकार से नहीं की उसके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन अधिकारी ने जांच की उनको कानून की जरा कम जानकारी थी, इसलिये दुबारा जांच के लिये आदेश दे दिये गये हैं। एक्शन लेने की बात कोई दिखती नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यही है कि घी का पीपा देने के बाद वह जांच रोक दी गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सुनाई नहीं दिया।

श्री भैरूसिंह : क्या यह सही है कि वह जांच इसलिये रोक दी गई थी कि वह घी के पीपे से चिकनी हो गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चिकनी नहीं हुई, ठीक और सीधी चल रही है। उसकी दुबारा जांच के लिये १-१२-५६ को हुक्म दे दिया गया है, जल्दी ही जांच हो जायगी।

श्री भैरोंसिंह : आपके जिन अधिकारी को जांच के लिये आदेश दिये क्या उनके बारे में आपने जांच कर ली है कि इनको कानूनी इल्म है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जंगलात के सबसे बड़े अधिकारी जो चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्टस् हैं, वे मेरे ख्याल से कानून की ठीक प्रकार से जानकारी रखते हैं और वे सबसे सीनियर ऑफिसर हैं। उम्मीद है, वे ठीक प्रकार से जांच कर पायेंगे।

बाड़मेर के जनाना अस्पताल के निर्माण में व्यय होने वाली धनराशि

१५६. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर के जनाना अस्पताल के निर्माण में सरकार ने कितना रुपया दिया ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त अस्पताल में वर्तमान स्टाफ पर्याप्त नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि वहां कोई डाक्टर अधिक दिनों तक नहीं ठहरता ?

उपस्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) :

(१) कुछ नहीं।

(२) जनाना अस्पताल नहीं है इस लिए यह प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : क्या इसका मतलब समझा जाय कि वहां जनाना अस्पताल है ही नहीं ?

श्री भीखाभाई : बिल्कुल नहीं।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो अब आपकी शरण में हूं। मैं वहां का निवासी हूं और मैं जानता हूं कि वहां जनाना अस्पताल है। माननीय उप-मन्त्री कहते हैं, नहीं है यह अजीब बात कैसे ? क्या उस अस्पताल को गिरवा दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपको इसका अनुभव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या वहां जनाना अस्पताल है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां एक डिस्पेन्सरी है जिसमें एक विंग में ६ वार्ड जनाना अस्पताल के नाम से हैं। माननीय सदस्य को शायद जनाना अस्पताल अलग होने का अनुभव हो सकता है, मेरी जानकारी में तो नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जनाना और मर्दाना अस्पताल के लिए अलग अलग बजटेड स्ट्रेन्थ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जनाना वार्ड्स अलग हैं किन्तु बजटेड स्ट्रेंग्थ अलग नहीं है।

श्री तनसिंह : It is known as male or female hospital?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Male hospital

श्री भैरोंसिंह : वहां जो जनाना वार्ड है, उसके लिये अलग स्टाफ मुकर्रर किया हुआ है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अलग वार्ड्स हैं स्टाफ नहीं।

श्री तनसिंह : तो क्या इसका यह मतलब समझा जाए कि जो मर्दाना होस्पिटल है उसी के कर्मचारी जनाना वार्ड्स में काम करते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि मर्दाना अस्पताल के डॉक्टर जनाना मरीजों का इलाज करते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जरूरी नहीं। स्टाफ अलग है। जनानी बीमारियों के लिए मिडवाइफ्ज़ लेडी डॉक्टर्स होती हैं।

श्री तनसिंह : तो मैं यह जानता हूँ कि उस अस्पताल में लेडी डाक्टर और नर्स का प्रबन्ध है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आप पहले ही पूछ लेते तो बता देता, वहां कोई लेडी डाक्टर पोस्टेड नहीं है।

श्री तनसिंह : नर्स भी पोस्टेड है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नर्स की पोस्ट तो है।

श्री तनसिंह : वहां जो नर्स काम करती हैं वह ट्रेन्ड है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे पता नहीं।

श्री भैरोंसिंह : वह नर्स मेल है या फीमेल ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां कोई नर्स जाना ही नहीं चाहती, यदि माननीय सदस्य की जानकारी मे कोई नर्स हो तो वे मुझे बता दें, मैं उसको वहां भेज सकता हूँ।

एक माननीय सदस्य : दाढ़ी वाले आदमी ज्यादा रहते हैं इसलिए कोई नर्स जाना पसन्द नहीं करती।

"भगवान बुद्ध" पुस्तक से जैन समाज में अत्यधिक क्षोभ

१३४ **श्री भैरूसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या विधि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित "भगवान बुद्ध" पुस्तक के कुछ अंशों के बारे में जैन समाज में अत्यधिक क्षोभ छाया हुआ है ?

(ख) क्या यह भी सत्य है कि गत महावीर जयन्ती के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में इस पुस्तक के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें राजस्थान सरकार ने मांग की गई है कि उक्त पुस्तक को जब्त किया जाय ?

(ग) क्या यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित हुआ और इस सभा की अध्यक्षता मंत्री मंडल के एक सदस्य कर रहे थे ?

गृह तथा विधि मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) गोड़वाड प्रान्त के जैन समाज की ओर से इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है।

(क) ऐसे प्रस्ताव की कोई प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई।

(ग) प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त न होने के कारण इस सम्बन्ध में उत्तर देने से मजबूरी है।

श्री भैरूसिंह : क्या सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि "भगवान बुद्ध" नामक पुस्तक में भगवान महावीर के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे गये हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : 'क' भाग के जवाब में मैंने यह कहा था कि ऐसा लिखा हुआ है।

श्री भैरूसिंह : इसकी जांच की गई है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में हमने लिखा है कौन कौन से पोर्शन ओब्जेक्श-

(श्री रामकिशोर व्यास)

नेबल हैं, वह और ओरीजिनल बुक भी भेजी जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस प्रकार का प्रस्ताव राजस्थान के वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में भगवान महावीर जयन्ती के उपलक्ष में जो सभा हुई थी, उसमें सर्व सम्मति से पारित किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी कॉपी गवर्नमेन्ट के पास तो आई नहीं, इसलिये मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव पास हुआ था उसकी जानकारी सरकार को मिली या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कोई जरूरी नहीं कि मन्त्री-मन्डल के किसी सदस्य की अध्यक्षता में कोई मिटिंग हो और प्रस्ताव पारित हो, उसकी कॉपी सरकार को मिले।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है उस सभा का उदघाटन माननीय मुख्य मन्त्री ने किया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : सही है।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जिस सभा का उदघाटन करें और उनकी मौजूदगी में जो प्रस्ताव पास हो, क्या उस प्रस्ताव की प्रति आना जरूरी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : माननीय सदस्य को यह पता है की मुख्य मन्त्रीजी उद्घाटन करके वापिस चले आये थे, उनकी मौजूदगी में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि भारत सरकार ने साहित्य एकेडेमी दिल्ली को इस बारे में लिखा है और वह उस पर विचार कर रही है।

जनवरी ५७ से जयपुर में चेचक से ग्रस्त व्यक्ति

१३५ **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर): क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी, १९५७ से जयपुर शहर में चेचक से कितने व्यक्ति बड़े एवं छोटे शिकार हुए ?

(ख) इस रोग की रोक-थाम के लिए सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य एवं स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : १. जयपुर शहर में जनवरी १९५७ से २० अप्रेल १९५७ तक कुल १२७ व्यक्ति चेचक के बीमार हुये, उनमें से १८ की मृत्यु हुई।

मृत्यु की संख्या में १६ व्यक्ति १ से १५ वर्ष की आयु के हैं और २ व्यक्ति उससे ऊपर के हैं।

२. इस रोग की रोक-थाम के लिये शफाखाना में व प्रसूति व शिशु कल्याण केन्द्रों में टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। रोग की सूचना मिलने पर नगरपालिका के डॉक्टर व वैक्सीनेटर उस हल्के में रोग को फैलने से रोकने के लिये टीके लगाते हैं तथा अन्य आवश्यक कार्य-वाही करते हैं। स्कूलों में बच्चों के टीके लगाने की व्यवस्था की गई है।

नगरपालिका द्वारा इस बीमारी से बचने के उपाय लाउड स्पीकर द्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

Page No.32

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसके जरिये अनिवार्य रूप से टीके लगाने तथा रोगी को आइसोलेशन अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है।

श्री मदनसिंह : इस टीके द्वारा यदि बीमारी दूर नहीं होती है तो क्या इसके लिये कोई दूसरा उपाय निकाल रखा है ?

एक माननीय सदस्य : कम्पलसरी वेक्सीनेशन एक्ट पास कर दिया है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या चेचक की रोकथाम करने का और भी कोई उपाय निकाला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह उपाय ही काफी कारण हुआ है। यही कारण है कि मई मास में इससे कोई डेथ नहीं हुई ?

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जयपुर की किन किन चौकड़ियों में इस रोग का प्रकोप रहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चौकड़ियों के तो नाम मेरे पास नहीं हैं, किन्तु आठ चौकड़ियों में टीके लगाने का काम हुआ है।

श्री हरिशंकर : जहां आपने १२७ व्यक्तियों की मृत्यु संख्या बतायी है तो उनमें किन किन चौकड़ियों के नाम हैं ?

श्री गुप्ता : मैंने मृत्यु संख्या १२७ नहीं बतायी, बल्कि कुल बीमार १२७ हुए, मृत्यु सिर्फ १८ की हुई।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह आपका जवाब गलत है, मैं अपने मोहल्ले के लिये, तोपखाना देश, के लिये कह सकता हूं, जहां की आबादी करीब ३६ हजार हैं, उसमें प्रतिदिन दो बच्चों की मृत्यु होती है। जो संख्या माननीय मन्त्री ने बतायी है वह टोटली गलत है, मैं उसको चेलेन्ज करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसकी मैं जांच करूंगा। मैंने जो आंकड़े बताये हैं वे, जन्म-मरण का जो रजिस्टर, होता है उसके आधार पर बताये हैं। माननीय सदस्य ने जिस पार्टिकुलर चौकड़ी के लिये फरमाया, मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी जानकारी करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया न कि अगर आप कहते हैं तो जानकारी फिर करूंगा। मैंने जो इन्फोर्मेशन आपको दी है वह रजिस्टर के आधार पर है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : तो इससे क्या यह माना जाय कि दरवाजे पर रिपोर्ट लिखने वाले गलत लिख लेते हैं और सरकार को भी गलत सूचना दे देते हैं ? शहर में चेचक बहुत ज्यादा तादाद में फैली हुई है, यह सब लोग जानते हैं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

सदन की मेज पर रखे गये स्थगित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : कुछ पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स हैं, पर समय नहीं होने से उनके उत्तर सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, वह भी है क्या अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : कौन सा ?

Page No.33

श्री भैरोंसिंह : सीकर के आर्म्स के लाइसेन्स के सम्बन्ध में, इसे नेक्स्ट टर्न के लिये रक्खा था।

श्री अध्यक्ष : जो कोई भी पोस्टपोन्ड क्वेश्चन्स हैं उनके उत्तर सदन की मेज पर रख दिये जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या १५३ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर, अभी उत्तर के समय माननीय स्वायत शासन मन्त्रीजी ने जो जानकारी दी थी वह गलत दी थी, वह गलत दी। इसके स्पष्टीकरण के लिये मैं कलेक्टर महोदय का निर्णय पढ़ कर सुनाता हूं। अध्यक्ष महोदय, वह निर्णय इस प्रकार है:

" The Chairman......... "

श्री अध्यक्ष : यह किसमें से पढ़ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कॉपी है।

श्री अध्यक्ष : ट्रू कॉपी है ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, मेरे पास ट्रू कॉपी है।

"No. 12111/G & D.

Dated, December 5/7/1956.

The Chairman,
Municipal Board,
Sikar.

Representations were made to me by Shri Kishan Deo and Shri Hussain Bux, members of the Municipal Board, Sikar that they were duly elected members of the Nazool Committee of the Municipal Board, but that they are not being treated as such.

I have gone through relevant record and I find that their contention is correct. Please let me know what you have to say in the matter. Unless you have any objection I would suggest that they may be treated as members of the Nazool Committee.

Sd/. H. S. Mehta.
Collector, Sikar."

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैंने अपने जवाब में भी तो खुदने यही कहा था कि ऐसा सजेशन भेजा है।

श्री भैरोंसिंह : यह सजेशन नहीं है न। उसने लिखा है कि 'I would suggest.........'

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Suggestion is there. मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को। "I Suggest that they should be treated as such." There is no order. अंग्रेजी भाषा में यह लिखा है और कोई फर्क नहीं है इसमें और जो मैंने कहा है उसमें।

(हंसी)

१२-२२. म० प०

(पूर्व क्रम से)

माँग संख्या ६—सामान्य प्रशासन

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ६ पर कुछ कटौती के प्रस्ताव आये थे जिन पर कल सदन में वाद-विवाद हुआ। अगर कोई माननीय सदस्य, जिन्होंने कटौती प्रस्तुत किये थे उस वाद-विवाद का जवाब देना चाहें तो वे संक्षेप में ऐसा कर सकते हैं।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चार कटौती के प्रस्ताव

(श्री तनसिंह)

ये और उन चारों के उत्तर में पहले कटौती के प्रस्ताव के विषय में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बताया कि जुडीशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को अलग न करने का कारण यह कि अभी हमारे (उनके) पास में इतना रुपया नहीं है कि जिसके कारण हम [वे] यह व्यवस्था काम में ला सकें। पर अध्यक्ष महोदय, मैंने यह निवेदन किया था कि यदि इस प्रकार की वृद्धि हो वे अपनाते रहे तो यह तो कभी कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकेगा। न उनके पास कभी रुपया होगा बचत में और न यह काम ही हो सकेगा, पर क्या एक सड़क के बनाने में कई वर्ष नहीं लगते और उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसी तरह से अगर रुपये की कमी है तो इसे धीरे धीरे करके अलग किया जाय, एक साथ न सही। पर यदि यह मंशा रही कि हमें एक साथ ही इन्हें अलग अलग करना है और रुपया होगा तब करेंगे, तो क्या हम उस दिन की प्रतिक्षा करें कि जब कि राजस्थान के पास करोड़ों रुपयों के बचत का बजट होगा ? आज तक यहां कि स्थिति तो यह रही है कि हर साल घाटे का बजट आता जा रहा है और आगे भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि बचत का बजट कोई निकट भविष्य में यहां आवे। तो जो महत्व पूर्ण काम है, जिसमें हमारे स्वत्वों का सवाल है, अधिकारों की रक्षा का, हकों की हिफाजत का सवाल है, जो निर्णय होते हैं और जिनमें हमारे हकों का प्रश्न पैदा होता है, उस महत्व-पूर्ण कार्य के लिये रुपया खर्च नहीं किया जा सकता जब कि दूसरे कई अनावश्यक कामों में, इससे कम महत्वपूर्ण कामों में, अन्ट-शन्ट और अनाप-शनाप पैसा खर्च किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि यह जो जवाब दिया गया है यह वास्तव में इस बात को स्पष्ट करने के लिये या इस बात के प्रति विश्वास करने के लिये नहीं है कि मन्त्री मण्डल की यह इच्छा है कि कार्य और न्यायपालिका को पृथक करने की नीति को अपनाया जावे। तो इस सम्बन्ध में तो अपने प्रस्ताव को रखना ही चाहता हूँ सदन के निर्णय के लिये।

दूसरा मेरा कट मोशन है हिन्दी शिक्षण के सम्बन्ध में। इसका सन्तोषजनक जवाब हालांकि नहीं मिला, पर यह ऐसा मसला है कि जिस पर हम हर कदम कदम पर बार बार कहेंगे, इसलिये मुझे यह आशा और विश्वास है कि बार बार कहने से इसे कुछ प्रोत्साहन तो मिलेगा ही और इस सदन में भी जब बिल पेश किये जावेंगे तो वे भी हिन्दी में ही होंगे। इस वक्त इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन से अनुमति चाहूँगा।

तीसरा है मन्त्रीयों की तनख्वाओं में कमी करने के लिये। इस विषय में जो भी दलीलें माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की ओर से दी गई वे भावनाओं पर आधारित थीं। उल्टा आरोप जैसे पहले लगाया जाता था वैसे आज हम पर लगाया जाता है कि हम लोग यह तो प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये, केवल भाषण द्वारा, राजनैतिक रूप इसे देने के लिये करते है। मैं नहीं समझ सका कि इसमें ऐसा क्या राजनैतिक स्वरूप है ? अगर इसे आप मन्जूर कर लें तो यह एक अच्छा उदाहरण त्याग का पेश हो सकता है, पर उन्होंने दलीलें दीं कि हमें ज्यादा से ज्यादा ६० गैलन पैट्रोल मिलता है, तीस-तीस रुपया बिजली-पानी पर खर्च करते हैं। ये सब दलीलें दीं, पर इस बात पर दलील नहीं दी कि एक हजार

(श्री तनसिंह)

का वेतन उनको किस प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये चाहिये ? इसलिये इस एक हजार मासिक की तनख्वाह लेने के पीछे क्या वास्तविकता है और जस्टिफिकेशन है, इस बात पर प्रकाश नहीं डाला गया। हमारे जीवन की जो दैनिक आवश्यकताएं हैं उनमें ६० गैलन पैट्रोल से वे सन्तुष्ट हैं, ३० रुपया बिजली पानी से सन्तुष्ट हैं, टी. ए., डी. ए. से सन्तुष्ट हैं। पर प्रश्न यह है कि वेतन में कमी की जाय। सब दुनिया भर की आवश्यकताएं जब आपकी पूरी हो जाती है तो फिर केवल वेतन के लिये एक हजार लेना और उत्तर में कोई महत्वपूर्ण दलील न होना, यह तो त्याग का केवल बहाना किया जाता है, दिखावा किया जाता है। वास्तव में त्याग करने की मन्त्रीजी की इच्छा नहीं है।

इस स्थिति में मैं इस कटौती के प्रस्ताव को सदन की राय जानने के लिये प्रस्तुत करूंगा।

चौथा प्रस्ताव चुनावों में नाजायज दबाव लोगों पर डालने के सम्बन्ध में है। वैसे माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जवाब यह दिया कि डाकू तो वहां पेश हुआ बाद में। पहले ही प्रभाव कैसे पड़ा ? और कुछ वित्तमन्त्रीजी के उस विषय को भी उन्होंने टच किया, पर यह कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं है कि जिससे हम यह विश्वास कर लें कि चुनावों में कोई नाजायज दबाव नहीं डाला गया। मैं स्पष्ट तौर से यह कह सकता हूं कि बहुत कुछ नाजायज दबाव डाला गया है और बहुत कुछ नाजायज दबाव से हुआ है। आपने यह जो कहा कि आपने सेवा की है और आज भी आप ही सेवा कर रहे हैं ; हम मानते हैं कि आपने सेवा की है और कर रहे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम यहां भाड़ झोंकने के लिये आते हैं। हम भी यहां जनता की सेवा करने के लिये ही आते हैं। हम आज यहां कोई बैक डोर से नहीं आये हैं। हम भी जैसे आप लोग जनता द्वारा चुन कर आये हैं, वैसे ही जनता द्वारा चुने जाकर यहां आये हैं हमें भी जनता ने वोट देकर यहां भेजा है। हम यह आपको और विश्वासपूर्वक बताते हैं कि हम अगर यहां नहीं होते तो आप इस तरह से यहां चलते नहीं। हम ही हैं जो आपको सीधे रास्ते पर चला रहे हैं। इसलिये हमारी उपस्थिति को तो आप को प्रोत्साहित करना चाहिये। आपके इस तरह से कहने से यह नहीं हो सकता कि कटौती प्रस्ताव द्वारा जो मत व्यक्त किया जा रहा है उसमें कोई परिवर्तन हो जावेगा। यह सही है कि चुनावों के सम्बन्ध में आप द्वारा नाजायज दबाव डाला गया है। स्पष्ट रूप से सभी लोगों को यह विदित है। बहुत ही थोड़ी बातें ऐसी हो सकती हैं जो अतिरंजित भी बताई गई हों। कल जिस बलवन्तसिंह के लिये कहा जाता था कि वह जनता की सम्पत्ति और जवन पर डाका डालकर एक विदेशी सत्ता के यहां जाकर शेल्टर लेकर बैठ गया है, उसी व्यक्ति को, आज हमारे सिर पर बिठाया जा रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके पीछे सिर्फ एक ही भावना थी कि किसी प्रकार उसके असर और प्रभाव का उपयोग चुनावों के दौरान में कर लिया जावे। चुनावों के दौरान में वह आया नहीं, यह बात तो मेरे ख्याल से दबाई गई है। २७ तारीख को भुवातरा ग्राम में वह गया था। पर यदि वह बाहिर भी रहा तो क्या उसके असर से कुछ काम नहीं हो सकता था ? मैं नहीं समझता कि नेहरूजी राजस्थान में

(श्री तनसिंह)

कब किस जगह आये। पर उनके नाम से वोट लिये गये।

(हंसी)

वे दिल्ली में बैठे थे पर उनका प्रभाव यहां था। इसी तरह हो सकता है बलवन्तसिंह यहां नहीं हो, चार-छः फुट नीचे, ऊपर या दूर हो सकता है। तो ऐसी बात जो कहनी है वह बच्चों को समझाने की बात हो सकती है, हमारे दिमाग में ऐसी बातें बैठने की नहीं हैं। व्यक्ति का प्रभाव उसके अस्तित्व से रहता है। जब इस प्रकार की राय आपस में हो सकती है कि तुम चुनाव में हमारी मदद करोगे तो तुम घर जावोगे तो हम भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं डालेंगे और आर० ए० सी का बैण्ड तुम्हारा स्वागत करेगा। फिर वैसी अवस्था में वह दौड़भाग कर कांग्रेस की या सरकार की या सत्तारूढ़ दल की गुड बुक्स में आने के लिए क्यों नहीं कोशिश करेगा कि उसके उम्मीदवारों को जितावे ? यह जो चुनावों में नाजायज दबाव के सम्बन्ध में मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा उस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय का जो जवाब है वह नितान्त असंतोष जनक है।

दूसरा मेरा जो कट मोशन है वह है हिन्दी शिक्षण की कक्षा की नीति के अनुमोदन के सम्बन्ध में। मैं इस प्रस्ताव को सदन से वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रार्थी हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ने कटौती का प्रस्ताव रखा है हिन्दी शिक्षण की कक्षा की नीति के अनुमोदन के संबन्ध में, सूची नं० १, सीरियल नं० २ ; प्रश्न यह है कि क्या उन्हें यह कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

इजाजत दी जाती है।

श्री **तनसिंह** : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह का एक कटौती का प्रस्ताव है जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को सेपरेट करने के बारे में।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, दूसरे कट मोशन्स पर जवाब अभी बाकी है। कल एक माननीय सदस्य ने ७ नम्बर का कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाही थी, किन्तु वह वापिस नहीं लिया गया है। तो क्या एक एक करके लिया जायगा या सब ही कट मोशन्स पर जवाब हो जाय और फिर जो लेना चाहें वे लें ?

श्री **अध्यक्ष** : जो कट मोशन्स को प्रस्तुत करते हैं, उनका जवाब जब हो जाता है तो वे उसे वापिस लें या न लें, ऐसा होता है।

श्री **तनसिंह** : सभी ने तो जवाब दिया नहीं ?

श्री **अध्यक्ष** : आपने तो दे दिया। आपके कम से कम चार प्रस्ताव हैं ; उन पर विचार कर लें, या पुनः विद्ड्रॉ करने का मौका लेना चाहें तो विचार कर लें।

श्री तनसिंह : बोलने के लिए मौका दे दें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेरा कट मोशन रिक्रूटमेंट की पोलिसी के सिलसिले में था और उस सिलसिले में खास कर इस बात पर जोर दिया था कि गवर्नमेंट की पोलिसी निश्चित नहीं है और पी० एस० सी को भी बाई पास करने का वे लोग करते हैं।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरा, मैंने दो-तीन सुझाव रखे थे। मैं चाहूंगा हूँ कि ये दो-तीन सुझाव थे कि जो टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट गवर्नमेंट करती है, बाद में जाकर एक्सटेन्शन दे देती है और बाद में जाकर उसको पब्लिक सर्विस कमीशन से रेगुलराइज़ करा देते हैं उसको रोकने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन से कोशिश की जायगी।

दूसरा, यह रखा है कि हर साल वेस्टेज होता है हर एक केडर में। इसके लिए यह करना चाहिये कि अगले साल किस केडर में वेस्टेज होगा उसका अन्दाज लगा कर, उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन को इतला दी जाय और इस प्रकार वेस्टेज को रोकने के लिये अगले वर्ष के लिए वह निश्चित किया जाय। मैं यह चाहूंगा कि ये जो सुझाव हैं उन पर सरकार अमल करने की कोशिश करे। मैं यह इसीलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था। मैं तो कहता हूं कि सरकार तो करती है, लेकिन जो उसका इम्पलीमेन्टेशन होता है उस वक्त उसमें गड़बड़ी होती है। गवर्नमेंट के लेटर की ओर इनको ध्यान देना चाहिए। इन्टीग्रेशन हुआ है; बम्बई, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन हुआ। एस. आर. सी एक्ट में खास तौर पर जाहिर किया है। उसमें खास तौर पर कहा गया है कि उसके मातहत सेन्ट्रल गवर्नमेंट मेन्डेट देगी। That shall be binding on the State, वह मेन्डेटरी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के कटमोशन के जवाब में नई बातें इन्ट्रोडूस हुई हैं जो अब नहीं की जानी चाहिये। जब कि माननीय सदस्य बोल रहे थे तो न केवल जो कटमोशन उन्होंने रिक्रूटमेंट के सिलसिले में प्रस्तुत किया था उस पर वे बोले, अब बोल रहे हैं इन्टीग्रेशन के बारे में।

श्री पी० के० चौधरी: मैं नया प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बता रहा था कि प्रोमोशन, रिक्रूटमेंट पर मेरा कटमोशन है और इसका (इन्टीग्रेशन) किस तरह उससे रिलेशन है? यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का डिरेक्टिव है, थ्रू स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ है, एक इन्टर स्टेट सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाय और हर एक स्टाफ को उसको बता दिया जाय, ताकि उनको अपील करने का मौका दिया जा सके और एक एडवाइजरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने मुकर्रर कर दी है जिसमें यु. पी. एस. सी. का भी एक सदस्य रखा गया है। उसके बाद उनका फिर कन्फर्मेशन होना चाहिए। मैं इस ओर खास तौर पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कहती तो है, लेकिन जब किसी चीज का इम्पलीमेंटेशन होता है तो उसमें गड़बड़ी करती है, पी. एस. सी को बाइ-पास करती है। गवर्नमेंट ने एक पत्र भेजा है कि इन्टर स्टेट सर्विसेज़ की सीनियोरिटी की लिस्ट बनेगी और ३१ मई को अपील करना चाहिये तो करें और यह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से किया है कि एक एडवाइज़री कमेटी बनाई जायगी और उसके सामने वह अपील जायगी और उसका फैसला होगा। उसके बाद ही कन्फर्मेशन का काम है वह होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस किस्म का एक तरफ तो सर्कुलर होता है और दूसरी तरफ यूनिलेटरल कन्फर्मेशन चल रहा है। माननीय अध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो सरकार इस तरह का ओर्डर

(श्री पी० के० चौधरी)

इश्यू करती है और कांट्रेरी टू देट एक्शन लेती जाती है। इसलिए मैं यह कहना चाहता था कि पहले इन्टर स्टेट सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाय, उसके अन्तर्गत अपील करने का मौका दिया जाय, एडवाइजरी कमेटी उसको तय करेगी तब कन्फर्मेशन होना चाहिये, लेकिन बावजूद इसके कन्फर्मेशन करते जा रहे हैं। इसके लिए मिसाल भी पेश कर सकता हूं, लेकिन अभी इस वक्त नहीं देना चाहता। इतना ही कह देना चाहूँगा कि कन्फर्मेशन का काम है वह बाद में करना चाहिए और यदि इस प्रकार से इन्टीग्रेशन होकर कन्फर्मेशन हुआ है तो उसको नल एण्ड वोयड करना चाहिये; अपील करने का मौका दिया जाना चाहिये। एस. आर. सी. के अंतर्गत जो एडवाइजरी कमेटी बनेगी वह जब तक उनका फैसला न कर दे तब तक कन्फर्मेशन नहीं करना चाहिये और यदि सरकार ने किया हो तो तुरन्त चीफ मिनिस्टर साहब को केन्सल कर देना चाहिये। इतना ही कह कर मैं मेरा कट मोशन विद्ड्रा करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : Hon'ble Speaker, Sir, I had moved one cut-motion regarding the separation of the Executive from the Judiciary. I am very glad that the Government has accepted this matter as a policy and the Government has also promised to go ahead in the direction of the implementation of this principle having regard to the financial difficulties.

Under these circumstances, I withdraw my cut motion regarding this matter.

श्री तेजाराम (सोजत) : माननीय अध्यक्ष, मैंने ग्रान्ट नं. ६, मेजर हेड २५- जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर कटमोशन पेश किया था। उसमें मेरा आशय यह था कि एन्टी करप्शन बोर्ड पर जो २५००० रुपये खर्च किये जाते हैं वे नहीं किये जायं। कल जब सदन में मुख्य मंत्रीजी ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, उससे मैं सहमत हूं। मेरा अभिप्राय बोर्ड को खत्म करने का नहीं था, बल्कि ३५००० रुपये बोर्ड पर खर्च न करके सेक्रेटरी, ओफिस सुपरिन्टेन्डेण्ट, क्लर्क्स आदि जो हैं उन पर खर्च किया जाता है, उसमें कटौती करने से मेरा आशय था। लेकिन कल जो मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि भ्रष्टाचार बंद करने के लिये वे कटिबद्ध हैं उससे मुझे संतोष हुआ। इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुंदा) : मेरा जो कटौती का प्रस्ताव था उस पर कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण के दौरान में जवाब दिया है जिससे मुझे संतोष है, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की हाउस से इजाजत चाहता हूँ।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव डिमांड न. ६–जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत है। मुख्य मंत्रीजी ने जो विश्वास दिलाया है कि ऐसा कदम उठाया जायगा जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशियेन्सी आवे और करप्शन दूर हो, उससे मैं पूर्ण सहमत

(श्री भीमसेन)

हूं, इसलिये मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जिस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने, इस मांग के सम्बन्ध में जो वाद-विवाद हुआ था, उसका उत्तर देते हुए अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें बताई थीं जिनके ऊपर नये रूप से प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन उनके भाषण के कारण कुछ ऐसी बातें निकलती है जो बातें आवश्यक रूप से सदन में प्रस्तुत करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपना पहला कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, राजस्थान के एन्टी-करप्शन बोर्ड के बारे में । उस समय फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख किया था, जयपुर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के मामले का उल्लेख किया था और सिंचाई विभाग के मामले का उल्लेख किया था । इन तीनों का उत्तर यह कह कर टाल दिया गया कि इन विभागों के सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी नहीं की जा सकती और इस कारण से यह अच्छा नहीं होगा कि अधूरी जानकारी के आधार पर इस सदन में कुछ उत्तर दिया जाय । मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक मुख्य मन्त्रीजी का कहना ठीक हो सकता है। लेकिन इस में कुछ मसले ऐसे थे; जैसे जगलात विभाग का मामला, जिला बोर्ड का मामला जिसके बारे में यह कहा गया कि मुख्य मन्त्री जी को विशेष जानकारी करनी थी, लेकिन कुछ ऐसे नहीं थे जिनके बारे में मुख्य मन्त्रीजी को विशेष जानकारी करने की जरूरत थी या मुख्य मन्त्रीजी को इन विभागों की अब तक जानकारी न हो और बिना जानकारी के वे उत्तर देने में असमर्थ हों । अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिला बोर्ड का मामला नया नहीं है और उसमें विशेष जानकारी करने की बात नहीं है । मैं समझता हूं इसमें सिर्फ निर्णय लेने का प्रश्न था । यदि मुख्य मन्त्रीजी चाहते कि उनका प्रोसिक्यूशन कराया जाय तो वे ऐसा भी कह सकते थे कि आज नहीं तो कल जल्दी ही ऐसा निर्णय लिया जायगा जिसके आधार पर, जितने भी दोषी लोग हैं उनका प्रोसिक्यूशन होगा । लेकिन इसके बदले में नयी बात का संकेत दिया है ; जानकारी करने की कोशिश की जा रही है, जो उत्तर होगा दिया जायगा । सदन ने उनके गौरव पूर्ण वाक्य का सम्मान किया था । सत्संगी के मामले में मैंने कहा था कि लाखों रुपयों के गबन के मामले में अब तक कुछ नहीं किया गया है और इस मामले की फाइल मुख्य मन्त्री जी के बस्ते खामोशी में बन्द है । इसके उत्तर में उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में बताया कि आज से १० दिन पहले यह फाइल उनके बस्ते-खामोशी में नहीं थी, बाद में कुछ समय निकलने पर कहा कि १५ दिन से नहीं है । इसमें तारीख बताने की आवश्यकता नहीं थी कि कौन सी तारीख को उनके पास यह फाइल आई और कौन सी तारीख को उन्हों-ने इसको डिसपोज़ ओफ किया । मेरी सूचना ऐसी नहीं है कि जिसके आधार पर मैं यह कहूं कि आज यह फाइल मुख्य मन्त्री जी के टेबल पर है और आज चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँच गई है । मुमकिन है १०-५ दिन उसको डिसपोज़ ओफ किये हुये होंगे । लेकिन जिस मामले को लेकर यादरामजी चतुर्वेदी ने जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट पेश कर दी और जिस मामले में श्री केसरीसिंहजी गनावत, जो कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे उन्होंने, जानकारी करके रिपोर्ट पेश कर दी और उसके बाद

(श्री भैरोंसिंह)

कागज भारत सरकार के पास गये और भारत सरकार ने उनका प्रोसीक्यूशन करने के लिये लिखा, उसके बाद भी क्या दिक्कत आती है कि उनका चालान अब तक नही होता और प्रोसीक्यूशन नहीं होता। लेकिन केवल यह कहना कि मुख्य मन्त्रीजी के टेबल पर फाइलें पड़ी नहीं रहती हैं, जल्दी निकाल देते है, काफी नहीं है। मैं अपेक्षा करता था कि मुख्य मन्त्रीजी जब उत्तर देंगे तब इन बातों पर प्रकाश डालेंगे कि यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट के आधार पर और श्री केसरीसिंह रानावत की रिपोर्ट के आधार पर आज तक सत्संगी का चालान क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं जानता हूं कि फाइल उनके पास थी या नहीं, यादराम की रिपोर्ट में कमी थी उसको और केसरीसिंहजी की रिपोर्ट में कमी थी उसको पूरा कराया और फिर कागजात भारत सरकार के पास पहुँचे जहां से निर्णय दिया गया कि चालान होना चाहिये। उसके बाद आवश्यकता क्या थी कि ये कागज मुख्य मन्त्रीजी और चीफ सेक्रेटरी के बीच में इधर उधर भटकते रहें और कल यह कहा गया कि १०-१५ दिन पहले डिस्पोज़ ऑफ कर दिया गया। तीन साल पुराना मामला होने पर और ऊपर से आदेश आने पर भी कोई ओर्डर नहीं दिया गया कि चालान किया जायगा या नहीं। प्रोसीक्यूशन का कोई ओर्डर नहीं, इस बात का कोई संकेत नहीं है। जो उत्तर दिया गया है वह बिल्कुल इस तरह का है जिससे भ्रष्टाचार करने वाले आदमियों के सामने ऐसा उदाहरण पेश होता है जिसके द्वारा उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने या उचित दण्ड दिलाने का कोई प्रश्न न उठता हो।

ऐसा ही मामला मैं उस समय मानता हूँ जिस समय मुख्य मन्त्री जी को अपेलेट कोर्ट के रूप में मानता हूँ। सदन में ४ दिन पूर्व वित मन्त्री जी के सम्बन्ध में पत्र उपस्थित किया गया था और उसमें वित्त मन्त्रीजी ने स्वीकार किया और कहा था कि जिस समय पत्र लिखा गया था उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि वे सज्जन सरकारी मुलाजिम थे या नहीं। मैं कह सकता हूं कि अपने बचाव के लिये वे यही कह सकते थे। एक आदमी को उन्होंने पत्र लिखा, अपने हस्ताक्षर से पत्र लिखा उसके बारे में, अपने हस्ताक्षरों के बारे में वे इन्कार नहीं कर सकते थे, इसलिये उन्होंने अपने बचाव के लिए यह कह दिया कि जिस समय उन्होंने पत्र लिखा उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि वह आदमी अब तक सरकारी नौकर है। लेकिन मुख्य मंत्रीजी उनके ऊपर हैं और एक अपेलेट कोर्ट की तरह हैं। मैं समझता था कि मुख्य मंत्रीजी इस इस बारे में जांच करके अपने उत्तर में इस बारे में कुछ कहेंगे। लेकिन मुझे खेद है कि मुख्यमंत्री जी ने कोई जांच नहीं की। वे जानते हैं कि जांच करने से कुछ नहीं होगा और वह कह गये कि वयोवृद्ध वित्त मन्त्रीजी के पत्र को लेकर उनको दोषी बताया। इस बारे में उन्होंने स्वयं ने जो उत्तर दिया वह काफी है। सदन को संतोष करना चाहिये, सदन को इससे सतोष नहीं होगा। सदन को संतोष उस समय होगा जब कि वे त्याग-पत्र देंगे और उनको सजा मिलेगी

(करतल-ध्वनि)

चाहिये तो यह था कि मैंने जो पत्र उपस्थित किया उसके बारे में मुझसे जानकारी लेते। मैं सदन को जानकारी देने को तैयार हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह पत्र जान बूझ

(श्री भैरोंसिंह)

कर लिखा गया और उसमें यह लिखा, रामेश्वर प्रसाद रामगोपाल जी का जंवाई है जिनके नाम यह चिट्ठी लिखी गई थी; यदि यह व्यक्ति खड़ा रहता है तो मैं रामराज्य परिषद के मुकाबले में जीत नहीं सकता इसलिये उनको बैठाने के लिए प्रयास किया गया, एक बार नहीं बल्कि १० बार उन्होंने पत्र लिखे। रामगोपाल जी को बुलाया गया, जंवाई को बिठाने के लिये उन्हें प्रभावित किया गया। वे कांग्रेस के सदस्य हैं और तरवाड़ तहसील पंचायत के सरपंच हैं। वित्त मन्त्रीजी ने उनकी मार्फत उसे बिठाने की कोशिश की। आज हम कैसे मान सकते हैं कि वित्त मन्त्रीजी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे सरकारी नौकर थे या नहीं? जिनसे वे कई बार मिल चुके हैं, जिनके द्वारा वे एक कैंडीडेट को बिठाना चाहते हैं उसके बारे में वे कैसे नहीं जानते कि वह सरकारी नौकर नहीं है? इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, वह जाति से पुरोहित था। वह गांव पुरोहितों का है, वह क्षेत्र पुरोहितों का है। वित्त मंत्रीजी के क्षेत्र में काफी पुरोहित थे और उस क्षेत्र में पुरोहितों का असर है। मैं आपको बताऊं कि वित्त मंत्रीजी ब्यावर में एक व्यक्ति के घर जाते थे, वह ओझा था। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा। उस ओझा के घर पर रामगोपाल से परामर्श करके, उस व्यक्ति को कैसे बिठाया जाय, इसकी योजना बनाई गई। ओझा रामगोपाल से मिलता है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी? हो सकता है, वित्त मंत्रीजी का जाने कोई मतभेद हो, पर मेरी जानकारी के आधार पर मुख्य मंत्री जी को चाहिये था कि वित्त मंत्रीजी का जवाब लेते और जो इलाज मैंने लगाया, उसका सुबूत लेते और फिर निर्णय देते कि जो जानकारी मैंने बताई, वह सफीशियेन्ट है या नहीं? सरकारी मुलाजिम को चुनाव में भाग लेने के लिए पत्र इगनोरेन्स में लिखा गया, लेकिन कानून कहता है 'Ignorance of law is on risk." उसके बाद में वे सारी बात पर विचार करते। 'No excuse' sorry. "Ignorance of law is on excuse." मैं कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, उस समय यदि प्रश्न आता कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जानकारी कर ली है तो मैं निश्चित रुप से अपनी जानकारी देता। बहुत मुमकिन है जो जानकारी सबूत में पेश करनी चाहिये, वह मैं पेश नहीं कर सका और उसके कारण मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया। लेकिन इस प्रकार के कहने का संकेत है, जैसे उन्होंने सरकारी मुलाजिमों को प्रोटेक्शन की बात कही।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कार्य, विरोधी लोगों के हाथ में एक्सपेरीमेंट के रुप में दिया जाय। इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकारी मुलाजिमों को प्रोटेक्शन देना है, वे दलगत भावना में न फसें। यदि विरोधी दल के हाथ में भ्रष्टाचार को रोकने का काम दिया गया तो सरकारी कर्मचारी दलगत भावना में न फंस जायं। इसमें मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हैं और उसकी जांच की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला, बल्कि उनके साथ बैठने वाले एक कलीग को मिलता है। यह मामला एक मामूली मामला नहीं है। यदि माननीय मुख्य मंत्री उसको साधारण मामला समझ कर टालने की चेष्टा करें तो इस प्रकार आज के इस भ्रष्टाचार

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

के जमाने में सरकारी मुलाजिमों पर इल्जाम लगाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उनको प्रेरणा देने वाली बात नहीं होगी। आज गेलेरीज़ में भी सरकारी मुलाजिम बैठे हैं, अखबारों में स्वयं वे सरकारी मुलाजिम पढ़ते हैं कि राजस्थान विधान सभा में राजस्थान के वित्त मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया गया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राजस्थान सरकारी कर्मचारियों को इससे प्रेरणा नहीं मिलेगी, इससे लोगों को खुली छुट्टी मिलेगी और वे सोचेंगे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री मंत्रियों को बचाते हैं. सरकारी मुलाजिमों को बचाते हैं, यदि हम भी भ्रष्टाचार का काम करते हैं, तो हमें भी बचायेंगे। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री सदन के सामने ऐसी अप्रिय बात न रखें। वित्त मंत्री के इस मामले के परिणामस्वरूप कई झगड़े खड़े हो सकते हैं, इसे मेरी चुनौती स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में हर संभव उपाय इस बात के लिए करने के लिये तैयार होगा।

इसके अलावा कुछ सरकारी कर्मचारियों के वेतन का मामला आया था। उसका उत्तर बड़े अस्पष्ट ढंग से दिया गया। जो राज्यपाल महोदय के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कहा था, मैं समझता हूँ कि उनके कहने का आशय था वह यह था कि आज, पुराने जमाने में, राजाओं और जागीरदारों के जमाने में, जितने भी कर्मचारी थे, उनको कम तनख्वाह मिलती थी; आज उन तनख्वाह को बढ़ाया गया है किसी में सात रुपये बढ़ा कर, किसी में आठ रुपये बढ़ाये गये और अब एक व्यक्ति को ६५ रुपये रिटायर होने पर मिलेंगे। इस प्रकार के आंकड़े बता कर उन्होंने सिद्ध किया कि पुराने जमाने से आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय कहा था कि यहां पुराने जमाने से प्रेरणा नहीं लेनी है कि राजाओं ने क्या किया? हमें यह देखना है कि जो लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं, उससे उनका पेट भरता है या नहीं? हमें पुराने जमाने से प्रेरणा नहीं लेनी है, पुराने जमाने को उदाहरण रूप में नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमारी वर्तमान परिस्थिति क्या है, और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अल्प वेतन दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, उससे मेंटिस्फाइ हैं या नहीं? यह बात नहीं सोची गई और प्रश्न को टाला गया कि पहले से ज्यादा अब तनख्वाह मिलती है। मैं यह मानता हूँ। लेकिन यह भी मानता हूँ कि आज की परिस्थिति के अनुकूल तनख्वाह नहीं मिलती। भारतवर्ष में और प्रान्त हैं, यू. पी., पंजाब हैं, मध्य भारत है; इनके कर्मचारियों को ज्यादा तनख्वाह मिलती हो और राजस्थान के कर्मचारियों को कम तनख्वाह मिले, वहां उन लोगों को अधिक सुविधा मिले और यहां कम सुविधा मिले, ये चीजें ऐसी हैं जिनका अल्प वैतनिक कर्मचारियों पर असर पड़ता है। मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कि पे कमीशन नियुक्त किया जाय जो आज कि परिस्थिति का निरीक्षण कर प्रतिवेदन तैयार करे कि कौन कौन सी चीजें करनी हैं, उन सब चीजों को लेकर सरकार के सामने सुझाव प्रस्तुत करे, उन सुझावों को पूरा करने के लिए सरकार अपने रिसोर्सेज़ बढ़ाये, उनको बढ़ाने के लिए स्कीम बनाये और उस स्कीम के अनुसार तय करे कि अमुक अमुक समय लो पेड़ कर्मचारियों

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

की तनख्वाह में इन्क्रीमेंट होगा, उनको मेडिकल फेसीलिटीज़ मिलेंगी, एजुकेशन फेसीलिटीज़ मिलेगी। इन सब बातों को टेम्पो बना कर कार्य करें। यह कह कर कि पहले जमाने से ज्यादा तनख्वाह देते हैं, माननीय सदस्यों को विस्मृत कराये जाने की कोशिश की गई है। यह चीज मामूली चीज नहीं है, जिसे दर गुजर किया जा सके। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, लो पेड कर्मचारियों के सम्बन्ध में, मुख्य मन्त्रीजी के कई भाषण हुए हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं जिससे प्रेरणा मिलती हो कि भ्रष्टाचार को कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस सदन का कार्य जब से प्रारम्भ हुआ तब से आज दिन तक भ्रष्टाचार के मामले की चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा का अन्त यदि इस रूप में होता, उस चर्चा के कारण कोई नई चीज ईजाद होती तो भ्रष्टाचार व्यापक होने से बाज आता। केवल एक नई चीज ईजाद हुई है कि मन्त्री महोदय में, अफसरों में भ्रष्टाचार व्यापक है, लेकिन सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती। इसलिए मैं नहीं समझता कि जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लूं।

एक और कटौती प्रस्ताव था, कोर्ट ऑफ वाड्स के बारे में। उस समय, मैं आज नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन समय आयेगा तब मैं आकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनके द्वारा सिद्ध होगा कि कोर्ट ऑफ वाड्‌स द्वारा जागीरदारों पर किस प्रकार ज्यादती की जा रही है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कल इसका उत्तर दिया, उससे मुझे संतोष नहीं है। मैं समझता था कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी कोई घोषणा करेंगे कि कोर्ट ऑफ वाड्‌स महकमों की कोई आवश्यकता नहीं है, वह घोषणा नहीं हुई, इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। इसलिए मैं उचित समझता हूं कि अपने कटौती प्रस्ताव, जो मैंने इस सदन में प्रस्तुत किये हैं, को इस सदन में पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव करूं और प्रेस (press) करूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के वेतन के सम्बन्ध में मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा था, यदि उस प्रस्ताव से सम्बन्धित मंत्री महोदय पर्मानेन्ट सर्विस में होते तो मैं प्रस्ताव वापिस ले लेता क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पेट पर लात मारना अच्छा नहीं होता। लेकिन हमारे मंत्री उस श्रेणी से आये हैं जिन्होंने समाज के सामने यह आदर्श उपस्थित करने का दावा किया कि हम सभी लोग सार्वजनिक कार्यकर्ता के रूप में आये हैं और हमारा समाज में समाजवादी ढंग की व्यवस्था करना लक्ष्य है। ऐसी अवस्था में आज माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि ६० गैलन पैट्रोल के लिए तय करते हैं, उससे ज्यादा पैट्रोल सरकारी खर्चे पर न लिया जाय। मैं इस तय करने को गलत परम्परा मानता हूँ। आप ६० गैलन के बजाय १०० गैलन पेट्रोल लें, जितनी आवश्यकता हो उतना सर्टीफाई करके क्यों न लें, जितने टी. ए., डी. ए. की आवश्यकता हो उतना सर्टीफाई करके लें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहां तक वेतन का प्रश्न है, वेतन में आप एक कटौती करते हैं तो समाज के सामने आदर्श उपस्थित करते हैं, उन कर्मचारियों के सामने आप एक आदर्श उपस्थित करते हैं, जिन्हें १ हजार, २ हजार, ढाई हजार वेतन मिलता है। हम कल अधिक तनख्वाह पाने वाल

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

आलोचना करते थे, लेकिन आज जब आप सत्ता में आये हैं, इस सदन में आये हैं तो फिर एक नया आदर्श उपस्थित करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं ? तो जहां तक वेतन का प्रश्न है उसके बारे में यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं नहीं चाहता कि भत्तों में कमी की जाय। सरकारी कामों के लिये टूर करते हैं, समाज के कल्याण के लिए दौरे करते हैं, तो उसके लिए अगर आवश्यकता पड़े तो जितना बजट में प्रोविजन है, जितना बजट में प्रोवाइड किया, उससे ज्यादा भी रखें। समाज का काम करना है तो पोकेट में से तो खर्च नहीं करेंगे। जहां तक वेतन का सवाल है, हजार—डेढ़ हजार रुपया लेते हैं तो आंशिक रूप में मैंने १००) रुपये तक की राशि कम करने का कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं मन्त्री महोदयों से आशा करूंगा कि वे एक आदर्श उपस्थित करने के लिए मेरे इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे।

१. ०१ म० प०

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव संख्या ३ जो मितव्यय, मन्त्रियों की तनख्वाह में कमी करने के सम्बन्ध में है, उसे वापिस लेना चाहता हूँ क्योंकि यह तो त्याग का प्रश्न है, जो थोपने का नहीं है, त्याग तो स्वत: ही किया जाता है। वे यह त्याग करने को तैयार नहीं हैं तो मैं इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री लच्छूराम (मण्डवा) : श्री अध्यक्ष महोदय, मैंने जो मन्त्रियों के वेतन को कम कर का प्रस्ताव रखा है उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह कम संतोषजनक है। आपने बताया कि १९३४ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस मंत्रियों की तनख्वाह ५०० रुपया होनी चाहिये, उस अनुपात से मन्त्रियों की तनख्वाह १००० रु० ठीक है। परन्तु जब उस अनुपात से मन्त्रियों की तनख्वाह ५०० से १००० रुपया करते हैं तो उसी अनुपात से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिये, उनको २५–३० रु० मिलते हैं और मंत्रियों को १०:० मिलते हैं, इसलिए यह जो कटौती का प्रस्ताव है उसको वापिस लेने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरा जो ६० गेलन के लिए कहा था, उसको मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया। पर ६० गेलन के हिसाब से यह १,५०,०००० की धन राशि है वह ६० गैलन के अनुपात के अनुसार कैसे खर्च होगी, इसका उत्तर मुख्य मंत्री महोदय ने नहीं दिया, इसलिए मैं उचित नहीं समझता कि अपने प्रस्ताव को वापिस लूं।

मन्त्रियों के वेतन के बारे में बोलते हुए कहा कि केरल के कॉम्युनिस्ट मन्त्रियों का ३५०) रुपये का वेतन रखा है और दूसरी पार्टियों के मन्त्रियों का ५०० रुपया रखा है, और यह ३५० रुपया जो वेतन रखा गया है वह प्रचारात्मक है, कॉम्युनिज़्म के प्रचार के लिए है। तो मैं कहता हूँ कि आप भी समाजवादी समाज को स्थापना करना चाहते हैं तो इसके प्रचार के लिए ही क्यों नहीं ३५० रुपया अपना वेतन रख कर राजस्थान में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रचार करें। ऐसी सूरत में मन्त्रियों के वेतन के सम्बन्ध में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हूँ। मैं समझता हूँ

(श्री लच्छूराम)

कि सदन मेरे कटौती प्रस्ताव को जरूर पास करेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पत राज ।

श्री सम्पतराज : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैंने डिमान्ड संख्या ६ पर कटौती का प्रस्ताव रखा था, उस विषय में मुख्य मन्त्रीजी ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह काफी विचारणीय है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। मैं इस उत्तर से संतुष्ट हूँ और अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : सूची संख्या १, क्रम संख्या १, श्री तनसिंह मांग संख्या ६ पर कटौती का प्रस्ताव जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में।

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

"ना" पक्ष जीता ?

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता साहब।

श्री हरिदेव जोशी : 'ना' पक्ष जीता, साहब।

श्री अध्यक्ष : ना पक्ष जीता ?

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता, साहब।

श्री हरिदेव जोशी : 'ना' पक्ष जीता साहब।

श्री अध्यक्ष : 'ना' पक्ष जीता ?

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता साहब।

श्री अध्यक्ष : You want division?

श्री तनसिंह : हां, साहब।

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५-सामान्य प्रशासन में १.५० तक की कटौती की जाय (जुडिशियरी का एक्जीक्युटिव से प्रथक्करण की दिशा में कोई कदम न उठाने की नीति के अननुमोदन के सम्बन्ध में) उसे स्वीकार किया जाय।

(पुनः मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता ?

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री हरिदेव जोशी : 'ना' पक्ष जीता।

श्री तनसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : You still insist on division.

श्री तनसिंह : हां साहब ! श्री गणेश हो जाय। We want the votes to be recorded.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, 'ना' पक्ष वाले नोज़ की लोबी में और 'हां' पक्ष वाले एज़ की लोबी में चले जायं।

श्री श्रीमानसिंह : On a point of order, Sir, this is rather a token cut on which the Hon'ble Member cannot claim division. It is just by way of speaking

श्री तनसिंह : It is not a token cut. It is a policy cut

श्री श्रीमान सिंह : Why Re. 1/-? He should read 'by Re. 1/-'. Just a negative cut.

श्री तनसिंह : यह सब टोकन कट नहीं है, पोलिसी कट हैं।

Page No.46

श्री श्रीभानसिंह : Only on a substantive cut he can claim division. on a negative cut he cannot demand division.

श्री तनसिंह ; It is disapproval of policy and its consequences are best known to the Hon'ble Membe.

श्री श्रीभानसिंह : Then it should have been expressed by a substantantive cut. Just by a negative cut there is no disapproval of policy. He had only to raise a discussion and he has raised the discussion.

श्री अध्यक्ष : I think we will have to resort to division.

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष, अगर कोई एक रुपये का कटौती का प्रस्ताव रखता है तो उस पर भी पूरी बहस होती है। अगर वह डिविजन नहीं क्लेम कर सकता तो एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं होना चाहिये, पूरा का पूरा १ लाख २५ हजार की कटौती का प्रस्ताव पेश होना चाहिये, मगर ऐसी बात नहीं है हर एक प्रश्न जो सदन के सामने रखा जाता है चाहे वह नगण्य हो, डिविजन क्लेम करने का अधिकार है। इस पर बहस हो चुकी है डिविजन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : लोबीज़ में चले जाइये।

१.१० म० प०

(विभाजन के पश्चात्

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष में ४६ मत आए और 'ना' पक्ष में ६६ मत आए।

(विराम)

प्रस्ताव गिर गया

(करतल–ध्वनि)

सूचियें निम्न प्रकार हैं:—

हां पक्ष (४६)

श्री अनूपसिंह
श्री अर्जुनदास
श्री बालमुकुन्द
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री चन्द्रसिंह
श्री दयाकृष्ण
श्री फतहसिंह
श्री गज्जा
श्री गिरधारीलाल
श्री हंसिया
श्री हीरा
श्री होतीलाल
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री कालू
श्री केसरीसिंह
श्री किशनाराम
श्री लच्छूराम
श्री लादू
श्री लक्ष्मीचन्द
श्री मदनसिंह
श्री मंगलसिंह
श्री मनरूप
श्री मोधजी
श्री मोहरसिंह
श्री मोती
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री मुरलीधर
श्री नरेन्द्रसिंह
श्री नरपतसिंह
श्री नाथीसिंह

Page No.47

(श्री अध्यक्ष)

श्री नाथूलाल
श्री प्रभुलाल
श्री पृथ्वीराज
श्री रघुवीरसिंह
श्री रामधन
श्री रामकरणसिंह
श्री रामकिशन
श्री रामनारायण
श्री रिद्धीचन्द
श्री सरदारसिंह
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
श्रीमती शन्नोदेवी
श्री शिवपतसिंह
श्री शिवचरणदास
श्री श्रीराम
श्री सूरजमल
श्री तनसिंह
श्री धीरका
श्री बीनो

ना-पक्ष (६६)

श्री अब्दुल गफ्फार खां
श्री आबिदअली
श्री अमरा
श्री अमृतलाल पायक
श्रीमती आनन्दीदेवी
श्री आनन्दसिंह
श्री बद्रीप्रसाद
श्री बहादुरसिंह
श्री भैरवलाल कालाबादल
श्री भवानीशंकर
श्री भीखाभाई
श्री भीमसेन
श्री भोगीलाल पंड्या
श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्री चन्दनमल बैद
श्रीमती चन्द्रकला
श्री छोटूसिंह
श्री चुन्नीलाल
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री दौलतराम
श्री देवा
श्री देवीलाल
श्री धन्नालाल हरित
श्री धरमपाल
श्रीमती गंगादेवी डाटा
श्री गणपतिलाल वर्मा
श्रीमती गौरीपूनिया
श्री घासीराम यादव
श्री गोकुलचन्द
श्री गोपाललाल
श्री गुलाबसिंह
श्री हरिभाऊ उपाध्याय
श्री हरिदेव जोशी
श्री हरिकिशन
श्री हरिप्रसाद
श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री
श्री हरिश्चन्द्र
श्री हजारी
श्री जयचन्द्र मोहिल
श्री जयसिंह रानावत
श्री जनार्दनराय नागर
श्री जयेन्द्रसिंह
श्री जेठमल
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री ज्वालाप्रसाद
श्रीमती कमलाबाई श्रोत्रिय
श्री कान्हा
श्री किशनलाल
श्री किशनलाल शाह
श्री किशनसिंह

(श्री अध्यक्ष)

श्री लक्ष्मण
श्री माणकचन्द
श्री मांगीलाल
श्री मनोहर कोठारी
श्री मोडूलाल
श्री मोहब्बतसिंह
श्री मोहनलाल सुखाड़िया
श्री मूलचन्द डागा
श्री मोतीलाल
श्री नारायणसिंह (मसूदा)
श्री नारायणलाल
श्री नारायणसिंह (टोंक)
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरन्जननाथ आचार्य
श्री परसराम
श्री फूला
श्री पी. के. चौधरी
श्री पूनमचन्द
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री पुरुषोत्तमलाल
श्री राजाराम
श्री रामचन्द्र
श्री रामदेवसिंह
श्री रामेश्वरदयाल
श्री रामकिशोर व्यास
श्री रामप्रसाद
श्री रावत
श्री रावता
श्री रिखबचंद धारीवाल
श्री सज्जनसिंह
श्री सम्पतराज
श्री सम्पतराम
श्रीमती सत्वंतकौर
श्री शंकरलाल
श्री शीशराम ओला
श्री शिवनाथसिंह
श्री श्रीनिवास
श्री सोहनलाल
श्री श्रीमानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्री सुगनचंद जैन
श्रीमती सुमित्रादेवी
श्री तेजाराम
श्री तेजपाल
श्री टीकाराम पालीवाल
श्री विद्यासागर
श्री वलीमोहम्मद

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री रामेश्वरदयाल ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री रामेश्वरदयाल : Sir, I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है (मितव्यय—मंत्रियों की तनख्वाह में कमी करने के सम्बंध में) इसे स्वीकार किया जाय।

श्री तनसिंह : मुझे विदड्रॉ के लिये कहना है। वे अपनी तनख्वाह में कमी नहीं करना चाहते। मैं भी उन पर इस चीज को थोपना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

Page No.49

(श्री अध्यक्ष)

कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री तनसिंह : मैं कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तेजाराम ने रखा है उसको वापिस लेने को इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री तेजाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री लक्ष्मण हीरात ने रखा उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत दी जाती है।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तनसिंहजी ने रखा है (चुनाव में नाजायज दबाव के बाबत विवाद करने के लिये), वह स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता। यह हरिभाऊजी वाला मामला है, इसलिये 'हां' पक्ष जीता। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में हमें यह देखना है कि उधर के सदस्य कितने आते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : Sir, I claim division. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में डिविज़न क्लेम इसलिये कर रहा हूं कि यह हरिभाऊजी से सम्बंधित मामला है और उधर के बैठे हुये कुछ माननीय सदस्यों ने मुझे विश्वास दिलाया है कि वे हमारा इस मामले में साथ देंगे।

(हंसी)

इसीलिये यह क्लेम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अगर आप इन्सिस्ट ही करते हैं तो एक बार और डिविज़न और हो जाये।

(विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तनसिंह ने रखा है मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५–सामान्य प्रशासन में १०० रु. की कटौती की जाय। (चुनाव में नाजायज दबाव के बाबत विवाद करने के लिये) उसे स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों हां कहें....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस सम्बंध में मैं यह जानकारी चाहूंगा.......

श्री अर्जुनदास : When the question has been put nobody can raise a point of order. Mr. Speaker,

(श्री अर्जुनदास)

after the question has been put nobody can raise a point of order.

श्री अध्यक्ष : I think we better proceed with the putting of the question and the division claimed.

श्री भैरोंसिंह : मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि इस कटमोशन का सम्बंध श्री हरिभाऊ उपाध्याय से है, अतः मैं आपसे यह देखना चाहता हूं कि 'हां' उनकी तरफ से हो सकता है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो कटमोशन हमारे सामने है उसमें हरिभाऊजी का नाम नहीं है, यह तो एक जनरल कट है जिसका मतलब क्या होता है, यह सब समझते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री तनसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(मतदान के पश्चात् पुनः 'ना' पक्ष जीता।)

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता। Ayes have it, sir.

विरोधी दल से कुछ आवाजें : हां पक्ष जीता। Ayes have it, sir.

(पुनः विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी के कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। जो इसके पक्ष में हों वे अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, डिवीजन के विषय में कुछ नियम हमारे बने हुये हैं। डिवीजन यदि कोई अननेसेसरी क्लेम करता है या सदन के कार्य में बाधा उपस्थित करने के लिये कोई डिवीजन क्लेम करता है तो वैसी अवस्था में आप खड़े होने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन जिस विषय में हम डिवीजन क्लेम कर रहे हैं वह वास्तव में ऐसी बात नहीं है। वह महत्वपूर्ण बात है, सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की नीयत से हम डिवीजन नहीं मांग रहे हैं। इस कटौती का सम्बन्ध एक माननीय मन्त्री महोदय से है उसका जवाब तक नहीं दिया गया, ऐसी अवस्था में मेरा खयाल है हमारा डिवीजन का क्लेम करना बिल्कुल न्यायसंगत है। बाद में हम डिवीजन क्लेम नहीं करेंगे, यह मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इसके लिये आप लोबीज में जाने का हमें आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री विशेष के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनका सम्बन्ध इस कटौती के प्रस्ताव से बिल्कुल नहीं है। उसके बारे में काफी वाद-विवाद हो गया और अभी आपने डिवीजन क्लेम किया था और उसका नतीजा भी आपके सामने है। अच्छा तो यह होता कि आप इस प्रस्ताव पर डिवीजन क्लेम नहीं करते, लोबीज में जाने से समय ज्यादा बर्बाद होगा, इसलिये यह आज्ञा दी गई है।

जो इसके विपक्ष में हों वे भी खड़े हो जायं।

श्री भैरोंसिंह : हरिभाऊजी को तो बिठा दीजिये, उनकी गिनती तो न हो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

Page No.51

(श्री अध्यक्ष)

'ना' पक्ष जीता। प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भीमसेन ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष . प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है, "To discuss the failure of the Anti-Corruption Board in checking the growing Corruption in the administration."
वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है,...."To discuss the failure of the Government to increase the salaries of the low paid employees.", वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है, "To discuss the unsatisfactory work of the Court of Wards.", वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है, "To discuss the unnecessary expenditure incurred on the salaries and allowances to the Ministers.", वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मोहरसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लच्छूराम ने रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(श्री अध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री सम्पतराज जैन ने रक्खा है उसे वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सम्पतराज : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,५३,८८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल-ध्वनि)

१.४१ म० प०

मांग संख्या २६—विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर सयंत्र

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४१—विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,७२,१०,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस मांग में एक कटौती का प्रस्ताव रक्खा है वह यह है, "कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४१—विद्युत योजनाओं से प्राप्तियों में १०० की कटौती की जाय (बाडमेर में बिजली की व्यवस्था के सम्बन्ध में विवाद करने के लिए)"।

माननीय अध्यक्ष, आज मैंने प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर दिया जाने वाला था और उससे मालूम हो सकता था कि राजस्थान में इस प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन किन जिलों में, किन किन स्थानों पर बिजली लगाने की बात थी? उसका उत्तर तो नहीं मिल सका पर मुझे अन्दाज है कि प्राय: सभी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर बिजली लगाने की सरकार की योजना है, पर बाडमेर में एक विशिष्ट प्रकार की परिस्थिति है। पहले के चुनावों के समय इस जिले की हालत बहुत बुरी थी। उसे देखकर उस समय की सरकार ने जो कांग्रेस के ही हाथ में थी, इस अनडेवलप्ड इलाके में बिजली आदि के प्रबन्ध की बात सोची थी ताकि वहां के लोग कांग्रेस की ओर आकर्षित हों और वे उस सत्तारूढ़ दल को चुनावों में वोट दें।

१.४५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके लिए एक स्केलेटन वाटर स्कीम एक वर्षीय योजना के रूप में रक्खी गई और इस तरह से ५० हजार रुपया खर्च करके नल-बिजली लगाने की योजना बनाई गई बाडमेर में। पर जहां चुनाव खत्म हुए यह योजना खत्म हुई, कोई खर्च नहीं किया गया

(श्री तनसिंह)

और इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने नगरपालिका को यह कहा कि यदि आप इस स्कीम को लेना चाहें तो ले लें, नहीं तो हम तो इसे उठाने वाले हैं। नगरपालिका को नगर के हित के लिए इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि इस बने-बनाये काम को पूरा किया जाय और इसे अपने हाथ में लिया जाय। इस तरह इस जिम्मेदारी को उसने अपने कंधों पर लिया, पर उसकी आर्थिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि उसके खर्चे को बर्दाश्त कर सके और उस सारे नगर में बिजली देने का इन्तजाम कर सके। आज सात वर्ष हो गये पर इस प्रकार की अवस्था कभी नहीं हुई कि इस सारी समस्या का हल हो सके। आज ६-७ वर्षों तक अपने सीमित साधनों के उपयोग के पश्चात् भी नगरपालिका अपने काम में कामयाब नहीं हो सकी है। इसलिए सरकार ने यह सोचा कि चूंकि इसकी जिम्मेदारी नगरपालिका ने ले ली है इसलिए उसका अब कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा। पर मैं बताऊं एक ओर तो आप इस तरह से अपने उत्तरदायित्व से बचने की बात सोचते हैं और दूसरी ओर नगरपालिका के आय के स्रोत सरकार अपने हाथ में छीन रही है।

एन्टर्टेनमेंट बिल यहां आने वाला है। उसके द्वारा जो एन्टर्टेनमेंट टैक्स की आमदनी नगरपालिका को मिलने वाली थी वह भी बन्द हो जाने वाली है। हो सकता है कि कम्पेन्सेट आप कर देंगे कुछ सीमा तक, पर आखिरे कम्पेन्सेशन कम्पेन्सेशन ही है। इससे उतनी आमदनी तो हो नहीं सकती जो उक्त कानून के सिवाय होने वाली थी। ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं हो रही प्रतीत होती है कि यह सारी स्कीम ठीक तरह से चल सके। इसके फलस्वरूप जनता के स्तर में इन योजनाओं की प्रगति में कोई सुधार नहीं होने वाला है।

ऐसी स्थिति में सरकार का कर्तव्य है कि जहां वह टैक्स वसूल करती है जनता से, वहां उसकी सुख-सुविधाओं के लिए भीउसे प्रयत्न करना चाहिए। सारा बोझा नगरपालिका के ऊपर डाल कर उसे चुप नहीं हो जाना चाहिए। विशेष तौर से आज के दिनों में पानी की जहां विशेष कमी है मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह इस बिजली-पानी की व्यवस्था को स्वयं अपने हाथों में ले। नगरपालिका अपने सीमित साधनों के कारण इसे पूरा नहीं कर सकती, वह एक्सपर्ट की राय नहीं ले सकती, एक्सपर्टों को रख नहीं सकती। इन चन्द शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : List No. 1, Serial No. 10 Sir I beg to move, "That the Demand No. XXVI, Major Head XII receipts from Electricity Schemes working expenses be reduced by Re. 1/- (To discuss Running and Maintenance of Power Houses.)"

यह कट मोशन मैंने इसलिए मूव किया है कि सदन के सदस्यों का ध्यान इस स्टेट में जिस ढंग से पॉवर हाउसों का रनिंग और मेन्टीनेन्स होता है उसकी तरफ खींचूं।

आप लोग सब जानते हैं कि पॉवर हाउस के बारे में कई बातें हम सुनते हैं, देखते हैं और स्वयं भोगते भी हैं कि इसका मिसमैनेजमेन्ट कितना है, मिसयूज कितना होता है, और सप्लाई इर्रेगुलर भी कितनी है, वे कहाँ

(श्री पी. के. चौधरी)

तक ठीक हैं । यहां का पॉवर हाउस जो एक नेशेनलाइज्ड इन्डस्ट्री है और जब उसका खराब तरह से इन्तजाम होता है तो इसका असर लोगों पर खराब पड़ता है नेशनेलाइज्ड इन्डस्ट्री के बारे में ।

दूसरी बात यह है कि इन पॉवर हाउसों को कम्पीटीटिव बेसिस पर नहीं चलाया जाता, आज मोनोपोली रेट्स पर चार्ज लिया जाता है । अगर दूसरी जगहों की तरह यह कम्पीटीटिव होती तो मालूम पड़ता । आज मोनोपोली रेट से चार्ज करने पर भी जो इनका बैलेन्स शीट है और उसकी जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उससे मालूम पड़ता है कि ये फेा में नहीं चलते हैं, घाटे में चलते हैं ।जो फाइनेन्स अकाउन्ट की फाइनेन्स ओडिटेड रिपोर्ट ५४–५५ की है उससे पता लगता है कि सन् ५४–५५ में पॉवर हाउस में लगभग ५ लाख रुपये का नुक्सान था और उस वक्त था जब कि डेप्रिसियेशन फन्ड में कोई पैसा जमा नहीं किया था । नेट रिसीट (net receipt) जिसको हम कहते हैं उसमें पांच लाख रुपये की कमी थी । ५५–५६ में ६ लाख बताया जाता है । ५६–५७ में हम देखते हैं कि नेट रिसीट सिर्फ ५० हजार रूपये की होती हैं हालांकि उस साल में डेप्रिसियेशन फन्ड में ४–५ लाख रुपया डाला है । ५७–५८ का इस साल का जो इन्टेरिम बजट है उसने ५० हजार की नेट रिसीट बताई गई है, लेकिन जो हमारे मौजूदा वित्त मंत्री साहब हैं उसमें उन्होंने एक कलम चलाकर नेट रिसीट में १० लाख बता दिया है यानि १० लाख ५० हजार रुपया नेट रिसीट में बताया है । मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह बताया गया है कि पिछले एरियर्स से यह १० लाख होंगे, न कि पॉवर हाउस के इम्प्रूव्ड वर्किंग से । १० लाख इस लिए नहीं कि पॉवर हाउस का मैनेजमेन्ट, जो उसमें सुधार हो जायगा या उसमें कोई चेन्जेज की जायंगी । १० लाख का एरियर कलेक्ट करके यह बताया गया है । यानी एरियर्स कलेक्ट करके ज्यादा आमदनी बताने की कोशिश की गई है । १० लाख बताया, उसका जो ब्यौरा दिया गया है, उसमें एक आइटम है वह वहां नहीं बताया गया है, वह अलग जगह बताया गया है । कई युनिट का होता है, केपिटल सर्विसेज बजट में नहीं बताया, अलग बताया । केपिटल एक्सपन्डीचर इलेक्ट्रिसिटी पर होता है, उसका केपिटल सर्विसिंग, ब्याज सूद का होता है, केपिटल का उस ब्याज का पैसा केपिटल पर होना चाहिये । उसको इकट्ठा बता दिया है जिससे पता नहीं चलता कि इस साल ब्याज का कितना इन्तजाम किया है ? पिछले साल से एवरेज लगाया कि पॉवर हाउस को व्यावसायिक रूप से चलाना है, उस पर केपिटल इन्टरेस्ट है वह ५-६ आता है । १। करोड़ का केपिटल रख रहे हैं उसकी सर्विसेज़ का हिसाब नहीं बताया है । ५० हजार का नफा बताया उस हिसाब से तो उसकी जगह ६॥ लाख का नुक्सान होता है । कोई फर्म चलाता है तो पहले केपिटल इन्टरेस्ट का इन्तजाम करके नफा बताता है । प्रोडक्टिव युनिट होती है, उसका ४ पर्सेन्ट रिटर्न हैं, नेट केपिटल सर्विसिंग से मिलानी चाहिए । यह उसमें जाता नहीं । इसलिए यह पॉवर हाउस अनप्रोडक्टिव यूनिट में गिना जाता है । यह वर्षों से चल रहा है लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की गई है । यह एक मोनोपोली कन्सर्न है । कन्जूमर्स से पैसा लेते हैं और चीप रेट से सर्विसेज नहीं देता है इसका क्या कारण है ? मिसमेनेजमेन्ट का कारण

(श्री पी. के. चौधरी)

क्या है, उसकी जांच नहीं की है

यह पॉवर हाउस कितनी बुरी तरह से है, यहां कितनी बदइन्तजामी है उसकी मिसाल सब कुछ जानते हैं। सत्संगी साहब का इधर जिक्र चला पॉवर हाउस के सिलसिले में। ५२ में २२ लाख का गबन पकड़ा, जिसका केस आज तक चल रहा है; स्टोर कीपर थे और (एक्सीयन) एक्जीक्युटिव इन्जीनियर थे। स्टोर कीपर तो गुजर गया, एक्सीयन साहब मौजूद हैं। उनको सस्पेन्ड करना चाहिए। पहले सस्पेन्ड किया गया किन्तु बाद में जाकर स्पेशल प्लानिंग ऑफिसर बना दिया। यह एक पद है, कोई जिम्मेदारी का काम नहीं है, मुफ्त की तनख्वाह देते हैं। केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ। मेरी जहां तक इन्फॉर्मेशन है वह यह है कि पुलिस से उनको गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी थी लेकिन अब तक वह इजाजत नहीं मिली, पता नहीं कब मिलेगी ?

लीकेज होता है। पब्लिक के फाइनेंसेज का लीकेज कैसे होता है इसकी मिसाल देना चाहता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि लगभग ४७॥ लाख का कोयला कन्ज्यूम करते हैं, २०॥ लाख का तेल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज से दो साल पहले जो कोयला आता है उसके टेस्टिंग की कोई व्यवस्था पॉवर हाउस में नहीं थी। पॉवर हाउस में ए ग्रेड का कोयला इस्तेमाल होता है। लेकिन कन्ट्रैक्टर लोएस्ट ग्रेड का कोयला देकर ए ग्रेड के कोयले के पैसे लेता है। १९५६ से जाकर टेस्टिंग किया, कोयले का वेट मालूम किया। ५४ में १० लाख का घाटा मालूम होता था लेकिन ऐसा करने से कोयले के टेस्टिंग से अर्निंग केपेसिटी बढ़ गई। इस टेस्टिंग के न करने से हम वर्षों से घाटा पाते रहे। कोयले को टेस्ट करने का कोई इन्तजाम नहीं था। जो कॉन्ट्रैक्टर कहता था उसी पर पेमेन्ट हो जाता था। आज भी मैं कहता हूं कि क्वालिटी टेस्ट करते हैं अलग अलग पावर हाउस में, वह बराबर बराबर नहीं है।

दूसरी बात जो मैं जानकारी के लिये पेश करना चाहता हूँ वह यह है कि कोयले की क्वालिटी को टेस्ट करने का इन्तजाम तो किया है लेकिन क्वान्टिटी टेस्ट करने का कोई इन्तजाम नहीं किया है। यह होता है कि R. R. is true, Railway receipt is true जैसे जैसे कोयला आता है, वेगन्स लोड होकर आते हैं उसे चेक नहीं किया जाता। कुल केपेसिटी का कोयला जाता है या आधा जाता है, इसको चेक नहीं किया जाता। जो लोग काम करते हैं उनसे जानकारी ली है तो यह पता लगा है कि जो कोयला आता है, जो क्वान्टिटी आती है उसको कोई चेक नहीं करता, रेलवे रिसीट इज ट्रू, इसी बिना पर टेस्ट किया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर की ओर से रेलवे रिसीट दी जाय और उसमें जितनी क्वान्टिटी बतायी गई है बस यही टेस्ट किया। यदि रेलवे रिसीट में १०० वेगन बताये गये हैं, चाहे उनमें से आधे भरे हुए हों, कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे के आदमी साथ होते हैं, मिले हुए होते हैं और इस तरह से उनके द्वारा पैसा कमाया जाता है। यही नहीं, आर. आर. की बिनाह पर बिल आते हैं, चेक होने से पहले ही ९० प्रसेन्ट का पेमेन्ट कर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर के बिल पेश करने के बाद उस ऑथोरिटी पर ही ९० पर्सेन्ट का पेमेन्ट हो जाता है। यह कोई चेक नहीं किया जाता कि बिल में जो क्वान्टिटी दी है वह और आर. आर. में जो क्वान्टिटी है वह टेली होती है या नहीं ? मुझे यह पता चला है कि जयपुर

(श्री पी. के. चौधरी)

हाउस का कॉन्ट्रैक्टर जो कोयला सप्लाई करता है उसको इस किस्म का जो पेमेन्ट हुआ है वह काफी बड़ा अमाउन्ट है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं एरियर्स के बारे में। दस दस लाख और बारह बारह लाख के एरियर्स पड़े रहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज़ कलेक्ट करने का तरीका बदलना चाहिए। बहुत से कन्ज़्यूमर्स को सप्लाई करते हैं, म्युनिसिपेलिटी कलेक्शन करती है। कलेक्शन भी डाइरेक्टली करना चाहिए ताकि वक्त पर यदि पेमेन्ट न हो तो गड़बड़ न हो। यदि म्युनिसिपेलिटी नहीं देती है तो उनको सप्लाई बन्द कर देना चाहिये। आपको बिजनेस प्रिन्सिपल अपनाना है। यह पब्लिक प्रोपर्टी है। म्युनिसिपेलिटी ने पैसा नहीं दिया तो भी आप उसको बिजली सप्लाई करते रहे। म्युनिसिपेलिटी पब्लिक से पैसा लेती है और जनता पैसा देती है, लेकिन म्युनिसिपेलिटी का मेनेजमेन्ट करते हैं, वे मिसमेनेजमेन्ट करते हैं इसलिए एरियर में पड़ता है। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि जो म्युनिसिपेलिटी पैसा नहीं देती है उस म्युनिसिपेलिटी का कनेक्शन काट देना चाहिये और कन्ज़्यूमर्स से डाइरेक्टली डील करना चाहिए। ये दो बातें करेंगे तो काफी इन्तजाम हो सकेगा। इस तरह से इन्तजाम करेंगे तो जो घाटा आता है वह मिट जायगा और नफा देगा और दूसरी जगह पैसा खर्च कर सकेंगे।

२:०१ म, प.

दूसरी बात यह है कि यहां जो हेड ३१ में है उसको केपिटल चार्जेज़ से अलग बताना चाहिये या जो ५२ हेड रखा है इस साल केपिटल के नया इन्वेस्टमेन्ट किया जाता है और पिछली साल के केपिटल इन्वेस्टमेन्ट को अलग बताना चाहिये और वर्किंग केपिटल को अलग बताना चाहिये जो लाखों रुपयों का लगाते हैं, वह नहीं होना चाहिये।

तीसरी बात यह कहनी है मैनेजमेन्ट....

उपाध्यक्ष : Hon'ble members on my left side, you will kindly maintain decorum.

(श्री चौधरी से) Please resume.

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) पॉवर हाउस के मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है। उनके यूनियन को चलने नहीं दिया जाता है, यूनियन की स्थिति डांवाडोल है।

तीसरी बात यह है जैसे कि मंत्रीजी ने बताया कि सरकारी नौकरों के लिए ५ रु. तरक्की दी है, लेकिन आपको जान कर आश्चर्य होगा कि पॉवर हाउस के अन्दर जो वर्क चार्ज के अन्दर १५-२० साल से वर्क करते हैं उनको कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। एक आदमी, जो पर्मानेन्ट वर्कर में आता है उसको ५ रु. का फायदा होता है लेकिन पॉवर हाउस में बड़ी तादाद में वर्क चार्ज स्टाफ में काम करते हैं और जो १५-२० साल से काम करते हैं उनको ५ रु. नहीं दिये जायेंगे, यह गलत बात है क्योंकि दूसरे खाते में जो काम करते हैं और चाहे वे वर्क चार्ज में ही काम करते हों वे भी इक्वली रेस्पोन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। वे १५-२० साल के मुलाजिम हैं। इसलिये जो लोग वर्क चार्ज में काम करते हैं और जिनको ३ साल हो गये हैं उनको भी प्रोविडेन्ट फन्ड, ग्रेच्युटी, तरक्की आदि दूसरों

(श्री पी. के. चौधरी)

को जो देते हैं वही देनी चाहिये। इतना कह कर अपना काट मोशन आपके सामने पेश करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर। List number 3, serial number 23.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : Sir, I move, "That the Dimand No. XXVI-Electricity Schemes, etc. be reduced by Rs.100/-(to discuss the failure of the Government in providing electricity to such places where it was urgently needed)"

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा यह कहना है कि यह जो पॉवर हाउस की स्कीम है, बिजली घर हैं उनको सरकार ने कमर्शियल ऐजेन्सी बना दिया है। कमर्शियल एजेन्सी बनने के बाद कोई भी व्यापारी कभी भी यह नहीं स्वीकार करेगा कि उसका कंन्सर्न बराबर घाटे में चलता रहे और उसकी ओर उसका ध्यान न जाय। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो पॉवर हाउस चलते हैं वे ही नहीं बल्कि कितनी ही इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज लगाई गई हैं ; जैसे भवानी मंडी, नवलगढ़ आदि स्थानों पर, वे सारी कम्पनियें भी घाटे में चल रही हैं। या तो यह कहा जाय कि " जहां जहां पाँव पड़े संतन के तहं तहं बंटाधार " वाली कहावत लागू होती है। तो सरकार जहां व्यापार करने बैठती है वहां नुकसान में जायगी, इसलिये इस विभाग को सेवा का विभाग बनाया जावे और इस लक्ष्य को सामने रख कर काम किया जाता तो घाटा नहीं जाता। मेरा कटौती प्रस्ताव है कि जिन जिन स्थानों पर बिजली नहीं पहुंचाई गई है वहां इसलिये नहीं पहुँचाई गई है कि उसमें व्यापार हो जाता है। यदि इसमें दृष्टिकोण व्यापार का नही होकर सेवा का होता तो वहां वास्तव में सरकार की कोशिश के परिणाम-स्वरूप सब जगह बिजली पहुंच जाती। आज तहसील हैड क्वार्टर्स में भी बिजली नहीं है, छोटे छोटे गांवों की तो बात ही दूसरी है। कई डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स भी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। कुछ हिस्से प्रान्त के ऐसे हैं जहां बिजली पहुंचाने की योजना है वहां पानी की नहर पहुंचाने की भी योजना है, जैसे गंगानगर नहर की वजह से वहां पानी भी मिल जायगा और बिजली भी मिल जायगी। लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं मिलता है। ऐसे स्थानों पर यदि बिजली प्राप्त हो और उसके जरिये यदि कुए तैयार किये जायं तो पानी के लिये पूरी सुविधा हो सकती है, लेकिन सरकार बिजली का प्रबन्ध उसी स्थान पर करती है जहां पानी की सुविधा है। लेकिन केवल जहां पानी हो वहीं बिजली पैदा होती हो, ऐसी बात नहीं है बल्कि कई ऐसे स्थान हैं जहां बिना पानी के बिजली चलती है। जहां तालाब और नदियों से पानी नहीं पहुंचता है वहां बिजली पहले पहुंचे, इसका ध्यान रखना है। कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि तहसील हेड क्वार्टर्स जो हैं उनको बिजली से ५ वर्षीय योजना में कनेक्ट करें। यदि तहसील हैड क्वार्टर्स की ओर ध्यान चला गया तो दूसरे स्थानों पर भी बिजली पहुँचने में सुविधा हो जायगी। इतना कहकर ही मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी, क्रम संख्या ५६, सूची संख्या ३.

Page No.58

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : माननीय उपाध्यक्षजी, मांग संख्या २६ के ऊपर विभागीय बकाया रकम समय पर वसूल करने में सरकार की असफलता पर विचार करने के लिये जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह पेश है।

माननीय उपाध्यक्षजी, सरकार की बकाया रकम आज ही बकाया नहीं है बल्कि कई वर्षों से लाखों रुपये हमेशा चलते आ रहे हैं। इस हाउस का जब जब बजट सेशन आता है उस वक्त इस रकम के बारे में काफी बहस हो जाने के बावजूद भी और पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी में भी इस तरह का वाद-विवाद हो जाने के बावजूद भी आज तक सरकार पूरी रकम वसूल नहीं कर पाई है। अगर सरकार इस बात का ख्याल करती है और छोटे कर्मचारी और छोटी जगह रहने वाले लोगों से, तुरन्त एक महीने के बाद दूसरा महीना होता है, रकम वसूल कर लेती है और कनेक्शन काट देती है परन्तु उन पूंजीपतियों के पास से कई वर्षों से आज तक कोई वसूली नहीं हुई। इस रकम के अलावा बिजली विभाग में करीब लाखों रुपये का गबन हुआ, वह गबन जिस आदमी ने किया, वह आज भी सरकार के अन्दर ऑफिसर होकर बैठा है परन्तु नीचे का आदमी, जिसको कि फंसाया गया उसकी मृत्यु इस सरकार के कुछ आफिसरों के हाथों से हुई, और जिस कारण जनता में इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। एक मान मल पर, जो बिजली विभाग में काम करता था, दोषारोपण किया गया। बिजली विभाग में गबन हुआ, वैसे बिजली विभाग में दूसरे प्रान्तों में नहीं हुआ और उसकी रिपोर्ट आज जनता के सामने नहीं आई। राजस्थान सरकार के अन्दर इतना बड़ा गबन होने के बावजूद जिस आदमी के दस्तखत द्वारा यह गबन हुआ वह आदमी हैड ऑफ डिपार्टमेंट बना हुआ बैठा है, वह चीफ इन्जीनियर के नाम से टेम्परेरी आधार पर ऑफिसर बना बैठा है। उसके ऊपर दोष सरकार ने नहीं लगाया परन्तु जो एक क्लर्क था, उस क्लर्क की इस कारण मृत्यु हुई, उसके बाल-बच्चों के लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाल-बच्चों की बात भी आप जाने दीजिये, सबसे ज्यादा सजा उस आदमी को मिलनी चाहिये जिसके दस्तखत से यह हुआ ...

श्री उपाध्यक्ष : Speak to the point please.

श्री मुक्तिलाल मोदी : अच्छा। आज इतनी बड़ी रकम, करोड़ों की रकम पूंजीपतियों में बकाया थी, उसके लिए हाउस के अन्दर कई बार आवाज उठाई, करीब आठ लाख रुपये की रकम बिजली विभाग की बकाया थी, वह नेशनल बॉलबियरिंग फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, सिनेमा आदि के अन्दर राजस्थान सरकार की लाखों रुपये की रकम बकाया थी, उसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है ? यह नहीं होता है कि जब सरकार अपना बजट पेश करती है तो उसमें यह बताये कि पिछले साल के अन्दर इतनी रकम बकाया थी, उसमें से इतनी रकम वसूल हुई और उस वसूली के कारण सरकार को इतना फायदा हुआ परन्तु आज राजस्थान के अन्दर बिजली विभाग के अन्दर जिस तरह से घाटा बताया जाता है, वैसी दूसरे प्रान्तों के अन्दर बिजली विभाग से इनकम बताई जाती है। दूसरे प्रान्तों में हर गांव के अन्दर, हर फैक्ट्री के लिये पूरी तरह से बिजली दी जाती है, बिजली देने में पैसा खर्च किया जाता है, परन्तु राजस्थान के अन्दर, जयपुर के अन्दर पूरी तरह से आज तक बिजली नहीं दी गई, बिजली के लिये

Page No.59

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

तमाम गरीब भाई पुकार—पुकार कर रह जाते हैं लेकिन आज तक भी बिजली नहीं मिल पाई। इसके अलावा जनता के ऊपर तो इतना बड़ा टैक्स और फैक्ट्री के ऊपर तीन पैसा, ६ पैसे का टैक्स सरकार वसूल करती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समाजवाद को हम हिन्दुस्तान में लाना चाहते हैं अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन पूंजीपतियों से जो फैक्ट्री चला कर ऐशो आराम की तरफ जा रहे हैं, उनका पैसा आप लोग नहीं छीनेंगे, तब तक हिन्दुस्तान में समाजवाद कैसे आयेगा और गरीब और अमीर सब कैसे बराबर होंगे? फैक्ट्रियों के लिए तीन पैसा यूनिट और ६ पैसा यूनिट बिजली दी जाती है जब कि गरीब जनता से ६ आना यूनिट, तीन आना युनिट वसूल किया जाता है। ऐसी हालत में आज दूसरे देशों में जाकर मैंने देख लिया कि उन लोगों से बिजली दर ज्यादा वसूल करते हैं जो पूँजीपति हैं और जनता से कम पैसा वसूल करते हैं। हमारे हिन्दुस्तान में उल्टा उदाहरण है, हमारे राजस्थान में उल्टा उदाहरण है, राजस्थान में उन पूंजीपतियों पर कम टैक्स लगाना, उन पूंजीपतियों से कम बिजली का पैसा वसूल करना और इसके बावजूद उनसे पूरी तरह से वसूली न करना, यह हमारे लिए दुःख की बात है। ऐसी हालत में सरकार को चाहिए कि पूंजीपतियों पर कुछ सख्ती करे। माननीय सदस्यों को कुछ पार्टी देकर, सदस्यों को घर बुला कर ये पूंजीपति खुश कर देते होंगे.......

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यों पर क्यों आपत्ति की जा रहते है ? यहां तो व्यवस्था का सम्बन्ध है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : सरकार पर समझ लीजिये, सरकार में सदस्य भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : भ्रम पैदा हो रहा था आपकी भाषा से।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य कह दिया तो क्या हुआ ?

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बिजली की जितनी बकाया रकम है, उस बिजली के पैसे को पूरी तरह से सरकार वसूल करे और उन पूंजीपतियों के ऊपर, जिन्हें कि बड़े बड़े राजाओं के जमाने में कम पैसे पर बिजली दी थी, उन पर बिजली की युनिट की दर बढ़ायें। सरकार को चाहिए कि उनको रेट्स बढ़ाई जांय और रेट्स बढ़ाकर जो पैसा आता है, उससे, जिन्हें बिजली नहीं मिल पाती, एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बिजली पूरी तरह से नहीं मिल पाती। उन्हें बिजली देने के लिए राजस्थान सरकार व्यवस्था करेगी और किसानों को फायदा पहुँचायेगी जिससे कि राजस्थान सरकार के सामने जो उन्नति के काम है, जैसे नाज की कमी है और दूसरी चीजों की कमी है, वह पूरी हो सकेगी और उनको भी फायदा होगा। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब तक राजस्थान सरकार एक दृष्टि से नहीं देखेगी तब तक यह चीज नहीं होगी। समाजवाद हमारे राजस्थान में तो कम से कम पहले आना चाहिये दूसरे प्रान्तों के मुकाबले क्योंकि राजस्थान भी बड़ा प्रांत है....

श्री उपाध्यक्ष : समाजवाद में भेद—भाव किया जा रहा है, समानता तो हर जगह होनी चाहिये।

Page No.60

श्री मुक्तिलाल मोदी : समाजवाद में भेदभाव किया जा रहा है, यह ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ऐसी हालत में माननीय मंत्री........

श्री भैरोंसिंह : समाजवाद की भावना रूस में जागी होगी आपकी।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : वहां बड़ी सख्ती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्रीजी इस चीज के ऊपर आखिरी भाषण में कुछ बतावें कि बिजली विभाग की जो बकाया रकम थी, उसमें इतनी रकम वसूल की गई और फैक्ट्री को बिजली कम रेट्स में दी जाती है, उसको बढ़ायें........

श्री उपाध्यक्ष : इस तथ्य का चौथी बार जिक्र हो रहा है आपके द्वारा।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रकार बिजली विभाग के अन्दर मेकेनिक विभाग है, उसके द्वारा टेन्डर वगैरह इस तरह मांगे जाते हैं, वे पूरी तरह से ठीक नहीं होते। उसका भी सरकार पूरी तरह ध्यान रखे। भारत सरकार की तरफ से इन्डियन स्टोर करके एक सेन्ट्रल पर्चेज स्टोर है उसके द्वारा समान मंगवाये जायं। इसके अलावा दूसरे देशों से कोरेसपोन्डेन्स करके इस चीज को तय किया जाय तो सरकार को काफी फायदा हो सकता है। ऐसी हालत में मेरा सरकार से तथा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब आप लोगों के पास बिजली विभाग अब आया है तब उसको उन्नति की ओर ले जाकर जनता की आज जो तकलीफें हैं उनको दूर करेंगे यानी इस बिजली विभाग के अन्दर जो कमियां हैं, जो आज तक कमियां चलती आ रही हैं उन कमियों को भी दूर करेंगे और आज जो जनता को बड़ी तकलीफें हैं उनको दूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: Shri Bhairon Singh; List No. 3, Cutmotion No. 57.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) Mr. Dy. Speaker, Sir, I beg to move, "That the Demand No. XXVI–Electricity Schemes etc. be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Department in running and maintaining the Power Houses)."

उपाध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार का विभाग है जो सब जगह प्रकाश करके, उस प्रकाश में कोई गड़बड़ी करने वाला होता है उसको गिरफ्तार कराता है लेकिन इस विभाग का प्रकाश अपने विभाग में नहीं है। इस विभाग के अन्दर चाहे कितनी ही गड़बड़ी हो वह गड़बड़ी किस प्रकार से दूर की जा सकती है, वह इस बिजली विभाग के प्रकाश में नहीं देख सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पिछले ५ वर्षों में कई बार इस बात का उल्लेख आया है कि राजस्थान का बिजली विभाग किस अवस्था से गुजर रहा है। पिछले ५ वर्षों में २ जन-लेखा समितियों ने इस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकाशित की है और उसके द्वारा यह मांग भी की है कि राजस्थान बिजली विभाग की व्यवस्था दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है और सरकार को चाहिये कि इस व्यवस्था में सुधार लाये। पर उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि इस विभाग के सम्बन्ध में जैसे हमारी सरकार को कोई रुचि ही नहीं हो। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की

(श्री भैरोंसिंह)

रिपोर्ट में एक बार नहीं तीन बार, जिस समय यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, इस बात का उल्लेख किया है कि राजस्थान के इस बिजली विभाग में जितने भी स्टोर्स हैं, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जब जब भी इस सदन के अन्दर हमें सुनने को मिला है, राजस्थान सरकार के मंत्री महोदय यह कहते हुए पाये गये हैं कि स्टोर्स के फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिये ऑर्डर्स इश्यू किये जा चुके हैं, तामील हो रही है, जांच की जा रही है, इन्वेन्टरी स्लिप्स तैयार हो रही हैं, यही सब बातें कही जाती हैं।

कई बार यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार ऐसी स्थिति में है कि कोई तारीख निश्चय कर दे कि अमुक तारीख से पहले पहले फिज़िकल वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जायगा। पर तारीख निश्चित करना तो दरकिनार, कई ऐसे पॉवर हाउसेज़ का जिक्र किया गया जिनका ठीक तौर से फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, देखने को यह मामूली चीज दिखती है कि स्टोर्स का चेकिंग होना चाहिये। यदि किसी विभाग का मसला वाद-विवाद के रूप में लाया जावे तो सोचना पड़ेगा कि हमारे इस बिजली विभाग में कितना सामान आया और कितना लगा और कितना मौजूद है? पर हमारी सरकार कहती है कि हमने फिज़िकल वेरिफिकेशन कराया है। मैं भी मानता हूं कि कई पॉवर हाउसेज़ का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया है, पर जिस ढंग से फिज़िकल वेरिफिकेशन हुआ वह बिल्कुल गलत है। स्टोर्स में जितना सामान पड़ा है उसकी गिनती कर ली, इसके माने यह नहीं कि फिज़िकल वेरिफिकेशन हो गया। फर्ज कीजिये सन् १९५२ में एक स्टोर में रेफ्रीजेटर्स आते हैं, हीटर्स सरकार ने खरीदे वे काम आते हैं, सरकार ने सीलिंग फैन्स और टेबल फैन्स खरीदे वे काम आते हैं तो इस सब का फिज़िकल वेरिफिकेशन इस प्रकार की गिनती से नहीं होता कि जो चीजें स्टोर में पड़ी हुई हैं उनकी गिनती कर ली। यदि फिज़िकल वेरिफिकेशन करना है तो हमें वे सारे बिल्स निकालने पड़ेंगे, वे सारे वाउचर्स निकालने पड़ेंगे, जिन बिल्स और वाउचर्स के आधार पर हम यह मालूम कर सकें कि अमुक साल में इतना इतना अमुक अमुक सामान आया और इतना अमुक अमुक जगह काम में आया और कितना सामान आज स्टोर में मौजूद है. स्टोर में कितना बेलेंस है, फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिये यह सब देखना होगा। यदि स्टोर में एक लाख रु० का घोटाला करने के बाद भी फिज़िकल वेरिफिकेशन करते हैं तो जो चीजें निकलनी चाहिये, वे निकलती हैं और जिन चीजों की गिनती होनी चाहिये उनकी गिनती होती है, पर इसकी जांच केवल इस प्रकार की गिनती से कि स्टोर में क्या सामान मौजूद है, जांच कैसे होगी कि इतना माल स्टोर में था। वह तभी हो सकता है जब कि जिस समय से माल खरीदा गया है उस समय से लेकर वह माल खर्च हुआ है तब तक की जांच करें। पर जांच के अन्दर उपाध्यक्ष महोदय, इसे भुलाया गया है। जिस काम के लिये कोई चीज खरीदते हैं तो वह चीज लगती है कि नहीं, इसकी जांच नहीं होती।

बिजली विभाग में देखा गया है कि जितना सामान आता है, कोयले के प्रश्न को ले लीजिये, अमुक काम करने के लिये कोयला आता है, अमुक काम के लिये टूल्स आते हैं, औजार-इन्स्ट्रूमेंटस आते हैं, पर उस विभाग में आज तक जांचें नहीं हुई हैं कि इतने कोयलों से इतना काम होना चाहिये था, इतने

(श्री भैरोंसिंह)

औजारों से इतनी मशीनरीज़ ठीक होनी चाहिये थी, इतने पुराने औजारों के मुकाबिले में नये औजारों से इतना काम होना चाहिये था, वह हुआ कि नहीं। पर ऐसा नहीं होता। कोयले खरीद लिये और उम्मीद की जाय फिर इस कोयले से एक महीना काम लेंगे और अगर वह कोयला एक महीने तक काम नहीं देता तो सरकार को जांच की आवश्यकता होती है कि एक महीने के लिये कोयला मंगाया गया था वह क्यों पहले ही खत्म हो गया ? होता यह है कि जो कोयला १ महीने के लिये खरीदा गया वह १५ दिन में ही खत्म हो गया तो १५ दिन के लिए सरकार और कोयला खरीदती है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो तरीका फिज़िकल वेरिफिकेशन का सरकार ने नियुक्त कर रखा है, उसे बदल कर वाउचर्स के जरिये, बिल्स के जरिये और फार्म्स के जरिये जांच की जाकर तसल्ली की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग में घोटाले की कमी नहीं है। इस बिजली विभाग का सबसे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध तो क्या नोटोरियस व्यक्ति जो हैं, उसका जिक्र इस सदन में कई बार हुआ है कि उसने दो लाख से ऊपर बिजली विभाग के रुपये की चीजों को अपने काम में लिया है। पर मैं इसका जिक्र यों करना नहीं चाहता कि राजस्थान के गृह मन्त्रीजी में, जो कि राजस्थान एन्टी करप्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं ऐसी ताकत नहीं है कि सत्संगी के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। उनके सामने राणावत रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं, यादराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं, उनके सामने महत्व है, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया जा रहा है वह उनके राजनैतिक नेता का रिश्तेदार है। इससे एक दूसरी ही नजीर बनती है कि जितने भी इस विभाग में काम करने वाले हैं वे सोचते हैं कि जिस विभाग में इतना घोटाला है वहां यदि हम भी घोटाला करें तो हमें रोकने वाला ही कौन है ?

(श्री नागर द्वारा सदन में एक पुस्तक पढ़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Shri Nagar's attention is invited to Rule No. 219 'shall not read any book...'

(श्री भैरोंसिंह से) Yes, please resume.

श्री जनार्दनराय नागर : I am reading the book adout the subject,

श्री उपाध्यक्ष : You have got, Sir for the lobbies preparation.

श्री जनार्दनराय नागर : I am collecting matter for the cut-motions.

श्री भैरोंसिंह : वह किताब अभी भी बन्द नहीं हुई है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : Please resume.

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसी सूरत में हमें सावधानी से स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि इस विभाग के अन्दर जो एम्बेज़लमेंट के केसेज हमारे सामने आये हैं उनको हम रोक सकते हैं कि नहीं ? यदि सरकार में इस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है तो आज बहुमत के बल पर इस प्रकार की मांग जरूर मंजूर करायेगी पर उस धन-राशि का, जो इस विभाग के लिए स्वीकृत होने वाली है, उसका सदुपयोग होगा, इस बात की आशा नहीं कर सकते।

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर कभी कभी इस बात का उल्लेख भी आता है कि बिजली विभाग में जो दरें हैं, बिजली की दरें हैं उनमें भी अन्तर है। कई लोगों को रियासती रेट पर बिजली मिलती है और कई लोगों को ज्यादा रेट पर बिजली मिलती है और इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया जाता कि यह भेद-भाव क्यों ? मैंने देखा है कि राजस्थान की सरकार कभी कभी इस असमानता को दूर करने की बात कहती है मगर जिस समय काम करने की बात आती है तो उस समय उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें लोगों के साधन नहीं हैं, लोग बहुत गरीब हैं मगर उनको पूरी बिजली की रेट देनी पड़ती है और कई व्यक्ति धनवान हैं, जिनके पास काफी जरिया है उनसे बहुत कम रेट ली जाती है। कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ खोलते हैं तो कोई फैक्ट्रीज़ खोलते हैं; मगर यह नहीं देखा जाता कि उनसे उनको या किसी को लाभ होता है या नहीं, उनसे सारी पब्लिक को लाभ होगा या नहीं ? मगर इस बात को नहीं देखा जाता। उनका एक दृष्टिकोण रहता है। जो है राजनैतिक। सरकार को एक ही दृष्टिकोण रखना चाहिये। अमीर हो चाहे गरीब हो, उन सब से एक ही रेट ली जानी चाहिये। आज जो फैक्ट्रीज़ चलाते हैं उनको १।। आना पर बिजली दी जाती है, उनको उधार भी रखी जा सकती है। मगर एक गरीब आदमी है, एक महीने के बाद अपने पैसे जमा नहीं कराता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। मगर राजस्थान सरकार में जो लोग पूंजीपति हैं, राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं उनके रुपये १।। वर्ष तक जमा नहीं होते, मगर फिर भी कनेक्शन नहीं काटा जाता। जोधपुर में अभी दो-दो, तीन-तीन साल व चार-चार साल का बकाया है। उनके कनेक्शन्स अभी तक कटे नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, यहां पर जब राजाओं का प्रश्न आता है उस समय सरकार की ओर से केवल एक ही उत्तर मिलता है कि राजाओं के साथ हमारा समझौता हुआ है और उस समझौते के आधार पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेज़ और वाटर चार्जेज़ उनसे ठीक तरह से वसूल नहीं कर सकते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब ऐसी बात सुनते हैं ? मैं समझता हूं कि हमको उनके सारे ऐप्लीकेशन्स पर विचार करना चाहिये। एक राजा के पास २० बिल्डिंग्ज़ हैं। उन सब बिल्डिंग्ज़ में बिजली है, उनके वे सब बिल्डिंग्ज़ किराये पर दिये हुए हैं। वे लोग तो मकानों का किराया लेते हैं और हम उनको मुफ्त में बिजली और पानी देते हैं। हमें इन बातों पर विचार करना है। हम सीलिंग फिक्स करने की बात सोच रहे हैं मगर अभी तक वह भी तय नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में बार बार जानकारी चाही जाती है तो उसको केवल इस उत्तर से टालने की कोशिश की जाती है कि जयपुर के बारे में तय कर रहे हैं; कोटा, जोधपुर, बीकानेर आदि के बारे में तय करते हैं। कई बार यह कहा जाता है कि तय तो कर लिया है मगर उसमें सेर्टन कोन्स्टीट्यूशनल फ्लॉज़ (Certain Constitutional flaws) रह गये हैं इसलिये वसूली नहीं कर सकते। आज के युग में समाजवाद का हमारा दृष्टिकोण होना चाहिये। उसको ध्यान में रखते हुए अमीर और गरीब सब पर समान रूप से कानून लागू होना चाहिये। अगर बिजली के कनेक्शन्स गरीबों के काटे जाते हैं तो अमीरों के और दूसरे लोगों के भी काटे जाने चाहिये। इससे राजा-महाराजाओं को भी एग्ज़ेम्प्-

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं किया जावे। मैं यह कहूंगा कि न तो राजा–महाराजाओं से रकम वसूल की जाती है और न सीलिंग ही कायम किया गया है। इस सम्बन्ध के कागजात चीफ सेक्रेट्री और स्टेट मिनिस्ट्री के पास जाते हैं और कभी गृह मंत्रीजी के बस्ते में चले जाते हैं। कभी वे निर्णय करते हैं और कभी भारत सरकार की इस पर राय लेते हैं, कभी राजस्थान सरकार की राय में परिवर्तन होता है। ये सब बातें ऐसी हैं कि जिन पर हमको विचार करना है। मगर १० साल का समय निकल गया विचार करते करते, फिर भी अभी तक विचार नहीं हो पाया। लाखों रुपयों की बकाया उनमें निकलती है, जो कैसे वसूल होगी? इसके लिये इन्स्टालमेंट का तरीका हमें निकालना होगा, इन्स्टालमेंट से लें या और किसी तरह से लें, मगर फिर भी कठिनाई होने वाली है। इसके लिये एक ही तरीका है और वह यह कि उन सब को आदेश दिया जावे कि राजा महाराजाओं और साधारण व्यक्तियों के साथ जो बर्ताव होता है वही किया जाए।

इसके अलावा इस प्रकार के बिजलीघर जो चलते हैं उसके बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि जितने पॉवर हाउसेज़ चलते हैं वे सारे के सारे कॉमर्शियल बेसिस पर चालू किये जायं। सरकार को उसमें सलाहकार के रूप में ही काम करना चाहिये।

सरकारी टेलीफोन, रेफ्रीजरेटर, सीलिंग फेन आदि की बातें करें, उनका कोई हिसाब नहीं और फिर आप उस पॉवर हाउस को घाटे में बताने की बात करें, यह बात न्याय संगत नहीं है। इसका एक मात्र तरीका यही है कि हम उस पॉवर हाउस को कोमर्शियल बेसिस पर रन करें और जिस तरह कोमर्शियल बिज़नेस में एकाउन्ट मेन्टेन किया जाता है उसी प्रकार एकाउन्ट मेन्टेन करें। हमारे यहां जितनी मशीनें हैं उनका हिसाब रखें, चार्जेज़ के एकाउन्ट तय करें, मशीन के डेप्रिसियेशन चार्जेज़ वगैरह हैं तय करें और देखें की यह सब होता है या नहीं? मगर आज-कल इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहां के कर्मचारियों के पेन्शन, लीव और कन्ट्रीब्युशन के बारे में जो कुछ होना चाहिये उसके बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है।

इसके अलावा कहीं कोयले से चलने वाले पॉवर हाउस हैं और कहीं तेल से चलने वाले पॉवर हाउस भी हैं। मगर तेल से चलने वाले एक पॉवर हाउस में और कोयले से चलने वाले पॉवर हाउस की रेट्स में अन्तर है। मैं समझता हूँ कि जहां कोमर्शियल बेसिस का प्रश्न आता है वहां सरकार को चाहिये कि एक ही रेट सब जगह होनी चाहिये जिससे प्रत्येक व्यक्ति को एक कानून से, एक नियम से और एक दर से बिजली मिलती रहे। सरकार को सबसे पहले चाहिये कि पॉवर हाउस को अपने कन्ट्रोल में लेने से पहले उसके प्रोफिट एन्ड लोस एकाउन्ट्स देखे, यह देखे कि इसमें कितना घाटा है और आगे चल कर कितना लाभ होने वाला है और यदि घाटा है तो वह किस प्रकार से दूर हो सकता है। मगर इसकी तरफ भी सरकार की तरफ से कोई चिन्ता नहीं की जा रही है, ऐसा मुझे लगता है।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा हमें कई ऐसी चीजों पर ध्यान देना होगा कि बिजली के विकास के लिए किस प्रकार योजना बनाई जावे? जिस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें देख कर हमें ऐसा लगता है

(श्री भैरोंसिंह)

कि राजस्थान में पॉवर हाउस कहां कहां कायम करने हैं जहां जहां काम कर रहे हैं उनके अलावा। मैंने माननीय उपाध्यक्ष, देखा है कि राजस्थान सरकार की जितनी भी बिजली की योजनाएं हैं वे सबसे पहले राजनैतिक दृष्टिकोण से लागू की जाती हैं। सीकर के पॉवर हाउस को लेकर कई साल तक झगड़े चलते रहे। चार साल के झगड़े के बाद सरकार की सहायता से पॉवर हाउस चलेगा। कई पॉवर हाउसेज़ ऐसे हैं जिनमें घाटा है। मगर सरकार यह नहीं देखती कि उसमें कितना घाटा है और बेलेन्स शीट में कितना रुपया था। सरकार ने किशनगढ़ का पॉवर हाउस लिया, मगर उसका बेलेन्स शीट तैयार नहीं कराई गई, कितना घाटा था इसकी जांच नहीं कराई, कितना सामान था इसकी भी जांच नहीं कराई। मगर यह कह कर उसको लिया गया कि पब्लिक को सरकार द्वारा बिजली देनी है और जो पॉवर हाउस चलाता है वह उसको चला नहीं सकता, इसलिए सरकार ने उसको अपने नियन्त्रण में लिया है। मैं यह कहूंगा कि बेलेन्स शीट नहीं होने के कारण आज उस पॉवर हाउस की स्थिति खराब होती जा रही है। मगर फिर भी सरकार की तरफ से उस ओर कोई सक्रिय कदम उठाया जा रहा हो, ऐसा मालूम नहीं होता।

बिजली का प्रश्न आया, जयपुर से चौमू तक बिजली गई। उसके बाद चुनावों के समय में रिंगस तक खम्भे खड़े कर दिये। रिंगस मेरे चुनाव क्षेत्र में आता था। उस समय कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने खुले आम कहा कि भैरोंसिंह को वोट दिये तो ये खम्भे आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको इन खम्भों के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिये। मुझे अफसोस हुआ, माननीय उपाध्यक्षजी, जबकि एक तरफ राजस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति, जिम्मेदार राजनैतिक नेता आम सभा में खड़े होकर इस प्रकार का भाषण दें, लोगों को कहें कि यदि उनको रींगस में बिजली लेना है तो कांग्रेस को वोट देना चाहिये और यदि तीन खम्भों के दर्शन करने हैं तो जनसंघ के उम्मीदवार को वोट दो। मैं समझता हूं कि आज सरकार के पास पैसा है, उसके पास सत्ता है, उसके पास अधिकार हैं, उसके पास सामर्थ्य है और अगर चुनावों आदि के समय में इस सामर्थ्य का उपयोग किया तो मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र की यह एक प्रकार से तोहीन है। मैं क्या कहूं, आज कोई भी व्यक्ति जयपुर से सीकर जाने वाला कह सकता है कि रास्ते में खम्भे खड़े हैं लेकिन उन पर तार नहीं है। जब तार ही नहीं लगे तो बिजली का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो खम्भे रींगस जाने के लिए खरीदे गये थे वे खम्भे वहां न जाकर दूसरी जगह चले गए हैं। यदि रींगस क्षेत्र से कांग्रेस जीतती तो शायद वह यह काम करते या नहीं करते, लेकिन चुनाव के अंदर जिस ढंग से जीतने की कोशिश की थी वह सारी की सारी विफल रही और यदि सरकार इसी तरह चली और पक्षपात किया तो इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के खम्भे आगे न चलें। मैं कहता हूं कि ये खम्भे आगे बढ़ें। जो रींगस के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए थी वह उनको मिलनी चाहिये। यदि इन चीजों के ऊपर आम चुनाव जीतना चाहें तो यह गलत परम्परा है और यह परम्परा कभी आपके ऊपर भी लागू हो सकती है। आज अगर हम किसी की आलोचना करेंगे

Page No.66

(श्री भैरोंसिंह)

तो यह परम्परा ऐसी हो सकती है कि कल हमें भी उसका शिकार होना पड़े। कोई भी परम्परा कायम करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम कदम उठाने जा रहे हैं वह किस प्रकार का है। मैं अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें अर्ज करते हुये माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इन पॉवर हाऊसेज के सम्बन्ध में जो मैंने प्रश्न अभी सदन में उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में यदि सदन को माननीय मंत्री महोदय पूरी जानकारी देंगे तो ठीक रहेगा। अगर उनका उत्तर ठीक नहीं आया तो मुझे इन रिपोर्ट्स के आधार पर मेरे उत्तर में कहना होगा। मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट १९५६ के पेज ५ पर लिखा हुआ है, "इलेक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल डिपार्टमेंट"। इसमें लिखा है:—

"Arrears in the recovery of hire charges. —Fans, heaters and refrigerators were issued on hire to Government Servants and also to private parties by the Electrical and Mechanical Department. Under the rules of the department, hire charges were recoverable in advance. It was found that the recovery of hire charges was in arrears with the result that in April, 1956, an amount of Rs. 16,907/- was due for recovery both from Government servants and private parties."

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बल्कि इसके अन्दर एक आगे शिड्यूल दिया हुआ है, उससे यह पता लगता है कि जो फैन्स दिए हुए हैं, रेफ्रिजरेटर दिए हुए हैं तथा और भी दूसरे इलेक्ट्रिकल आर्टीकल्स दिए हुए हैं उनके बारे में पता नहीं है कि वे कहां हैं? उस शिड्यूल में लिखा है कि २ रेफ्रिजरेटर आफिसर्स (डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेन्ट) व नोन-ऑफिशियेल्स को दिए गए, जिनकी वैल्यू है ३,६००रु०, प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया गया है। सीलिंग फैन्स दिए हुए हैं ३१, टेबल फैन्स दिए हुए हैं ५०, एयर स्पीड फैन्स दिया हुआ है १, हीटर्स दिए हुए हैं ६०, इलेक्ट्रिक मीटर दिया हुआ है १, फ्लोर मिल (स्माल) १, ट्रौलीज़ ५, ठेला १, टेबल लैम्प्स ४, बल्ब २७६, कोल ८६ टन, वायर ६३ पौंड और सीमेन्ट बैग्स २०० दी हुई हैं ८७५ रुपये के कीमत की और मिसलेनियस ७१५४ रुपये के दिए हुए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सामान सरकार की ओर से दिया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है कि बिजली विभाग के अन्दर कई अधिकारी हैं जिनका सम्पर्क दूसरे उच्च अधिकारियों से होता है। उन सारे सामान का नाजायज फायदा उठाने के लिए चाहे वह सामान जो कि उन्हें दिया गया है वे उनके लिये एन्टाइटल्ड हैं या नहीं फैन्स, रेफ्रिजरेटर्स, हीटर्स आदि दे दिये जाते हैं। हमारी सरकार के नियम हैं कि किस प्रकार के अधिकारी मुफ्त में, मैं समझता हूँ कि मुफ्त में नहीं स्पेशल कन्सेशनल रेट्स पर ये चीजें ले सकते हैं। लेकिन इन चीजों का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है और न ही उनको इस चीज का ज्ञान है और यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको ज्ञान भी है तो कानून यह कहता है कि जितने भाग के लिए वह एन्टाइटल्ड है वही उनको मिलना चाहिए। आज कई अफसरों के पास इतना अधिक सामान है कि कुछ कहा नहीं जा

Page No.67

(श्री भैरोंसिंह)

सकता। यदि माननीय गृह मंत्रीजी एक्शन लेने के लिए तैयार हों तो मैं बता सकता हूं कि लोगों के घरों पर टेबल फैन्स, हीटर्स, टेबल लैम्प्स और यह कहना चाहिए कि जो सामान मैंने इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक अधिकृत रूप में बताया है, उस सामान का बीसवां हिस्सा एक अधिकारी के पास मिलेगा। यदि आप चाहें तो बता सकता हूँ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के अधिकारों का प्रश्न आता है। सभी बातें नियमानुकूल होनी चाहिए। यदि ये सारी चीजें नियमानुकूल होती हैं तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लोगों के हृदय में एक प्रकार से खटकन पैदा होती है। इसलिए इस बिजली विभाग में जो एक अव्यवस्था है उस अव्यवस्था की तरफ मैंने सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी इन सारी बातों का जिस समय उत्तर देंगे उस समय ठीक तरह से उत्तर देंगे, जिस प्रकार से ठीक तरह से मैंने उनको सारी बातें बताई। आशा है, मंत्री महोदय सारी बातों का स्पष्टीकरण करने की कोशिश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Shri Mohar Singh; List No. 4, Serial number 132.

श्री मोहरसिंह (चूरु) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है "कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक - विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयत्र में १ रु० की कमी की जाय। (बिजलीघरों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में)।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में राजस्थान के अन्दर बिजली घरों में जो अव्यवस्था है उसके बाबत बहुत कुछ कहा जा सकता है। जगह जगह बिजली घरों में अव्यवस्था है और कई जगह तो बिजली घर आधे टाइम बन्द पड़े रहते हैं। यहां तक कि जोधपुर के अन्दर भी अभी कुछ दिन पहले दो-तीन साथी मिले, जिन्होंने कहा कि इतने बड़े नगर के बिजलीघर के अन्दर बहुत भारी अव्यवस्था है, ज्यादातर वहां अंधेरा बना रहता है। इसके लिए शिकायतें की गईं और आश्वासन भी दिये गए लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक वहां कोई सुव्यवस्था नहीं हुई है। इसी तरह से कई जगहों का किस्सा है। राजगढ़—चूरू जिले के अन्दर भी कई दिनों से सुन रहे थे कि बिजली का इन्तजाम किया जायगा। उसके लिए खम्भे आदि लगवाये गये लेकिन अभी तक वहां बिजलीघर का इन्तजाम नहीं किया। एक प्राइवेट सेठ का बिजली घर से इन्तजाम कुछ दिनों के लिए रहा लेकिन उसके बाद में अब वह सारा मामला ठप्प है। इसी तरह से कुछ ऐसी बातें भी हैं कि बहुत से बिजली घरों के मालिक प्राइवेट लोग हैं और उनकी तरफ से ही बिजली घर चल रहे हैं। यह प्राइवेट लोगों के बिजली घर बड़े बड़े शहरों में चल रहे हैं। लेकिन जब तक गवर्नमेन्ट इनको अपने हाथ में नहीं लेगी उस समय तक इनका सही इन्तजाम नहीं हो सकता। कई जगह बिजलीघरों के अन्दर पैसों का गबन भी हुआ है। इसके भी बहुत से आंकड़े हमारे पास हैं। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, उसके अन्दर भी सन् ४८ से ५६ तक जयपुर के पॉवर हाउस में कोयले के सिलसिले में ६॥ लाख के गबन की शिकायत हो चुकी है। इसकी इन्क्वायरी हुई। लेकिन इन्क्वायरी के बाद जो ऑफिसर्स कुसूरवार थे उनके ऊपर आज कोई कार्यवाही नहीं की गई। राणावत जी ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि गबन हुआ है लेकिन

(श्री मोहरसिंह)

उनकी रिपोर्ट पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सन् १६५३-५४ के अन्दर कोयले के ठेके देने में भी गड़बड़ी हुई। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की कि इसकी जांच होनी चाहिये। इसकी जांच हुई लेकिन जांच की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया, यह हम लोगों के सामने नहीं आया। इसी तरह से एक और गड़बड़ी हमारे सामने नजर आई। राजस्थान सरकार ने सन् १६५६ में भारत सरकार के डिस्पोज़ल विभाग से बम्बई में एक बिजली की मशीन खरीदी। कायदे के अनुसार तो यह मशीन दो वर्ष तक नहीं बेची जानी चाहिये। खैर, वह मशीन दिल्ली लाई गई और वह एक प्राइवेट कन्सर्न को बेच दी गई। इसके बारे में भारत सरकार ने जांच शुरू की और जांच के लिए पुलिस का एक ऑफिसर आया। सन् १६५६ में आर्डर हो गया कि केस पुलिस को दे दिया जाय। अपोइन्टमेन्टस-डिपार्टमेंट में वह आर्डर गया। चीफ मिनिस्टर साहब ने इसकी फाइल मांगी। इसको अब तक पांच महीने हो गये हैं, किन्तु इस पर क्या कार्यवाही हुई, इसका किसी को मालूम नहीं है।

इसी तरह बहुत से उदाहरण बड़े बड़े नगरों तक के दिये जा सकते हैं।

मैं हाउस का ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, किन्तु इतना ही निवेदन कर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह महत्वपूर्ण विषय है और बिजली घरों का संबन्ध शहरों से है इसलिए इस चीज के अन्दर जो अव्यवस्था है उसको दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है और इसी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने एक रूपये की कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पी. के. चौधरी के कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे आशा है माननीय सदस्य अपने विचार संक्षेप में रखेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी रखते हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में ही अर्ज करूंगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जितने भी बिजली घर राजस्थान सरकार के अधीन हैं उनमें जिस प्रकार का मिस-मेनेजमेन्ट है उससे सरकार को बहुत हानि हो। रही है इसका ताजा उदाहरण किशनगढ़ का पॉवर हाउस है। किशनगढ़ के पॉवर हाउस के बारे में सदा यह कहा जाता रहा है कि वह घाटे में चलता है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वहां घाटा किस प्रकार हो रहा है? जब वह बिजली घर प्राइवेट कम्पनी के हाथ में था तब वह मुनाफा कमाता था और जब गवर्नमेन्ट ने उसे अपने हाथ में लिया तब यह कह कर लिया कि इसमें मिस-मैनेजमेन्ट है इसलिए इसको सरकार लेती हैं, लेकिन जब गवर्नमेन्ट ने उसे चलाना शुरू किया तो उसमें लगातार घाटा हो रहा है। उस पॉवर हाउस का हाल क्या है, कभी कभी तीन तीन दिन तक बिजली नहीं मिलती और कभी कभी तो सात सात दिन तक बिजली नहीं मिली है और पैसा वसूल करने का तरीका क्या है; एक दिन भी यदि बिल के पेमेन्ट में देर हो जाय तो एक आना रुपया ब्याज का ले लिया जाता है और देरी हो जाती है, तो कनेक्शन काट दिया जाता है। जो बिजलीघर सरकार की तरफ से चलाये जाते हैं वे नियमा-

Page No.69

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

सार बिजली नहीं देते और कभी बिजली बन्द भी करनी होती है तो उसका नोटिस नहीं देते। सात-सात दिन तक बिना नोटिस के ही बिजली बन्द रहती है और कई लोगों को कनेक्शन तक नहीं दिया जाता है। जब से सरकार ने बिजलीघर को अपने हाथ में लिया है तब से उसमें अव्यवस्था ज्यादा बढ़ी है। जैसा कि मेरे मित्रों ने अभी कहा कि जहां बिजली घर दूसरों को बिजली देकर प्रकाशमान करता है वहां वह खुद अन्धकार में रहता है, ऐसी ही राजस्थानी कहावत है कि "दीप तले अन्धेरा।" यह कहावत यहां अक्षरशः चरितार्थ होती है। बिजली का प्रकाश दूसरों के लिए होता है अपने घर को रोशन करने के लिये नहीं। आज यह विभाग हमारे गृह मन्त्री महोदय के हाथ में, जो दुनियां की जानो माल की और हिन्दुस्तान की जानो माल की हिफाजत करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सारे हिन्दुतान की नहीं, सिर्फ राजस्थान की।

श्री पुरुषोत्तमलाल : माननीय मेरा आशय राजस्थानी दुनियां से ही है। आज राजस्थान का बिजलीघर उन मंत्री महोदय के हाथ में है जिनके हाथ में राथस्थान की जनता की जनता की जानोमाल की हिफाजत है। आशा है वे इस महकमें में भी आवश्यक सुधार कर पायेंगे। वे यह कह सकते हैं कि इतने दिन यह महकमा दूसरे मन्त्री महोदय के हाथ में था और जब से मेरे पास आया मैंने कुछ न कुछ सुधार करने की ओर कदम बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं आप इस बिजली घर में फैली हुई अव्यवस्था की ओर ध्यान देंगे और जो कोई घोटाला है उसको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। किशनगढ़ के लिए नया बिजली घर बनाने की स्कीम कई अरसे से चल रही थी। आज से करीब पांच सात महीने पहिले जब हमारे गृह मन्त्री वहां गये तो उनके सामने जनता ने प्रदर्शन किया और मैंने भी उनसे प्रार्थना की। उन्होंने आश्वासन दिया था कि दो महीने के भीतर आपको बिजली नये बिजली घर से दे दी जायगी। उस दो महीने के बजाय आज दस महीने हो गये लेकिन नये पॉवर हाउस ने बिजली देना अभी तक शुरू नहीं किया और न पुराना ही बिजली घर ठीक तरह से काम कर रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे जहां यह महकमा दूसरे महकमे को प्रकाशमान करता है वहां उसी प्रकार इस महकमें की बुराइयों को हटाकर प्रकाशमान कर जनता को अधिक से अधिक फायदा पहुँचायेंगे।

(श्री दयाकृष्ण विजय और श्री मुरलीधर व्यास दोनों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष: The Hon'ble member on my left side at the microphone.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली घरों की अव्यवस्था के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के बिजली घर में किस प्रकार अव्यवस्था है इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। बीकानेर का बिजली घर एक ऐसा बिजली घर है जो आस पास के जिलों; रतनगढ़, चूरू, नोहर, पलाना आदि स्थानों को बिजली

(श्री मुरलीधर व्यास)

सप्लाई करता है। बिजली घर अकेला है और उसके द्वारा बहुत दूर तक पहुंचायी जाती है। हमारे बीकानेर पॉवर हाउस की व्यवस्था इस प्रकार है कि यह कई दफा आंख मिचौनी कर जाती है। ऐसे कई मौके आये हैं जिनमें दो-दो घण्टे तक बिजली बन्द रही है। इससे व्यवसाय करने वाले लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है. जो बिजली के कन्ज्यूमर्स हैं उनको हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली के बार बार चले जाने के कारण साधारण व्यापारी को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग उद्योग में बिजली से काम लेते हैं, जैसे बीकानेर का मूंदड़ा मेटल वर्क्स है, जहां मैटल के पिघलाने का काम होता है वहां यदि बिजली थोड़ी देर के लिए भी चली जाती है तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ज्योंही मैटल पिघलता है यदि थोड़ी देर के लिए बिजली बन्द हो जाय तो वह वापिस जम जाता है। इसी प्रकार छोटे-मोटे कारखाने; जैसे चक्की आदि हैं उनको भी इससे नुकसान उठाना पड़ता है।

इसके साथ साथ बीकानेर शहर के अन्दर सबसे बड़ी चीज जो है वह है बिजली। वहां बिजली का बहुत बड़ा महत्व है। बीकानेर के आसपास जितने भी कूए हैं उन सब में बिजली द्वारा पानी निकाला जाता है क्योंकि आसपास कोई तालाब नहीं, नदी नहीं जिससे पानी मिल सके। बिजली द्वारा कुओं से पानी ऊपर चढ़ाया जाता है और उसी के द्वारा आम लोगों को पानी दिया जाता है। बीकानेर पॉवर हाउस में जो टर्बाइन लगे हुए हैं उनमें से एक चलता है, बाकी टर्बाइन्स की हालत इतनी खराब है कि वे बार बार खराब हो जाते हैं। जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं वे हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे टर्बाइन काफी पुराने हो चुके हैं। जब कभी बिजली नहीं मिलती तो पानी के लिये बहुत अव्यवस्था फैल जाती है। हमने कई दफा अनुभव किया है, रात्रि को हमारी माताओं और बहनों को पानी भरने के लिये जगना पड़ता है। रात्रि को दो-दो बजे, तीन-तीन बजे पानी मिलता है; कभी दोपहर में पानी मिलता है, यह सब बिजली की अव्यवस्था की वजह है। वहां पर यदि टर्बाइन ठीक ढंग से न चले और यदि बदकिस्मती से फैल हो जाय तो वहां की डेढ़ लाख जनता को प्यासा मरने की नौबत आ सकती है। केवल बीकानेर में ही इसका असर हो, यह बात नहीं उसके आसपास के इलाके पलाना आदि में भी लोगों को बड़ी दिक्कतों में पड़ना हो सकता है।

इसके अलावा दूसरी जो व्यवस्था कनेक्शन के बारे में है वह भी ठीक प्रकार से नहीं है। इसके देने में कुछ कानून अवश्य होना चाहिये। या तो लिस्ट बना ली जाय और जिसका आवेदन पहले हो उसको पहले कनेक्शन मिलना चाहिये। देखा यह गया है कि जो कोई अपनी तरफ से कुछ दे देते हैं उनको तो कनेक्शन मिल जाता है, दूसरे लोगों को नहीं।

इसके अतिरिक्त मीटर्स जो लगा दिये जाते हैं उनकी जांच नहीं होती, यह वहां के आम लोगों की शिकायत है। वहां एक द्वारकादास डागा हैं, जिन्होंने नौ रुपया महिने से अधिक बिजली के बिल का पेमेन्ट नहीं किया। उनके एक दफा १७५ रुपये का बिजली का बिल आया। जब उन्होंने जांच के लिये इन्सपेक्टर को लिखा, जांच करने के बाद सवा

(श्री मुरलीधर व्यास)]

आठ रुपये का बिल आया। उनसे पहले १५७ रुपया तो वसूल कर लिया। यदि वे इस प्रकार की खटपट नहीं करते तो बिजली काट दी जाती। इस प्रकार की दिक्कतों का रोजमर्रा सामना करना पड़ता है।

वहां के लाभचन्द सोनी हैं, जिन्होंने अपने मीटर की जांच के लिये आवेदन किया। उसके लिये दस रुपये भी जमा करवाये लेकिन आज दो साल हो गये, उसको बराबर पैसे देने पड़ते हैं, वह भी देखते हैं बिजली के बिना काम रुक जायगा इसलिये वे देते रहते हैं, रुपये ज्यादा आते हैं लेकिन फिर भी मीटर की जांच नहीं होती, मीटर को बराबर देखा नहीं जाता। इस प्रकार कई उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि बीकानेर में बिजली की अव्यवस्था के कारण लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। मैं समझता हूँ कि ये बातें छोटी-छोटी हैं, पर इनका महत्व एक साधारण आदमी के लिये बहुत है। आज बीकानेर में बिजली का बहुत महत्व है। इसकी अव्यवस्था होती है तो लोगों का जीवन काफी दिक्कत में पड़ जाता है। तो इन अव्यवस्थाओं को देखते हुए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इस पर ख्याल करेंगे।

३.०१ म. प.

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं भी कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमारे यहां राजस्थान में, जिसमें आज से दस वर्ष पहले स्वतन्त्रता का सूर्य उगा, नई चेतना जागी, हम लोगों ने समाजवादी व्यवस्था का नारा लगाया और यह विश्वास व्यक्त किया कि हम घर-घर और गांव-गांव तक बिजली पहुँचा देंगे और इस विश्वास के साथ हमने चम्बल और भाखरा की बड़ी बड़ी योजनाओं को हाथ में लिया। आज उनके आधार पर हम कहते हैं कि हम आने वाले चन्द वर्षों में अपने देश के गांवों को विद्युत प्रकाश से प्रकाशित कर देंगे। पर जब मैं विद्युत विभाग में चल रहे घोटाले की ओर अपना ध्यान देता हूँ तो ऐसा लगता है कि जहां एक ओर हम बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर गांव गांव को विद्युत से प्रकाशित करने का सपना साकार करने चले हैं, जहां हमारा यह विद्युत विभाग अपने आप में अपूर्ण है, अक्षम है, घोटालों को लिये हुए है। जब तक हम इसे सक्षम नहीं बनाएंगे, पूर्ण नहीं करेंगे, घोटालों से सतर्क नहीं करेंगे, जागरुकता की ओर इसे सचेष्ट नहीं करेंगे तब तक मुझे यह डर है कि कहीं यह हमें इन बड़े बड़े कार्यों में, इन बड़ी बड़ी योजनाओं में, बड़े बड़े घोटालों में न पटक दे।

जैसा कि अभी प्रस्तावक महोदय ने सदन के सम्मुख यह बात कही कि इस विभाग में फिज़िकल वैरीफिकेशन नहीं होता। यह बात बहुत जरूरी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब हम इस योजना को गांव गांव ले जावेंगे तो हमारे पास लाखों करोड़ों का सामान आवेगा और आज तक भी आता रहा है। तो अगर यहां भेजे गये सामान की फिज़िकल वैरीफिकेशन नहीं की जावेगी तो यह अव्यवस्था, डिफेक्ट और खराबी इतनी बढ़ जावेगी कि इसकी फिर जांच करने की कोशिश की जावेगी तो वह होनी बिल्कुल सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए जैसा कि उन माननीय सदस्य ने सुझाव रक्खा है कि वाउचरों और बिलों के आधार पर हर चीज का

(श्री दयाकृष्ण विजय)

फिजिकल वैरीफिकेशन होना चाहिये यह बिलकुल उचित सुझाव है। केवल रजिस्टर और स्टोक के आधार पर नहीं होना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बिलों और वाउचरों के आधार पर फिज़िकल वैरीफिकेशन होने चाहिये और हर साल होना चाहिये और जितनी भी फर्में हैं या व्यापारी हैं उनसे वाउचर और बीजक की मिलान करके किया जाना चाहिये। तब मालूम पड़ेगा कि आज बिजली के दफ्तरों में जो घोटाले चल रहे हैं वे किस प्रकार के हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा वह यह है कि बिजली की दरें बहुत बढ़ी हुई हैं। जहां एक ओर समानता का आरोप लगाया गया है कि जो कुछ फैक्टरियां हैं, कारखाने हैं उनकी तो दरें इतनी कम हैं कि प्रोडक्शन से भी कम पड़ती हैं और दूसरी ओर जो सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनता अपने घरों में अगर बिजली लगाती है तो उसको काफी ऊंची दर देनी पड़ती है। तो इसके लिए मैं यह चाहूँगा कि सारे राजस्थान में हम समान दर मुकर्रर करें। आज इतनी दर बढ़ी हुई है कि एक सामान्य गरीब आदमी बिजली नहीं लगा सकता। इसलिए चाहूंगा कि ये दरें ठीक की जावें। फैक्टरियों की दरें जो बहुत कम हैं थोड़ी बढ़ायी जावें और जनता की दरें जो बहुत ज्यादा हैं थोड़ा घटाया जावे।

इसके साथ ही मैं आपका ध्यान उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारियों द्वारा बिजली के दुरुपयोग की ओर दिलाऊंगा। आज ये अधिकारी सरकारी बिजली के कई पंखे, रेफ्रीजरेटर आदि अपने यहां लगाकर बिजली का काफी दुरुपयोग करते हैं, इसकी जांच की जावे।

संक्षेप में, मैं एक बात की ओर और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिजली की व्यवस्था आज हमारी अधिकांश घाटे की है और काफी खराब है। एक छोटा सा संक्षेप में उदाहरण ही देना पर्याप्त समझता हूं। बिजली का पॉवर हाउस है एक कोटा में। उसकी मशीन आज इतनी खराब हो चुकी है कि काफी लिखा-पढ़ी होने के बाद भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई।

मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के भाषण पर बहस के दौरान में कोटा में बिजली की दुर्व्यवस्था पर संकेत करते हुए निवेदन किया था कि उस कोटा में जहां कि किसी जमाने में बिजली रात भर जलती थी आज वहां पर सरे शाम अन्धेरा रहता है; भरे बाजार में, चौराहों पर, सड़कों पर बिल्कुल अन्धेरा रहता है। आज जब हम यह सोचते हैं कि कितने उद्योग और कल कारखाने हम बिजली के आधार पर कायम करने जाने वाले हैं, वहां दूसरी ओर यह देखकर दुख होता है कि हमारे जो बिजली के दफ्तर हैं वह कितने सोये हुये हैं जिनकी निश्चेष्टा के कारण, जिनकी निष्क्रियता के कारण आज कई प्रकार से जनता को परेशानी और हानि उठानी पड़ रही है। मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। त्यौहार चल रहा है, बिजली से सारे शहर को जगमगाने की व्यवस्था की गई पर अचानक बिजली बन्द कर दी जाती है। बिजली और रोशनी देखने के लिये, बाजार की सजावट देखने के लिये मां-बहिनें बाजार में आती हैं पर अचानक इस बिजली के पॉवर हाउस से बटन दब जाता

श्री दयाकृष्ण विजय)

है और शहर की तमाम रोशनी, सजावट और खूबसूरती एकदम खत्म हो जाती है और ऐसी स्थिति में गुण्डागर्दी का भी डर रहता है। तो यह इस विभाग की अकर्मण्यता और अन्धेरगर्दी की एक मिसाल है। अगर इस प्रकार की अव्यवस्था होने का डर रहता हो, बिजली के इन्जनों के पुराना होने के कारण अथवा और किसी टैक्निकल मुश्किल के कारण, तो इस विभाग को कम से कम यह तो करना चाहिये कि पहले से इस प्रकार की सूचना पब्लिक को दे दी जाया करे। तो इस प्रकार की अव्यवस्थाओं की ओर संकेत करते हुए मैं निवेदन चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव रक्खा गया है वह उचित है और मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री सूबेदारसिंह (बाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री पी० के० चौधरी ने जो....

श्री उपाध्यक्ष : yes please.

श्री सूबेदारसिंह : कटौती का प्रस्ताव जो रक्खा है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। अगर हमारे पॉवर हाउस ठीक हों और बिजली बराबर मिलती रहे तो इससे निश्चय ही इस प्रदेश की बेकारी की समस्या के हल होने में भी एक बड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन आज जहां एक ओर हम बेकारी दूर करने की बात सोचते हैं वहां दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने बिजलीघर चल रहे हैं उनकी हालत भी दिन ब-दिन खराब होती जा रही है।

धौलपुर के बिजली के इन्जिन कोई चार-पांच साल हुए खरीदे गये थे पर ठीक से व्यवस्था न हो सकने के कारण आज वे खराब होते जा रहे हैं और आये दिन बिजली बन्द होने की शिकायतें आती रहती हैं, लोग परेशान हैं और कल-कारखाने भी बन्द होते जा रहे हैं। आज सुबह ही मुझे टेलीग्राम मिला है और ऐसे ही सात टेलीग्राम्स राजस्थान सरकार को भी मिले हैं। उन्होंने लिखा है कि अब तो वहां का बिजलीघर बिलकुल ही बन्द हो गया है। वह इस प्रकार कई बार बन्द हो चुका है। बड़ा ही अजीब तमाशा देखने को मिलता है। आटा पिसाने को गांव के किसान और दूसरे निवासी तांगा, साइकिल, रिक्शा या मोटर से अनाज के कनस्तर रख रख कर शहर से गाव की ओर दौड़े आते हैं पर इस तरह से बिजली बन्द हो जाने से उनकी परेशानी की हद नहीं रहती। अब उनका वह अनाज पिस नहीं सकता। कहने को हम कह सकते हैं कि सामाजिक स्वराज्य की स्थापना होती जा रही है और इस तरह से गांव का अनाज गांव में ही रहे तो अच्छा है, पर जहां दूसरी ओर से यह देखते हैं कि इस प्रकार बिजली न मिलने से कल-कारखाने बन्द होते जा रहे हैं तो निश्चय ही महसूस होता है कि बेकारी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है।

आज दर के बारे में भी बताऊं। धौलपुर के पॉवर हाउस में हमसे सात आने यूनिट चार्ज किया जाता है, जब कि उसके बराबर एक पड़ोसी पॉवर हाउस जो डीजल का झांसी में है, उसमें एक आना दो पाई प्रति यूनिट खर्च होता है और यहां पर इतना मंहगा पड़ता है कि ७ आना प्रति युनिट देना पड़ता है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी ८ आना प्रति युनिट बिजली पड़ती है। जो कारखाने चलाने वाले हैं वे किस प्रकार से अपने कारखानों को स्टेन्ड कर सकते हैं? कारखानेदार को मार्केट

(श्री सूबेदारसिंह)

में जाकर कम्पीटिशन में खड़ा रहना पड़ता है और जब बिजली की हाई रेट्स पड़ती हैं तो वह निश्चय ही खड़ा नहीं रह सकता। मेरी पंजाब राज्य के मत्री से बात हुई और जो भरतपुर के दीवान थे वे आज कल पंजाब में हैं, उन्होंने पुराना रेफरेन्स देकर बताया कि पिछले जमाने में महाराजा धौलपुर ने, आगरा जो वहां से २६ मील दूर है, वहां से बिजली लेने के लिए पोल भी मंगवा लिये, लेकिन हुआ क्या कि उन सबको जयपुर से दौसा तक लगा दिया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में २ पैसा प्रति युनिट पड़ता है ३६ मील भी नहीं पड़ता है। धौलपुर का बोर्डर यू. पी के बोर्डर यानि खेतों की मेडों पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के राजाखेड़ा में ट्यूब वेल्स हैं, वहां पर गांव के गांव, खेत हरियाल से लहलहा रहे हैं और इधर की मेड़ों पर देखते हैं तो रेगिस्तान दिखाई देता है। यहां पर ग्रान्ट ट्रंक रोड चलती है। इसकी पब्लसिटी भी हो सकती है, आने जाने वाले देखते हैं। राजा खेड़ा के पास ट्युब वैल चालू हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और उससे चलते हैं। वहां पर लोग कितने खुशहाल हैं जब दूसरी ओर हमारे इलाके को देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि बिलकुल सूखा है, किसान खेती नहीं कर सकते हैं। हमने कहा, हमको दे दें। भरतपुर के प्रीमियर थे, पंजाब में जाकर मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार की कमेटी बना रहे हैं कि उसमें मिनिस्टर वगैरह नहीं होंगे, एक्जीक्युटिव ओफिसर्स होंगे, कमेटी और भी होंगे और वे ही कमर्शियल बेसिस पर देने की बात करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा हो कि जहां खेत से खेत मिले हुए हैं, मेड से मेड मिले हुए हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान की ओर खड़ी देख रही है, इधर आना चाहती है, यदि आप प्रान्त का भला करना चाहते हैं तो जो बिजली राजाखेडा के पड़ौस में मौजूद है वह यहां भी ले आवें, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

दूसरा हाईड्रो इलेक्ट्रिसिटी भाखरा नांगल से बीकानेर ले जाना चाहते हैं, निश्चय ही दो तीन साल पहले नहीं ले जा सकते। राजस्थान सरकार इस ओर सोचे कि होडल और पलवल तक बिजली आ गई है तो यदि यहां लाना चाहते हैं तो उसको थोड़े समय में ही ला सकते हैं। थोड़ी बातों की ओर गौर करने से यह हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरी बातें करने से ही काम नहीं चलेगा, यह देखना होगा कि दूसरे प्रान्त क्या कर रहे हैं, उनसे भी हमको फायदा मिल सकता है या नहीं ? इस प्रकार से हमारे यहां बिजली मिल सकती है और इससे इन्डस्ट्रीज़ को भी फायदा होगा।

(घंटी)

धौलपुर का जो पॉवर हाउस है उसकी व्यवस्था क्यों खराब हुई, उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इंजन वगैरह के जो असली पार्ट वे खरीदने को नहीं मिले। बजट में प्रोविजन भी होता, है लेकिन होता यह है कि लोगों से कॉन्ट्रेक्ट कर लिया जाता है। देशी पार्ट बना लेते हैं, वहीं ढाल लेते हैं, उन्हीं से एंजिन चलाते हैं और होता क्या है कि आज लगाया और कल टूट गया। इस प्रकार एंजिन की लाइफ खत्म हो गई। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी बिजली की राहत देने के लिए पॉवर हाउस ठीक करावें और

Page No.75

(श्री सूबेदारसिंह)

रेट्स में जो विभिन्नता है उसको दूर करके उद्योग धन्धों और खेती के विकास के लिए शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करें। श्री पी. के. चौधरी ने जो मोशन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष... ....

श्री उपाध्यक्ष : Member on the remotest Corner- थोड़ा संक्षेप में चलेंगे, यह मुझे आशा है।

श्री हीरा (कुशलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है ....

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : हम गांव के रहने वाले हैं, बिना माइक के भी चल सकता है।

श्री हीरा : जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। कारण, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब तो आजादी लेने के लिए गांव गांव में, शहर शहर में आवाज उठाते थे ......

श्री उपाध्यक्ष : आप किस कटौती प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ?

श्री हीरा : बिजलीघर के।

श्री उपाध्यक्ष : कौन सा ?

श्री हीरा : बिजली घर।

श्री उपाध्यक्ष : किन सदस्य द्वारा पेश किया गया ?

श्री हीरा : श्री भैरोंसिंह द्वारा। तो आजादी लेने के लिए नारा लगाते थे कि हमारे देश में अन्धेरा है जो विदेशी सरकार की गुलामी के कारण है और गुलामपन से देश को अन्धेरे में रख छोड़ा है, हम आजाद हुए तो रात को भी उजाला रखेंगे और नई चीज करेंगे। उस सिलसिले में हमारी आवाज थी। भारत आजाद भी हुआ, उसको आजादी भी मिली, हमें आशा थी कि जो लम्बे लम्बे नारे लगाते थे, हमारी सरकार नारा लगाती थी तो अब उजाला भी करे। हम देखते रहे और हमारी सरकार पंचवर्षीय योजना बनाती रही, योजनाओं में घाटा बताती रही और हमको लालच की भावना में रख कर समय निकालती रही और वैसे का वैसा जो पहले जमाने में अन्धेरा था वह चल रहा है। कारण बड़े बड़े शहरों में और कई साथियों ने कहा कि हमारे बिजलीघर खराब हैं, सामान ठीक नहीं है, कुछ तकलीफ है, पानी आता नहीं, लेकिन हमारे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो कतई इन्तजाम नहीं है। इसीलिये हम समझ रहे थे कि जब जरूरत पड़ती है तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। हम आदिवासी क्षेत्र के हैं और छोटे २ गांवों में रहते हैं। उनको सरकार ने एक सौतेली मां के बच्चे की तरह रख छोड़ा है। उनको समान दृष्टि से नहीं लिया गया और न जरूरत ही समझी गई। इसलिये जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर फिर भी पिछली बातें भूल जायं ताकि आयंदा आने वाले जमाने के लिए यह प्रस्ताव रख रहे हैं, अतः इन प्रस्तावों पर शीघ्रातिशीघ्र गौर कर प्रबन्ध कर दें वरना प्रबन्ध नहीं करने पर आज हमारा देश है ...

श्री उपाध्यक्ष : कौन से बिजलीघर के सम्बन्ध में बोल रहे हैं ? यह तो बड़ा इधर

Page No.76

(श्री उपाध्यक्ष)

उधर चल रहे हैं। बिजलीघर बांसवाड़ा का ?

श्री हीरा : बांसवाड़ा का । बांसवाड़ा की पांच तहसीलों को । इन तहसीलों में कोई प्रबन्ध नहीं है । यदि हमको हमेशा मुंह ताकने का ही मौका देना है तो मुनासिब समझिये, नहीं तो शीघ्रातिशीघ्र इन इलाकों को ऊपर लाने के लिए इन्तजाम कर दीजिये। कारण, हमारे देश में, आस पास में बड़ी बड़ी नदियां हैं, बिजली से पानी ले सकते हैं, इस ओर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। सरकार ने हमेशा हमारे साथ वायदा किया है, नदियों का, छोटे बड़े बांधों का नाप भी करवा लिया है....

श्री उपाध्यक्ष : बांधों का मसला नहीं चल रहा है।

श्री हीरा : बिजली की बात कर रहा हूं। हमारा वाजिब भाग हमको मिलता रहना चाहिये। योजनाएं बनती हैं और हमारे सामने आ जाती हैं। बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी योजनाएं बन जाती हैं। सारे राजस्थान का इन्तजाम कर रहे हैं । यदि इन्तजाम करने की बात करते हैं तो योजनाएं बन जाती हैं और इन्तजाम डूब जाता है। इस तरह से राजस्थान सरकार हमारे साथ धोखा करे तो हमारा सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि हमारे साथ सम्बन्ध रखना था तो सरकार को कोई इन्तजाम करना था। आज १० साल हो गये। हर तीसरे साल वायदे करते रहे लेकिन कोई इन्तजाम नहीं हुआ। मैं आशा रखता हूं कि जो प्रस्ताव रखा है लेकिन कुछ होनेवाला नहीं है यदि होता है तो सरकार के सामने है। अच्छी तरह से देखे लेकिन ऐसी कोई भावना नहीं। हर साल आते रहते हैं और झूठा झूठा प्रचार होता रहता है। इसलिए बिजलीघर के बारे में बागीडोरा, कुशलगढ़, घाटोल, डूंगरपुर या खास बांसवाड़ा के आस पास बिजली से खेतों को भी लाभ पहुँचा सके और बिजली से शहर में उजाला हो सके, लेकिन सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। खेतों की बात तो डूब गई। शहरों में भी उजाला कहीं नहीं है । बिजली का प्रस्ताव रखा जाता है वह आपके सामने बुरा लगता है। देश के सुधार के लिए योजनाएं बनती हैं और माननीय सदस्य इन्कार करते हैं, कोई क्या कहता है और कोई क्या कहता है। आज हमारे देश में नया सूरज उगा है। उसके वापिस डूबने की क्या बात करें, सूरज उगने की बातें करते हैं लेकिन रखते हैं अंधेरे का अंधेरा; इसलिए बगावत पैदा करनी पड़ती है। नहीं तो बगावत पैदा करने का कोई कारण ही नहीं है । यदि सरकार हमारा इन्तजाम पूरा करती है तो हम कहें ही क्यों ? लेकिन ऐसा नहीं है । जितना काम होता है वह पक्षपात से होता है । पक्षपात से भी क्या होता है, बड़े-बड़े शहरों में कारखाने हो जाते हैं और जो छोटे शहर हैं उनकी ओर देखने की भी कोई तवज्जोह नहीं है। इसलिये ये बोखला उठते हैं। यदि योजनाओं के मुताबिक काम किया जाय तो बुरे व्यवहार की जरूरत नहीं।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बागीडोरा तहसील में इतने बड़े बिजली घर का प्रबन्ध हो सकता है लेकिन वहां पर आज तक कोई सड़क का काम नहीं हुआ है; तो बिजलीघर और बंध का क्या ठिकाना ? वैसी की वैसी हालत है। बजट जो आपने रखा है उसके मुताबिक आप काम करें तब तो आपके-हमारे अच्छा व्यवहार हो सकता

(श्री हीरा)

है। नहीं तो सौतेली मां बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करती है उसी तरह का व्यवहार आपका है। इसलिये मैं अर्ज करूं कि बिजली घर के बारे में सब ओर की रिपोर्ट आई है उसी तरह से हमारे यहां की भी यह रिपोर्ट है प्रस्ताव के साथ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member on my left side at the microphone. (श्री नाथूलाल से) Not with the turban, please. (श्री श्रीराम से) आप बोलेंगे और (श्री नाथूलाल से) आप बैठेंगे।

श्री श्रीराम बासोतिया : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अनुदान की मांग पर जो कटौती प्रस्ताव चल रहा है....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of information, Sir, does the Hon'ble Chair always go by the next side, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Kindy state your point of order.

श्री जनार्दनराय नागर : I want only to put a poiut of information Sir, Does the Chair always go on the left side ?

श्री उपाध्यक्ष : It is your conception only.

श्री श्रीराम बासोतिया (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुदानों की मांगों पर जो कटौती प्रस्ताव सदन के सामने है, उन प्रस्तावों की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४१ के विषय में मैं समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में सदन के काफी माननीय सदस्यों ने कई सुझाव व मांगे आपके सामने रखी हैं; जिस पॉवर हाउस के बारे में मैं आपके सामने निवेदन करने जा रहा हूँ उस पॉवर हाउस की व्यवस्था के बारे में सुनकर माननीय सदस्यों को काफी आश्चर्य होगा। वह पॉवर हाउस है नवलगढ़ इलेक्ट्रिकल सप्लाई कम्पनी। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले नवलगढ़ रावलसाहब ने करीब १० लाख रुपयों की पूंजी से एक लिमिटेड कंपनी बना कर नवलगढ़ में इस पॉवर हाउस की स्थापना की थी। इस पॉवर हाउस में २५ परसेन्ट शेयर गवर्नमेंट के व काफी शेयर जनता के भी हैं। वहां की व्यवस्था के बारे में मैं आप से यह निवेदन कर दूं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वैसे तो देखने में व सुनने में यह आता है कि जागीरदारी प्रथा नष्ट हो गई है। लेकिन पॉवर हाउस के रूप में नवलगढ़ में अब भी जागीरदारी प्रथा मजे में पनप रही है। इसके उदाहरण में मैं बताऊंगा, किस तरह की व्यवस्था उन्होंने पॉवर हाउस की कर रखी है। पॉवर हाउस की रेट बहुत बढ़ा दी है जिसको देखने से यह नहीं कहा जा सकता कि पॉवर हाउस घाटे में चल रहा है। इस तरह की रेट किसी भी पॉवर हाउस में नहीं मिलेगी। पॉवर की रेट जयपुर में ढ़ाई आने से तीन आना तक बताई जाती है, लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां पोवर की रेट ५॥ आना युनिट के हिसाब से चार्ज की जाती है। इसी तरह से बिजली के सवा नव आने प्रति युनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। फिर भी पिछले दिनों में गवर्नमेन्ट और जनता को गुमराह करके गलत सुझाव देकर यह बताया गया कि पोवर हाउस घाटे में चल रहा है।

(श्री श्रीराम बासोतिया)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करूं व आपकी मार्फत सदन के सदस्यों से निवेदन करूं कि जो कुछ भी किया गया है वह सिवाय व्यवस्थापक महोदय की धांधली के कुछ नहीं है। वास्तव में पॉवर हाउस घाटे में नहीं चल रहा है। पॉवर हाउस तो घाटे में चल रहा है या नहीं चल रहा है लेकिन, व्यवस्थापक महोदय तो जरूर बाधे में चल रहे हैं। इसमें शक नहीं, पॉवर हाउस में जनता के पैसों का दुरूपयोग किस तरह से किया गया है; यह जानकारी मैं आपको कराना चाहता हूं। उनके पास जो पुराना सामान व घिसे हुए इंजन थे उनको अच्छी कीमत पर नये पॉवर हाउस के मत्थे थोप दिया गया और उससे जितनी रकम मिली उसको रावलसाहब ने अपने खजाने में रखा। इसके अलावा उनकी कोठी ३ मील शहर से हट कर है। वहां पर एक डाइरेक्ट लाइन लगाई गई जिसका जनता की लाइन से कोई सम्बन्ध नहीं रखा गया। वहां जेनरेटर अलग लगाया गया और ५०,००० रु. खर्च किये गये अकेले रावल साहब के लिए। यह सब खर्चा पोवर हाउस के मत्थे मढ़ा गया। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूं कि पोवर हाउस की व्यवस्था इस तरह की है कि पोवर हाउस को एक तरह का यतीमखाना बना रखा है। अपने महरबान और रिलेटिव थे जिनको अपनी प्राइवेट सर्विस में रखते थे उनको वहां नहीं रख सकने के कारण पोवर हाउस में रखा गया है। जहां तक नौकर रखने का सवाल है, मेरा कोई विरोधी नहीं है। लेकिन रावलसाहब जिनको पेन्शन के रूप में या अन्य किसी रूप में सहायता दिया करते थे वह रकम अपने खर्चों में कम करके आज पॉवर हाउस पर थोपी गयी है। उदाहरणार्थ किसी समय ठिकाने का कूआ बताते समय एक आदमी का बाप कूए में दब कर मर गया, तो आज इसके लड़के की नौकरी पॉवर हाउस में चालू है। चाहे वह समय पर आवे या न आवे लेकिन उसकी नौकरी इसलिए चालू है कि किसी समय उसका बाप ठिकाने की सर्विस करता हुआ मर गया था। नई रेट्स जो बढ़ाई गई, उसमें यह बताया गया है कि पावर हाउस घाटे में चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, यह बिल्कुल गलत बात है। जनता को और गवर्नमेंट को धोखा देने के लिए उन्होंने कहा है कि बिजली कम्पनी में घाटा है। वहां की जो व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए रावल साहब ने ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने शेअर होल्डरस् को गुमराह करने के लिए कहा है कि घाटा है। मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ कि एक नई तरह का विनिमय बिजली कम्पनी में हुआ था, शायद माननीय सदस्यों ने इस तरह का हवाला कभी नही देखा होगा। उन्होंने क्या किया था? अपनी कोठी पर एक प्राइवेट इंजिन बैठा रखा था अपनी सुविधा के लिए। पिछले दिनों में उन्होंने क्या किया? उस इंजिन से रात के १० बजे से लेकर ६ बजे तक बिजली अपने यहां से जनता को देते थे। बिजली देने के प्रति मुझे विरोध नहीं, लेकिन उसके बदले में क्या था, रात के १२ बजे से लेकर ६ बजे तक जो बिजली देते थे पावर हाउस से उसका ८ आने प्रति यूनिट से पैसा वसूल करते थे और दिन में बिजली उसी पावर हाउस से खेती के लिए लेकर तीन आना यूनिट पावर हाउस को देते थे।

श्री रामकिशोर व्यास : यह पावर हाउस गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट है।

श्री श्रीराम बासोतिया : इसमें गवर्नमेंट का २५ प्रतिशत शेअर है। व गवर्नमेंट की तरफ से एक डाइरेक्टर नामजद है।

श्री रामकिशोर व्यास : It is a private limited concern. जो प्राइवेट कम्पनीज़ हैं, उनमें गवर्नमेंट दखल नहीं करती।

श्री जनार्दनराय नागर : यह मान लिया जाय कि जो प्राइवेट पॉवर हाउस चलाते हैं, उनके मामले में उन लोगों को कहने का हक नहीं जिनके यहां गवर्नमेंट अपने पॉवर हाउस नहीं चला रही है। मैं चाहता हूं कि अव्यवस्था के हित में, तथा विद्युत प्रसार की जो नीति है उसकी दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कहने दिया जाय। आरम्भ रखिये।

श्री श्री राम बासोतिया : माननीय उपाध्यक्ष ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप संक्षेप में चलेंगे।

श्री श्रीराम बासोतिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूं कि उस पॉवर हाउस की मैनेजिंग कमेटी में, गवर्नमेन्ट की तरफ से एक डाइरेक्टर नियुक्त है। मैं नहीं समझता प्राइवेट पावर हाउस में गवर्मेन्ट की तरफ से डाइरेक्टर नियुक्त करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे मन्त्री महोदय के उत्तर से संतोष नहीं है। आप एक तरफ तो पॉवर हाउस को प्राइवेट बता रहे हैं दूसरी तरफ गवर्नमेन्ट की तरफ से डाइरेक्टर नामजद होता है, वह मैनेजिंग कमेटी में दिलचस्पी लेता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो विनिमय किया गया बिजली का और जो आठ आने चार्ज करते हैं अपने प्राइवेट इंजन से बिजली सप्लाई कर और सगेरे बिजली तीन आने यूनिट के हिसाब से अपने खेतों में काम में लाते हैं, इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि वास्तव में घाटे का कारण क्या है। उसको दूर करने के लिए कोई चेष्टा व्यवस्थापक की तरफ से नहीं की गई। और अन्य अन्य बातें बतला कर गवर्नमेन्ट को धोखे में देकर बिजली के चार्जेज बढ़ा दिये हैं, जो नहीं बढ़ाये जाने चाहिए थे। मैं आपसे निवेदन करूं, घाटा जो बताया जाता है, वह यह कह कर बताया जाता है कि पावर हाउस में घाटा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहां जनता की मांग इतनी है, कि पॉवर वहां पर हर एक आदमी को मिल नहीं रहा है। जो पावर दे रहे हैं उसका पांच आना पर यूनिट चर्ज करने के बाद भी पॉवर हाउस में घाटा बताया जाता है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि पॉवर हाउस घाटे में है क्या? जनता की मांग बिजली के लिए बराबर है, ऐसी हालत में यह सारा बोझ जनता के उपर डाल रहे हैं। सरकार का इस पॉवर हाउस में सवा लाख रुपया लगा हुआ है, जनता के भी काफी शेयर्स पॉवर हाउस में हैं। मुझे विनोबा भावे के वे शब्द याद आ रहे हैं कि आजादी का सूर्य उदय हुआ, लेकिन उसकी किरणें मंत्री महोदयों के बंगलों तक ही पहुँच पाई हैं, जन साधारण के घरों में नहीं पहुँच पाई हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि

Page No.80

(श्री श्रीराम बासोतिया)

ऐसी व्यवस्था आप करवा दें, कि जो रावल साहब की कोठी में बिजली किरण है, वह जन साधारण के घरों में भी सस्ते रूप में आये।

(अनेक माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री जनार्दनराय नागर : I have got a priror right because I rose first of all.

श्री उपाध्यक्ष : Again the hon'ble member on my left side.

श्री नाथूलाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग नं० २६ के ऊपर माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir. Mr. Dy. Speaker, arrangement may be made so that you can get the voice from the right, left and the front sides.

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble member will please realise that the Chair has got no sides.

श्री नाथूलाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६ में जो माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनका मैं समर्थन करता हुआ आपका ध्यान इस बिजली स्कीम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल जयपुर का पॉवर हाउस है, उसके सम्बन्ध में मैं कहूं कि जैसा काम चल रहा है, वह ठीक है लेकिन जयपुर शहर के लिए ही पावरहाउस नहीं है, जयपुर के आस–पास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हैं। जयपुर पावर हाउस द्वारा शहर आस–पास बिजली पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं बन पड़ा है। माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : मैं उपाध्यक्ष हूं, यह ध्यान रखें।

(हंसी)

श्री नाथूलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा कस्बा सांगानेर है जहां राजस्थान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है....

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order, Mr. Dy. Speaker

श्री उपाध्यक्ष Yes, state your point of order,

श्री पी. के. चौधरी : I feel that when the Dy. Speaker presides in the House he should be addressed as Speaker.

श्री उपाध्यक्ष : We do'nt want to enter into a controversy. Your point of order has not been well taken.

श्री नाथूलाल : सांगानेर में राजस्थान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा मौजूद है....

(श्री जनार्दनराय नागर के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order please!

श्री जनार्दनराय नागर : Will the Chair be pleased to clear this point which my friend Mr. Chowdhary has raised ?

श्री उपाध्यक्ष : The Deputy Speaker has to be addressed as Deputy Speaker though under the definition as laid down in the rules the Speaker includes the Deputy Speaker as well.

श्री नाथूलाल : सांगानेर कस्बा जयपुर के नजदीक ही है और वहां पर एक बड़ा भारी हवाई अड्डा है। उस कस्बे के अन्दर गवर्नमेंट की तरफ से बाजार में बिजली की रोशनी का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से शहर के अन्दर व कस्बे के बाजार के अन्दर बिजली की रोशनी का प्रबन्ध होना जरूरी है।

दूसरी अर्ज यह है कि जयपुर जिले के अन्दर दौसा तक बिजली पहुंच गई है, दौसा से माननीय भूतपूर्व मंत्री श्री रामकरण जोशी के बगले तक बिजली पहुँच गई है लेकिन लालसोट तक बिजली नहीं पहुँची है। वहां तक बिजली के खम्भे खड़े हुये हैं। लालसोट से गंगापुर तक भी बिजली के खम्भे खड़े हुए हैं। मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूं कि जब बिजली भूतपूर्व मंत्री श्री रामकरण जोशी के बंगले तक चली गई है, तो लालसोट तक बिजली ले जाने में क्या मुश्किलात पड़ रही हैं, वह वहां से बहुत थोड़ी दूर है। मैं अर्ज करूंगा कि खम्भों पर जल्दी से जल्दी तार खिंचवा दिये जायं और बिजली वहां तक पहुँचा दी जाय तो बहुत ही अच्छा होगा और चाकसू व बस्सी कस्बों में भी बिजली पहुँचाने का प्रबन्ध किया जावे।

तीसरी अर्ज यह है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो लालसोट से गंगापुर तक खम्भे खड़े हुए हैं उन पर भी बिजली के तार लगवा दिये जायं।

अब मेरी अर्ज यह है कि जयपुर जिले के लिये, पिछली पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, बिजली काफी मात्रा में गांवों में पहुँचाई जावेगी और ग्रामों में काफी सुधार किया जायगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछली पंचवर्षीय योजना में बिजली में कोई उत्थान नहीं हुआ है। जयपुर के नजदीक जो कस्बे हैं, वहां बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कृपा करें। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि........

(घंटी)

लालसोट तक, तथा लालसोट से गंगापुर तक बिजली जल्दी से जल्दी पहुंचाई जाये।

दूसरी अर्ज यह है कि जयपुर के अंदर बिजली की दर जो सर्व साधारण के लिए कायम कर रही है वह ठीक नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है।

श्री नाथूलाल : एक मिनिट और दीजिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा शुरू कीजिए।

श्री नाथूलाल : बिजली की दर जो सर्व साधारण के लिए रखी है उसमें सुधार किया जाय।

इतना कहते हुए माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जो प्रस्ताव इस बारे में रखा गया है वह अवश्य पास किया जावेगा।

Page No.82

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar.

एक माननीय सदस्य : ग्रोन ए पोइन्ट ग्रॉफ ग्रोर्डर, सर, उस बैंच के बाद तो इस बैंच का नम्बर आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : Well, this is a question of exercising discretion and you will wait for it. Yes, continue.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय उपाध्यक्ष, जो कटौती का प्रस्ताव बिजलीघरों की व्यवस्था के बारे में रखा गया है, जाहिर है कि उसके समर्थन में तो मैं खड़ा नहीं हुआ हूं : लेकिन इस कटौती प्रस्ताव के मूल में, मुझे ऐसा लगता है कि एक नीति का सवाल साथ साथ चल रहा है और मैं उस ओर आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के अन्तगत पिछले ३ साल में राजस्थान में सरकार द्वारा बिजलीघरों के विस्तार की योजना बनाई गई थी और उस समय उदयपुर डिवीजन में कुछ जगह सुन्दर बिजलीघर स्थापित करने का कदम उठाया था, पर हमारे में उदयपुर कंकाल बिजलीघर स्थापित करने का कदम उठाया था । मैं अंग्रेजी शब्द "Skeleton" का अनुवाद बोल रहा हूं । भीलवाड़ा में और दूसरी जगह कंकाल बिजलीघर कायम किये और उन बिजलीघरों का निकटतम भविष्य क्या है, इसके बारे में द्वितीय पंचवर्षीय आयोजन में अपनी नीति से बहुत स्पष्ट किया है ।

प्रथम पंचवर्षीय आयोजन के पिछले ३ वर्षों में उदयपुर डिविजन में कुछ बिजली घर खड़े करने की नीति को अख्त्यार किया । इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ, पर बड़े दुःख के साथ कहता हूँ कि जहां तक उदयपुर डिवीजन के अन्दर विद्युत् प्रसार के कार्य का प्रश्न है, हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है । उदयपुर डिवीजन का विद्युत् प्रसार दृष्टि से को भविष्य न तो बहुत प्रकाशमय है और न एकदम अन्धकारमय है, मध्यम स्थिति में है, बड़े शशोपंज में पड़ा हुआ भविष्य है ।

उदयपुर में सन् ५४ में विद्युत प्रसार के सम्बन्ध में एक नीति का सवाल, एक आवश्यक प्रश्न का सवाल चला आ रहा है, उसके बारे में मैं आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे अभी एक माननीय मित्र ने नवलगढ़ की विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा उसी तरह उदयपुर का बिजलीघर इन्दौर के एक पूंजीपति द्वारा चलाया जा रहा है, दिवंगत महाराणा के राज्य में वहां का बिजलीघर सेठ को बेच दिया गया, तभी से जनता और बिजलीघर का बड़ा प्रसिद्ध सम्बन्ध रहा है । सन् ५४ में एक अन्तिम आन्दोलन बिजलीघर को लेकर हुआ और उस समय राजस्थान के जिम्मेदार अधिकारी जो थे उन्होंने इस आन्दोलन के बतौर जो एक मांग थी उसे न तो पूरा स्वीकार किया और न पूरा अस्वीकार ही किया, उस मांग को पूरा का पूरा अधर में छोड़ दिया ।

मैं यह चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में विद्युत प्रसार का उज्ज्वल भविष्य हो । पर प्रश्न यह है कि यह हो तो कब हो ? आश्वासन दिया गया कि प्रतापसागर बांध से, गांधीसागर बांध से बिजली आने वाली है । मुझे अच्छी तरह याद है कि चम्बल के प्रोजेक्ट से बिजली फैलाने की सरकार की योजना में तब्दीली हुई है पर चम्बल से विद्युत की

(श्री जनार्दनराय नागर)

लाइन्स निकालने का जो नक्शा था उसका मुझे ध्यान है, कुछ स्थानों को छोड़ कर उदयपुर डिवीजन के सब स्थानों को छोड़ दिया गया था, इस व्यू में चेंज हुआ है। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा कि प्रताप सागर बांध से, गांधी सागर बांध से उदयपुर डिवीजन को बिजली दी जायगी, पर वह कब होने वाला है? द्वितीय पचवर्षीय आयोजन में इन कंकाल बिजलीघरों का नक्शा बदल जाय, मैं समझता हूँ यह मुमकिन मालूम नहीं होता।

उदयपुर में जो व्यक्तिगत पॉवर हाउस चल रहा है उसके बारे में माननीय उपाध्यक्ष, उदयपुर सिटी म्युनिसिपल कोर्पोरेशन के भूतपूर्व मेयर श्री निरजननाथ आचार्य ने जो रिपोर्ट दी है उसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ ....

श्री उपाध्यक्ष : Persons are rarely discussed in the Assemblies.

श्री जनार्दनराय नागर : I was referring. भूतपूर्व मेयर ने हमारे यहां जो व्यक्तिगत मिल्कियत का पॉवर हाउस है उसके सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है, यह उल्टी गंगा का बिजलीघर है। हमारे उदयपुर में जो विद्युत का मूल्य लिया जाता है वह बड़ा विचित्र है, वैसा समस्त पृथ्वी मंडल पर कहीं नहीं होगा। भू-मंडल में जहां कहीं बिजली दी जाती है तो यह होता है कि जहां अधिक से अधिक यूनिट खर्च करेंगे तो फिगर्स आफ रेट कम होंगे, पर हमारे उदयपुर में ज्यों ज्यों ज्यादा यूनिट खर्च करेंगे त्यों त्यों ज्यादा रेट बढ़ेगी। मैं उदयपुर सिटी कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व मेयर के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि उल्टी गंगा का यह बिजलीघर है। १४ युनट खर्च करेंगे तो ६ आना रहेगा, अगर इससे ज्यादा २० युनिट खर्च करेंगे तो और ज्यादा दर चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा युनिट खर्च करेंगे तो और ज्यादा रेट चार्ज होगी। इस प्रकार का अजीब सा किस्सा वहां होता है।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि व्यवस्था-अव्यवस्था के उपरान्त नीति का सवाल हमारे सामने आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में बिजलीघरों के विकास, विस्तार और विद्युत् प्रसार का क्या नक्शा है, क्या नीति है? क्या उदयपुर डिवीजन में जावर माइन्स नहीं है, क्या उदयपुर डिवीजन के पहाड़ों में अनेक बहुमूल्य धातुएं और खनिज पदार्थ जो आज तक सोये हुए पड़े थे वे आज जाकर बाहर आने को उतावले नहीं हो रहे हैं? आज उदयपुर डिवीजन की चप्पा २ जमीन और धातुएं औद्योगिक संभावनाओं को विकसित करने के लिए चिल्ला रही हैं। पर वह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हमें सस्ती से सस्ती बिजली की सुविधाएं नहीं मिलें।

मैं यह नहीं कहता कि प्रतापसागर बांध से बिजली नहीं मिलेगी, गांधीसागर बांध से बिजली नहीं मिलेगी; मिलेगी, पर मिलेगा तब मिलेगी। फिर आज क्या हो?

उदयपुर के बिजलीघर को लेकर आज से ३ साल पहले आन्दोलन किया था और मांग की थी कि राजस्थान सरकार इस बिजली घर को अपने हाथ में ले ले, पर वह मांग अधर में रह गई। यह हम समझ सकते हैं कि गांधी सागर बांध से विद्युत्‌शक्तियां दी जाने

(श्री जनार्दनराय नागर)

वाली हैं, पर क्या इसी सुनहरे भविष्य की आश लगाये बैठे रहें ? सस्ती से सस्ती विद्युत शक्ति के बिना उदयपुर डिवीजन का सारा का सारा विकास, सारी की सारी प्रगति रुक रही है। उनका विकास कैसे होने वाला है ?

मैं नीति के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूं और मैं इस कटौती के प्रस्ताव के पक्ष में नहीं, पर नीति का जो सवाल हमारे सामने आया है, उस पर मैंने अपने विचार प्रकट किये हैं। सरकार की नीति है कि राजस्थान में जितने बिजलीघर हैं उनका राष्ट्रीयकरण नहीं तो राज्यकरण कर लिया गया है। जब सारे राजस्थान में राज्य के बिजलीघर राज्य के प्रयत्नों के द्वारा बिजली देना चाहते हैं तो उदयपुर में दो-तीन स्थान क्यों छोड़ दिये जाते हैं ? तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में उदयपुर डिवीजन को गांधीसागर बांध से या प्रताप सागर बांध से बिजली मिल सकती है, पर सवाल यह है कि आने वाले १० वर्षों तक उदयपुर डिवीजन क्या करे ? नाथद्वारा है, कपासन है, भीलवाड़ा है, सलूबर है, इस प्रकार कई प्रसिद्ध कस्बे और शहर हैं जिनमें विद्युत का कोई सुझाव अगले १० वर्षों में नहीं दिखाई देता। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बारे में, उदयपुर डिवीजन के बारे में निश्चित नीति का विवरण इस सदन को देना चाहिये और हम लोगों को विश्वस्त करना चाहिये।

श्रीमती डॉ॰ चन्द्रकला (किशनपोल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अनुदान की मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ४१ पर प्रस्तुत किये गये माननीय सदस्य श्री पी. के. चौधरी के कटौती प्रस्ताव संख्या १० के समर्थन में बोलते हुए दो एक छोटे मोटे सुझाव सदन के सामने रखना चाहती हूँ।

इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिजली हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक चीज है। एक तरफ वह हमारे प्रतिदिन के जीवन के सुख सुविधाओं का साधन है तो दूसरी तरफ राज्य के छोटे मोटे उद्योग धन्धों के विकास का प्राण भी है। इसलिये बिजली के विकास के लिये समुचित धन राशि की मांग की जाना और उसको स्वीकार करना उचित है। स्वीकृत धन के द्वारा बिजली उत्पादन के लिये आवश्यक यंत्रों की व्यवस्था, उनके संचालन की व्यवस्था आदि करके प्रान्त का विकास कार्यों में बहुत बड़ा योग दिया जा सकता है।

मैं यहां पर केवल इतना ही ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि हम जहां पर यंत्रों के विकास की बात सोचते हैं, हथियारों को इकट्ठा करने की बात सोचते हैं, उनको अच्छे से अच्छा उपयोग करने की बात सोचते हैं वहां पर हमको इन सब के साथ ही यंत्रों के संचालन करनेवालों, दो हाथों-श्रमिक वर्ग की बात पर भी सोचना होगा जिसकी तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। अतः हमको यंत्रों तथा यंत्र संचालन करनेवाले मजदूर वर्ग की स्थिति को सुधारने की दिशा में भी सोचना है।

माननीय उपाध्यक्ष, आजादी की दशाब्दी होने को आई, पर हमारे से श्रमवर्ग, श्रमिक वर्ग को स्वराज्य का कोई भी सुख अनुभव नहीं हुआ और न कोई ऐसी चीज ही देखने को आई जिससे वे अपने आप को सुखी अनुभव करते हों। स्वतन्त्र भारत में जब कि उनको अनुभव होना चाहिये कि वे भी हमारे राष्ट्र के नागरिक हैं और उनका राष्ट्र की उन्नति में बड़े से बड़ा योग होना

Page No.85

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

चाहिये; वे जीवन की सामान्य सुविधाओं से वंचित रह कर वही गरीबी का जीवन बिता रहे हैं। स्पष्ट है कि जब उनका योग होगा तभी राष्ट्र के बड़े बड़े कार्यों में हमारी प्रगति हो सकेगी। मगर आज हम देखते हैं कि लोगों में आज भी वही शासक और शासित की भावना है, मालिक और नौकर की भावना है। वे लोग नौकरी करते हैं और उनका मतलब होता है काम के कुछ घन्टों से और उसके बदले में मिलने वाले कुछ पैसों से। बड़ी खुशी की बात है कि हमने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कुछ किया है मगर वास्तव में बहुत सारा सहयोग उनका हमको नहीं मिलता है। मैं यहां जयपुर की बात सदन को बताना चाहती हूँ। यदि हम पॉवर हाउस (बिजलीघर के) मजदूरों-और उनकी बस्तियों की हालत को देखें तो आपको मालूम होगा कि उनकी क्या हालत है ? जयपुर में हवाली शहर गरबी के बस्ती सीतारामपुरा, नारीका नाका, हसनपुरा को देखें तो आपको और हमको मालूम होगा कि अभी भी वहां के रहनेवाले मजदूर सारी नागरिक सुविधाओं से वंचत हैं। न उनके लिये रहने की कोई सुचारु रूप से व्यवस्था है और न बिजली और पानी की ही सुविधा है। आज हम यहां पर आश्चर्य के साथ सुन सकते हैं कि पॉवर हाउस सारे शहर को बिजली दे सकता है, परन्तु हम देखते हैं कि उसमें काम करने वाले लोगों की बस्तियों के लिये एक एक बल्ब के लिये बहुत कोशिश करनी पड़ती है। यही नहीं, जहाँ पांच पांच हजार घरों की बस्तियां हैं वहां पर भी पानी पीने के लिये नल की व्यवस्था नहीं है और न कूएं की ही व्यवस्था है। कितने खेद की बात है कि आज जो लोग बिजलीघर में काम करके हमारे बाजारों को रोशनी देते हैं, पानी देते हैं. उनके यहां पर इस तरह की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को मेरा एक छोटा सा सुझाव है; यदि हमको उन मजदूरों की शक्ति को विकसित और सुसंगठित करना है और उनके द्वारा काम को सुव्यस्थित चलाना है, काम को अच्छे से अच्छा करने में उनका पूरा पूरा योग लेना है और स्वीकृत धन से राशि का उपयोग अच्छी तरह से करना है तो हमें उन श्रमिक वर्ग के लोगों की हालत को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिये और जल्दी से जल्दी उनकी भावनाओं को छूकर उनके सहयोग को उपलब्ध करने के लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये। आवश्यकता इस बात की है कि हम जन-शक्ति के मूल्य को समझें और राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों में उसका उपयोग करें।

दूसरी छोटी सी बात जयपुर शहर के बारे में है और वह यह है कि जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड और सरकार में आपस में दल बन्दी और गुटबन्दी चल रही है और इस कसमकस में सरकार और जनता को बहुत नुकसान होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जयपुर के पॉवर हाउस का काम सारा जयपुर का सरकार के हाथ में है और बिजली की व्यवस्था शहर में करने का काम म्युनिसिपेलिटी का है। माननीय उपाध्यक्ष, जब मैं अपने क्षेत्र में जाकर उन मजदूर बस्तियों की दशा सुधारने की बात करती हूं वहां बिजली और नल लगाने की बात करती हूं तो सरकार और म्युनिसपेलिटी दोनों अपनी मजबूरियां बताती हुई एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टाल देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जनहित के कार्यों में आपस में एक विभाग

(डॉ० श्रीमती चन्द्रकला)

का दूसरे विभाग से सहयोग होना चाहिये। ये सब संस्थाएं आपस में बहिन संस्थायें हैं, आपस में अन्योन्याश्रित हैं। हमें चाहिये कि भेद भावों को दूर करें और यदि म्युनिसिपेलिटी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो सरकार को चाहिये कि उसको दूर करे और पॉवर हाउस व म्युनिसिपेल्टी को मिल कर काम करना चाहिये और एक दूसरे को सहयोग देना चाहिये। ये ही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बिजली के विकास में ही नहीं राष्ट्रहित के कार्यक्रमों में बाधक बनती हैं और मैं आशा करूंगी कि इनबातों को दूर करके हमारी सरकार उन श्रमिकों का पूरा पूरा उपयोग राष्ट्र के विकास के लिये करेगी।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष विद्युत विभाग के पॉवर हाउस की दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में और इस दुर्व्यवस्था को दूर करने में सरकार के असमर्थ होने की बात पर श्री पी० के० चौधरी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसके संबन्ध में मैं दो शब्द निवेदन करूंगा।

नये पॉवर हाउस बनाने की बात तो दूर रही, सरकार पुराने पॉवर हाउस को मेन्टेन करने में ही असफल रही है और बिजली का जो विषय है वह एक महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय है और यह सुविधा हर एक नागरिक को और हर एक शहर व कस्बे में व हर एक गांव में मिलना अत्यन्त आवश्यक है। मैं सदन का अधिक समय न लेकर सिर्फ दो उदाहरण यहां प्रस्तुत करूंगा जिससे मालूम होगा कि इस विभाग में कितनी दुर्व्यवस्था है।

अभी हाल ही में एक माननीय सदस्य ने कोटा के पॉवर हाउस का जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोटा का पॉवर हाउस, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया आज से ३०-३५ वर्ष पहले बना था उस समय कोटा की आबादी सिर्फ ३५. ४० हजार थी। आज कोटा की आबादी बहुत बढ़ रही है और लगभग एक लाख की आबादी हो गई है। कोटा एक बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र होने जा रहा है। यहां चम्बल जैसी महान् योजनाएं चल रही हैं। कोटा डिवीजनल हैडक्वार्टर है। वहां पर रेलवे डिवीजनल हैडक्वार्टर है। शीघ्र ही कोटा में रेलवे के वैगन रिपेयर का कारखाना भी चलने वाला है, और भी बहुत से कारखाने खुलने वाले हैं। जब कोटा एक इतना बड़ा और महत्वपूर्ण शहर होने जा रहा है और वहां पर पॉवर हाउस की इस प्रकार दुर्व्यवस्था है, यह बहुत गम्भीर बात है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह आपके द्वारा विद्युत विभाग के मंत्री से कहना चाहता हूँ कि यदि यही दुर्व्यवस्था चलती रही तो जल्दी ही मौजूदा पॉवर हाउस में ब्रेक डाउन हो जायगा और चारों तरफ शहर में अन्धेरा नजर आएगा। आज भी हम आये दिन देखते हैं कि गलियों और सड़कों पर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। यह सब पॉवर हाउस की दुर्व्यवस्था के कारण है और यह सब माननीय मंत्री के लिए विचारणीय है। इसीलिए मैंने यह बातें सदन में रखी है कि माननीय गृह मंत्री जी इन पर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इस दुर्व्यवस्था को दूर करने की बात सोचें। इस दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए पहले सरकार ने दो एन्जिन यहां लाने की बात सोची थी। लेकिन आज करीब तीन-चार साल हो गए वह इन्जिन तो क्या एक एन्जिन भी पॉवर

(श्री रामेश्वरदयाल)

हाउस के अन्दर नहीं आया है। इस प्रकार की दुर्व्यवस्था अब अधिक दिन बर्दाश्त नहीं नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से बारां के अन्दर भी पॉवर हाउस के सम्बन्ध में बहुत ही मन्द गति से कार्य हो रहा है पॉवर हाउस बनाने के लिए म्युनिसिपेलिटी बारां ने एक फैसला किया था और उस फैसले से बारां म्युनिसिपैलिटी ने करीब ७० हजार रुपया बैंक से निकाल कर और सूद का नुकसान कर राजकोष में जमा करा दिया। इस संबन्ध में राज्य सरकार ने भी एक लाख ४५ हजार रुपया बारां म्युनिसिपेलिटी को कर्ज दिया और वह भी राज कोष में जमा है, लेकिन आज दो साल से ज्यादा समय होने आया उस ओर कोई प्रगति नहीं हुई और आज बारां के अन्दर कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। बारां नगरपालिका को बिला वजह लगभग ग्यारह हजार रुपया सूद का देना पड़ेगा तो यह जो दो बातें मैंने सदन के सामने उपस्थित की हैं मैं आशा करता हूं कि माननीय सम्बन्धित मंत्री महोदय इन पर ध्यान देंगे और इनको दूर करने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे।

४ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुर्वेदी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डींग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी यह कटौती प्रस्ताव क्रम संख्या ५५, डिमान्ड नम्बर २६ श्री जगदीश प्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध मैं इसलिए नहीं करता कि हर स्थान पर, छोटे से छोटे स्थान पर भी अधिक से अधिक बिजली न पहुंचे, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जो बिजली आज बड़े बड़े शहरों में शोभा बढ़ा रही है, वह छोटे से छोटे गांव में भी जाकर वहां किसानों की खेती में सहायक बने और छोटे उद्योग–धंधों के करने वाले लोगों को भी सहायता प्रदान करे। लेकिन आपने जो दलील इस कटौती प्रस्ताव को लेते समय दी, मैं समझता हूँ कि वह दलील विरोध के ही योग्य है। आपने यह बताया कि यह बिजली दूर दूर तक या दूर के कस्बों या गांवों तक इसलिए नहीं पहुँचाई जा सकती, क्योंकि हमारी सरकार ने इसे एक व्यवसायिक चीज बना रक्खा है और आपकी मन्शा शायद इससे यह है कि सरकार उससे कुछ मुनाफा कमाती है। मैं समझता हूं, कि यह विभाग कमर्शियलविभाग तो है ही, और कमर्शियल यह होना भी चाहिये, बल्कि मेरी तो यह धारणा है, कि बिजली का विभाग, पानी का विभाग, या दूसरे ऐसे विभाग स्कूल या अस्पताल की तरह नहीं हो सकते, जिन पर कि किसी प्रकार का कोई शुल्क न हो। जब कि इसको व्यवसायिक ढंग से चलाया जाय, तो यह अधिक अच्छी रीति से चल सकता है। इसका मतलब यह है, कि इसकी आमदनी और इसके व्यय पर सरकार को ठीक प्रकार से संतुलन रखना चाहिए। जितना भी इस पर खर्च पड़ता है उतनी आमदनी आना आवश्यक है। यदि खर्च ज्यादा हुआ और आमदनी कम हुई तो आज भी जिन जगहों पर बिजली लगी हुई है, वह हट जायगी। इसलिए विचार तो हमें यह करना चाहिये कि सरकार किस तरह से बिजली को सस्ती पैदा कर सकती है, बजाय इसके कि यह कहा जाय कि यह कमर्शियल बेसिस पर न चलाया जाय। यह जनता के लाभ के लिए तभी हो सकती है, जब कि बिजली सस्ती हो। इसके साथ साथ ही सरकार का केवल इसलिए

Page No.88

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ही विरोध करना कि सरकार यह नहीं चाहती कि दूर दूर के गांवों और कस्बों में बिजली पहुँच जाय, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है। सरकार और खास तौर से आजकल की सरकार तो यह अवश्य चाहती है कि बिजली या दूसरी जो जनोपयोगी चीजें हैं, इनका लाभ हर व्यक्ति को मिले और खास तौर से तब जब कि हम अपने राज्य के अन्दर काफी विकास और छोटे उद्योग-धंधों का विकास करना चाहते हैं। हम अपने कृषि करने वाले किसानों के लिए उनकी जितनी मेहनत होती है, जितना उनको इनवेस्ट करना पड़ता है, उससे अधिक उनको परिश्रम का लाभ मिले, यह चाहते हैं। जब हम यह चाहते हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम बिजली को इतना सुलभ करें, कि वह हर गांव में सस्ते से सस्ते रेट पर मिल सके। इसी के लिए हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। आज हमारी कई योजनायें चल रही हैं, जैसे भाखड़ा और चम्बल की योजना है, इनसे पानी की बिजली तैयार की जा रही है, इनका सस्ता होना तो स्वाभाविक ही है। जिस तरह बॉम्बे, मैसूर में या गंगा की धार से हाइड्रोइलेक्ट्रिक जहां जहां जाती है, यू० पी० में जितनी जगह आई हैं, वहां बिजली काफी सस्ती है। तो जो पानी से बनने वाली बिजली है, वह हमारे राजस्थान के जिस जिस भाग में जायगी वहां पर वह सस्ती होगी। लेकिन मुझे भय है कि राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं कि जहां न भाखड़ा नांगल से बिजली जायगी और न चम्बल की बिजली वहां पहुँचेगी। मैं कहता हूँ कि ऐसे स्थान के लिए सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये और वहां पर भी जहां कि पानी से बिजली पैदा नहीं होती है, वहां भी किसी प्रकार के एन्जिन से चाहे वह बिजली तैयार की जा रही हो, बिजली की दर सस्ती होनी चाहिये। जहां पानी से बिजली बनती है उसी की रेट के बराबर ही इन जगहों पर चार्ज किया जाय। जिस प्रांत (जिल) से मैं आरहा हूँ, भरतपुर की तरफ से, वह ऐसा इलाका है कि जहां चम्बल या भाखड़ा की तरफ से आने वाली बिजली शायद ही पहुँचे। तो वहां के लिये सरकार को अवश्य ही कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मन्त्री महोदय से बातें भी कीं और मैं चाहता था कि जो दुर्व्यवस्था मैंने वहां देखी उसका शीघ्र से शीघ्र कोई हल निकालना चाहिये। मैं भी यह समझता था कि इसमें अधिकारियों की लापरवाही है, लेकिन कुछ स्थिति भी खास तौर से ऐसी गुजरी हैं कि जैसी व्यवस्था रहनी चाहिए थी वह नहीं रह पाई। मुझे बतलाया गया कि बिजली का कुछ ऐसा सामान होता है, जो कि हम अपने देश में पैदा नहीं कर पाते हैं और वह सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ता है; खास तौर से इंगलैण्ड और अमेरिका से। यह जो स्वेज नहर का झगड़ा हुआ उससे तो काफी अव्यवस्था हुई है। समय पर सामान नहीं पहुंच पाया, कभी एन्जिन आ जाता है तो उसका जैनरेटर सैट नहीं आता है, इस कारण बहुत सी चीजें स्वेज नहर पर पड़ी रहीं, और यहां व्यवस्था ठीक नहीं रह पाई। अब भी हमें मालूम हुआ है कि स्वेज नहर से सामान चलने के बाद बॉम्बे पड़ा हुआ है और वहां से वैगन न मिलने से जो सामान वहां पहुँचाना चाहिये वह वहां नहीं पहुंच पाया है। मैं समझता हूं कि हमें बिजली की व्यवस्था को ठीक करना चाहिये। जैसा कि सभी सदस्य अनुभव करते हैं कि बिजली अगर ज्यादा महंगी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

होगी तो यह हमारे प्रांत के लिये लाभदायक चीज साबित नहीं होगी। कोयले के अन्दर गड़बड़ियां होती हैं और अधिकारियों द्वारा होती हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ही अफसरों को ठीक करना पड़ेगा। हर हालत में सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि किसी भी विभाग में, खास तौर से व्यावसायिक विभाग में इस तरह की व्यवस्था करना चाहिए, कि यह बिजली जो आजकल ८ आना, १० आना और ६ आना मिल रही है, वह सस्ते से सस्ते भाव पर मिले। बाहर के पूंजीपतियों से जब हम बात करते हैं, और उनसे कहते हैं कि राजस्थान में उद्योग धंधे खोलें तो उनकी ओर से यह शिकायत सुनने को मिलती है कि बिजली उनको नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो भी सस्ते दर पर नहीं मिलती, जितनी कि दूसरी जगहों पर मिलती है।

अब एक शिकायत की गई कि बिजली के ऊपर पूंजीपतिय से पैसा कम लिया जाता है, तो मैं समझ नहीं पाया कि यह कहने से उनका क्या मतलब है ? बिजली की दरें दो प्रकार की होती हैं। एक तो बिजली, घरों पर रोशनी के लिये लेते हैं और दूसरे उद्योग-धंधों के लिए लेते हैं। हो सकता है, कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों से बिजली की दरें कम ली जाती हों, मगर वह काफी तादाद में बिजली लेते हैं। मैं समझता हूँ कि छोटे उद्योग-धंधों के लिए भी सरकार द्वारा उसी प्रकार रियायत दी जाती होगी, जिस प्रकार कि बड़े उद्योग-धंधों को दी जाती है और यदि रियायत छोटे उद्योग-धंधों के करने वालों को नहीं दी जाती है तो सरकार को चाहिए कि अब उनको रियायत दे। बल्कि मैं तो कहूंगा कि छोटे उद्योग-धंधों के लिये तो और भी अधिक रियायत दी जानी चाहिये, ताकि यह शिकायत मिट सके कि पूंजीपतियों से कम लिया जाता है और गरीबों से ज्यादा लिया जाता है।

इसी तरह से बकाया के सम्बन्ध में भी शिकायतें की गईं और कहा गया कि राजा महाराजाओं और कुछ खास वर्ग के लोगों से बकाया वसूली नहीं की जाती। बकाया वसूली में भेदभाव नहीं रहता हो, यह नहीं। अवश्य रहती है, मेरा खुद का अनुभव है कि राजा महाराजाओं के साथ कुछ शर्तें ऐसी थीं और कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ भी ऐसी शर्तें थी कि इन्हें बिजली मुफ्त मिलेगी। ऐसा प्रश्न मेरे सामने भी आया, मैंने उसका हल इस प्रकार किया कि बिजली मुफ्त हो सकती है, किन्तु असीमित नहीं हो सकती। मेरी जहां तक जानकारी है मंत्री महोदयों के लिए भी बिजली ७५ रुपये तक तो मुफ्त मिलती है और इससे ज्यादा कन्ज-म्पशन होता है, उसका पेमेंट उन्हें अपने पास से करना पड़ता है। राजा–महाराजाओं के लिये भी यही नियम लागू होना चाहिए, कुछ सीमित मात्रा में उनके लिये बिजली मुफ्त हो सकती है, बाकी बिजली की रकम वसूल की जानी चाहिये। इस ओर हर हालत में प्रयत्न किया जाना चाहिये, ताकि बिजली विभाग एक व्यावसायिक ढंग से चल सके और सस्ती से सस्ती दर पर बिजली लोगों को मिल सके, जिससे आधुनिक नये आविष्कारों की सुविधा; जैसे बिजली के पंखे, रेडियो और रेफरीजरेटर आदि का लाभ जनता को मिल सके, इसके साथ-साथ कृषि उद्योगों में, खास कर छोटे उद्योगों में बिजली के मिलने से काफी तरक्की हो सकती है। जहां

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

एक ओर मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं, वहां विरोधी महोदय द्वारा दी गई दलीलों को भी उचित नहीं मानता । इसके साथ-साथ सरकार से इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि बिजली विभाग में अव्यवस्था है, उसको अवश्य दूर करें और बिजली जनता के प्रयोग के लिये सस्ती से सस्ती मिल सके इस प्रकार के प्रयत्न करें ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली एक ऐसी चीज है जिससे जनता काफी लाभ उठा सकती है । आज जयपुर में जो बिजली घर है उसके द्वारा बिजली काफी दूर-दूर तक पहुँचाई जाती है । जयपुर से दौसा होते हुये गंगापुर तक खम्भे गाड़ दिये गये हैं, मगर बिजली अभी तक नहीं लगी। न मालूम श्री राम करण जोशी के बंगले तक बिजली सरकार द्वारा पहुँची या श्री रामकरणजी जोशी ने अपने पैसे से लगाई, चूंकि वे खास मंत्री थे । मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो खम्भे गाड़ दिये हैं उनमें तार लगाकर जल्दी बिजली लगाई जावे, बिजली के काम करने वाले बहुत से आदमी गंगापुर में बैठे मौज उड़ा रहे हैं जिनका वेतन १५०० रु० माहवार होता है, वे बैठे-बैठे तनख्वाह ले रहे हैं और मौज उड़ा रहे हैं ।

बिजली जिन जिन इलाकों में पहुँची है वहां की जनता ने काफी तरक्की की है, वहां की जनता काफी खुशहाल है, वहां के कृषि के साधन भी काफी तरक्की कर पाये हैं। आज हम देखते हैं, जहां बिजली पहुँची है वहां के किसान, जो सेठों के कभी कर्जदार थे आज लाखों मन अनाज पैदा कर रहे हैं और उल्टा सेठ साहूकारों को ब्याज से रुपया दे रहे हैं; जिनके लड़के आज बड़ी बड़ी जागीरें हासिल कर बड़ी बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हैं । बिजली दौसा से गंगापुर तक पहुँच गई; यह बात साफ झूंठ है, अभी बिजली नहीं पहुंची है ।

मैं एक दफा हरिद्वार गया था । वहां मैंने देखा जिन जिन गांवों में बिजली पहुँची हुई है वहां की जनता से बातचीत की तो वे लोग कहने लगे कि जिस समय यहां बिजली नहीं थी लाखों रुपयों का कर्जा किसानों पर था और जब बिजली यहां पर आ गई तो वह सब कर्जा भी उतर गया और जनता काफी खुशहाल है । इसलिए यहां भी बिजली जल्दी पहुंचाई जावे जिससे किसानी करने वाले किसान बड़े बड़े कूए खोदकर, बिजली से पानी देकर अनाज पैदा करें ।

मेरा सरकार से निवेदन है कि जब खम्भे लालसोट से गंगापुर तक लग गये हैं तो सरकार को उन पर बिजली लगाने में किसी प्रकार भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ; जिससे जनता ज्यादा मेहनत कर, ज्यादा अनाज पैदा करे । इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : इस डिमान्ड पर बहस करते काफी समय हो चुका है । अगर हाउस इजाजत दे तो मैं माननीय मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए निवेदन करूं ।

(सदन द्वारा अनुमति प्रदान करने पर)

Hon'ble Minister- in-charge please-

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ चार-पांच मिनिट ही बोलना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member will excuse, the House has given leave.

श्री रामकिशोर व्यास (विद्युत एवं गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, बिजली के सम्बन्ध में कई कटौती प्रस्ताव आये जिनमें से कुछ बिजलीघरों की अव्यवस्था के बारे में थे और कुछ वहां की बकाया वसूली के बारे में थे और कुछ स्थानों पर बिजली घर न लगाने के कारण भी आए हैं। सदन के सदस्यों ने इस बहस में काफी भाग लिया और अपने अपने विचार प्रकट किए। उन में से कई सुझाव बहुत अच्छे हैं, जो विचार करने लायक हैं और जांच करने के बाद अमल करने के भी लायक हैं। कई बातें जो कही गईं उनमें सच्चाई भी है और कई बातों में सच्चाई नहीं। इन सब चीजों को हमें देखना होगा। आरम्भ में मैं यह बात निवेदन कर दूं, जहां तक राजस्थान सरकार की नीति का सवाल है उसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी सस्ती से सस्ती दरों पर बिजली जनता को मुहैया करना चाहती हैं और जहां तक संभव हो हर स्थान पर बिजली पहुँचाने का प्रयत्न करती है। इस लिए जहां तक नीति का सम्बन्ध है सरकार इस कार्य को जल्दी से जल्दी करना चाहती है। लेकिन जहां इसको क्रियात्मक रूप देने का सवाल है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें है, मुश्किलें हैं, जिन्हें मैं सदन के सामने रक्खूंगा। जैसे ही दिक्कतों का हल होगा, मुश्किलों का हल होगा हम इस ओर जल्दी से जल्दी अग्रसर होने की कोशिश करेंगे।

पहले इसके कि मैं बहुत सी बातें जो जगह जगह के बारे में कही गईं, एतराजात उठाये गए उनका उत्तर दूं उसके पहले मैं कुछ आरम्भिक बातें कहना पसन्द करूंगा ताकि माननीय सदस्यों के समझ में आ जायं।

४.१७ म० प०

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आरम्भिक बातें इसलिये निवेदन कर रहा हूँ कि जवाबात के समझने में आसानी होगी। सन् १९४९ में जब राजस्थान बना तो राजस्थान की जितनी अलग अलग रियासतें थीं, उनमें जो बिजलीघर सरकारी थे, जिनको राजस्थान सरकार ने संभाला उनकी संख्या १३ थी, जिनमें से कुछ तो बहुत पुराने थे और उनमें मशीने बहुत पहले से लगी हुई थीं। न वे आर्थिक दृष्टि से और न टेकनिकल दृष्टि से ही अच्छी हालत में थे। आर्थिक दृष्टि से भी वे लाभ में नहीं चल रहे थे। टेकनिकल दृष्टि से भी वे मशीनें काफी पुरानी हो गई थीं, बिजली पैदा करने की ताकत भी बहुत कम हो गई थी और इन स्थितियों में हमने इन बिजलीघरों को संभाला। इस तरह से से १३ बिजलीघर सरकारी थे और २७ प्राइवेट कम्पनीज द्वारा किसी वक्त में चलाये जाते थे, उनको भी सरकार ने लिया। यह स्थिति, जिस समय राजस्थान बना उस समय की है।

जिस वक्त पहली पंचवर्षीय योजना बनी उस समय १५ हजार किलोवाट बिजली पैदा होती थी। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई। उस वक्त तक हम करीब करीब २२१६० किलोवाट तक बिजली की पैदावार बढ़ा सके।

फिर भी मैं निवेदन करूं आपसे कि बिजली के मामले में जो प्रगति होनी चाहिये

Page No.92

(श्री रामकिशोर व्यास)

थी वह नहीं हो सकी है इसे मानने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है क्योंकि जो वस्तुस्थिति है उसको बताने में और मानने में मुझे कोई बुराई नहीं मालूम होती।

यह कहा गया कि जगह जगह जो पॉवर हाउस हैं उनमें अव्यवस्था है, खर्चा ज्यादा पड़ता है। वह किसी हद तक ठीक है। ये जो पहले के बिजलीघर चले आ रहे हैं, उनके जो बिजली के प्लान्ट और इन्जन आदि हैं वे तीस तीस साल के हैं, कोई कम का है, कोई ज्यादा का है, कोई तिथि मैं मुकर्रर नहीं करना चाहता पर कहने का मेरा आशय यह है कि वे बहुत पुराने हैं, उनकी जेनरेटिंग की ताकत कम हो गई है। इनके लिए ऐसी हालत में हमारे सामने दो उपाय रहते हैं कि या तो हम इनको किसी प्रकार से चलाते रहें या नया लावें और नया न आवे तो बन्द कर दें। इसके लिए निवेदन करूंगा कि नये से रिप्लेस करना चाहिए, जहां जहां मुमकिन हो इसकी कोशिश भी है हमारी। इसके लिए आगे मैं और निवेदन करूंगा। पर जब तक नये न आवें तब तक बजाय इसके कि उनको बन्द कर दिया जावे, उन्हें किसी तरह अधिक खर्चा करके भी चलाना हम ठीक समझते हैं; इसमें यह दिक्कतें जरूर हैं कि कभी बन्द हो जाते हैं, कभी चलते हैं पर इसके सिवाय दूसरा ऑल्टरनेटिव हमारे सामने नहीं है कि जब तक नया न आ जावे तब तक जितना अच्छी तरह से चला सकें चलाने की कोशिश करते रहें। इसमें यह सही है कि फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है और नुकसान में भी हम चलाते रहे हैं और आगे भी चलाते रहना चाहते हैं क्योंकि पुराने हो जाने के कारण कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा पड़ती है, खर्चा ज्यादा पड़ता है, रिपेयर ज्यादा होती है। इसलिए ये तो अनइकोनोमिक और अनप्रोफिटेबल ही रहेंगे। पर फिर भी बन्द इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जनता को कुछ तो राहत मिले और जब नये आ सकेंगे तब नये से रिप्लेस कर देंगे।

हमारी कोशिश यह है कि किसी तरह से ये सब कमर्शियल बेसिस पर चलाए जावें, पर एक दिक्कत इनके पुराने होने से यह भी हमें है। तो इन सब बातों को देख कर हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वह चीज नहीं हो सकेगी। इसमें थोड़ा वक्त लगने वाला है। इस तरफ प्रयत्न हमारे चालू हैं।

एक बात और कही गई, युनीवर्सल रेट के बारे में। बात तो यह ठीक मालूम पड़ती है पर असली रूप में काफी दिक्कत पैदा होती है क्योंकि अलग अलग की अलग उत्पादक शक्ति है, अलग अलग खर्चे हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं; तो उसी हिसाब से वहाँ की रेटें रखी जाती है, एक समान रखना व्यवरिक नहीं है। युनीफॉर्म रेट तब हो सकती है जब कि सारे प्रान्त का एक ऐसा नक्शा बनावें कि सब जगह एक सरीखी मशीनें हों। नई हों और फिर एक में घाटा लगे तो दूसरे में उस की पूर्ति कर दें। इस तरह की चीज हो तब तो यह सम्भव हो सकता है पर वर्तमान में ऐसा सम्भव नहीं दिखता। आज प्रोडक्शन कोस्ट स्थान स्थान की भिन्नता के कारण अलग अलग पड़ती है और इसी के आधार पर हमें रेट्स रखनी पड़ती हैं और वे आज से ही नहीं हैं, पहले से चली आ रही हैं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है।

Page No.93

(श्री रामकिशोर व्यास)

इस प्रश्न पर हमने एक विशेषज्ञ की राय भी ली थी, उसके द्वारा जांच भी कराई थी और भारत सरकार के सेन्ट्रल पॉवर से एक व्यक्ति को बुलाया था। उन्होंने आकर सारे राजस्थान के पॉवर हाउसेज़ को देखा, उन्हें जांचा और फिर उसकी एक रिपोर्ट सरकार को दी। उन्होंने भी यह कहा कि सब जगह की परिस्थितियां समान नहीं होने से समान कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पड़ता और इसके समान नहीं पड़ने से दरें समान नहीं हो सकतीं क्योंकि दरें कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आधार मान कर ही तय करते हैं। इसका इलाज तो एक ही हो सकता है कि इन्हें सब्स्टीट्यूट कर दिया जाय। वर्तमान स्थिति में जो पुरानी मशीनें हैं उनसे ज्यादा काम लेना सम्भव नहीं मालूम पड़ता। इसलिए निवेदन करूं कि समान दर की बात सम्भव नहीं है, हालांकि यह अनइकोनोमिक है, अनप्रोफिटेबल है, यह भी मैं मानने को तैयार हूँ। फिर भी दरें जितनी कम की जा सकें हम करने का प्रयत्न करते हैं और आगे भी करेंगे। पर असल इलाज तो इसका तभी होगा जब या तो नये सब्स्टीट्यूट कर देंगे या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आ जावेगी।

यह भी कहा गया कि बिजलीविभाग को कमर्शियल कन्सर्न की तरह रक्खा जाना चाहिये। अगर मुनाफा नहीं होता है तो कब तक यह चल सकते हैं? बात तो सही है। अगर महकमे की तरह चलाना है और सरकारी सबसिडी नहीं देनी है, जो कि अधिक देनी सम्भव भी नहीं है, तो उसे कमर्शियल कन्सर्न की तरह रन करना ही होगा। सरकार इस पर सोच रही है कि इसे इस तरह का रूप दे दिया जावे जिससे सारी बातों पर विचार किया जा सके और ऑडिट वगैरह भी हो सके। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम थोड़े ही अरसे में ऐसा कोई निश्चित रूप देने वाले हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निर्माण की बात भी सरकार सोच रही है। अगर यह कायम हो जाता है तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जावेंगी और प्योरली कमर्शियल कन्सर्न यह बन जावेगा। यह प्रगति इसमें होगी।

क्या पहली योजना में और क्या दूसरी में, हम यह चाहते हैं कि जहां जहां पुराने इंजन हैं वहां नये लाकर रखे जावें। राजस्थान में दो बड़े बड़े बिजली के प्रोजेक्ट हैं, एक भाखरा का और दूसरा चम्बल का। इसलिए जगह जगह बिजली जावेगी। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे भी रहेंगे जहां यह बिजली नहीं जा सकेगी। वहां के लिए अलग योजनाओं की जरूरत है और वे हैं भी, एक है थर्मल पॉवर सप्लाई की योजना और दूसरी है रुरल अर्बन एरियाज़ को इलेक्ट्रिफाइड करने की योजना। इन दो योजनाओं के लिए जेनरेटिंग सैट लाने पड़ेंगे।

इनके लिये ५६ में और भाखरा और चम्बल के लिये ५४ में ऑर्डर भी प्लेस किये हैं। पर अभी तक वे एन्जिन प्राप्त नहीं हो सके हैं। इसका कारण यह है कि इसका तरीका यह होता है कि जो भी बाहर से एन्जिन वगैरह मंगाने होते हैं तो इसके लिये हमें भारत सरकार के डी. जी. एस. डी. को लिखना पड़ता है और वह उसके लिये प्रायोरिटी फिक्स करके ऑर्डर प्लेस करता है। वह ऑल इण्डिया बेसिस पर सोचता है क्योंकि बिजली की डिमान्ड देश में सारे प्रान्तों में है। जैसे हम चाहते हैं वैसे दूसरे भी चाहते हैं, उनकी भी आवश्यकता है। उन सब की मांग को देखकर भारत सरकार फोरिन

(श्री रामकिशोर व्यास)

कन्ट्रीज़ में आॅर्डर प्लेस करती है। भारत सरकार की इसमें एक कठिनाई यह भी है कि फोरिन एक्सचेन्ज का इसमें सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है क्योंकि वहां अपना रुपया तो चलता नहीं। उसे डॉलर आदि से कनवर्ट कराना पड़ता है तो एक्सचेन्ज एक सीमित राशि तक ही होना सम्भव है। तो इसमें हर प्रान्त की मांग को देखकर उस हिसाब से हरेक का नम्बर आता है। उसी हिसाब से अपने आर्डर भी प्लेस हुए हैं। फोरिन एक्सचेन्ज की आज बड़ी कमी है इसलिये जितनी हमारी मांग है उतने सब के आॅर्डर प्लेस नहीं हो रहे हैं। इसलिये हमें यह कहा गया है और हमें भी फिर यही निर्णय करना पड़ा कि जो अधिक जरूरी हो वह मशीनरी पहले मंगाई जावे। हमारे यहां दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, भाखरा और चम्बल के। तो पहले हमें उनको प्रायोरिटी देनी चाहिये। तो जो थर्मल योजना और रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की योजनाएं हैं उनके मुकाबले में हम इन दो, चम्बल और भाखरा योजना को तरजीह देना चाहते हैं क्योंकि इनके लिये अगर मशीन नहीं आती है तो उनका काम रुकने का भय है। इनका काम शुरु हो चुका है तो उसे चलाते रहना चाहते हैं, बीच में काम बन्द कर देने से नुकसान होता है और चीज सप्लाई समय पर नहीं करते हैं तो उनके पूरा होने में देरी होती है और काम भी रुक जाता है, इसलिये उनको प्रायोरिटी देना चाहते हैं। इसलिए उसको प्रायोरिटी होने के बाद जो थर्मल स्टेशन की इलेक्ट्रीफिकेशन की चीज है वह आयगी। राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया के पास १३-१४ प्लान्ट्स का आॅर्डर प्लेस किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमको इसके लिए इक्विपमेन्ट्स भी चाहिए जो हिन्दुस्तान में नहीं मिलते किन्तु बाहर मिलते हैं और उसको खरीदने में भी फोरिन एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ती है; यही कारण है प्रधान रूप से। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में भी काम करना चाहते थे, वह इसी कारण नहीं कर सके। ये मुश्किलें थीं और अब भी वे मुश्किलें हमारी चल रही हैं। जैसे २ ये मुश्किलें फोरिन एक्सचेन्ज की हल होंगी, जैसे जैसे एसेट्स प्राप्त होंगे यह काम होगा लेकिन जब तक न आवे, बावजूद सारी दिक्कतों के, यह अहसास करते हुए भी कि जनता को दिक्कतें हैं, बिजली ठीक नहीं मिल रही है, जहां जानी चाहिए नहीं जा रही है, योजनायें बनाई गई हैं वे पूरी नहीं हो रही हैं; इसके लिए मजबूरी है। जब तक इक्विपमेन्टस न आवें, प्लान्ट्स न आवें वे मांगे पूरी नहीं होंगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं।

बहुत से भाइयों ने शिकायत की कि फलां जगह यह वादा किया, पंचवर्षीय योजना पूरी नहीं हो सकी। कारण यही है कि जो टर्बाइन्स एन्जिन मिलने चाहिए थे वे नहीं मिल पाये। आॅर्डर देते हैं फिर भी २-२॥ साल उनके यहां आने में लग जाते हैं किन्तु ट्रान्सपोर्टेशन में समय लग जाता है। इस प्रकार दो-दो,तीन-तीन साल लग जाते हैं। यह सारी व्यवस्था मैंने आपको बतायी। जैसे २ ये चीजें आती जावेंगी, जो दिक्कतें होंगी उनको लेकर दूर किया जावेगा।

अब मैं आपके सामने जो अलग अलग जगहों की दिक्कतें बतायी गई हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहले बाड़मेर के बारे में कहा गया था कि बाड़मेर में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, और जगह बिजली गवर्नमेंट लगा रही है, फिर इसको गवर्न

(श्री रामकिशोर व्यास)

अपने हाथ में क्यों नहीं लेतो, खुद की लगानी चाहिए। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के बिजलीघर पर सरकार का नियन्त्रण नहीं है बल्कि म्युनिसिपेलिटी का है और वह ही उसको चलाती है, जो गवर्नमेंट से मदद चाही गई है वह उसको दी गई है। करीब ५ लाख रुपया बाड़मेर की म्युनिसिपेलिटी को लोन दिया गया, इस काम के लिए कि पॉवर हाउस था उसको ठीक चलाये या रिप्लेसमेंट करना हो तो करे। मैं समझता हूँ कि बाड़मेर की म्युनिसिपेलिटी उसको ठीक करेगी। रहा सवाल कि उसको गवर्नमेंट क्यों न ले? म्युनिसिपल एक्ट में इस बात का प्रोविजन है कि म्युनिसिपेलिटी पावर हाउस को बन्द कर सकती है। गवर्नमेंट तो जितनी मदद दे सकती है देती है और दी भी है जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने लिखा और उनको ऋण दिया। इस तरह से कुछ और पॉवर हाउसेज के बारे में भी कहा गया, जयपुर के पॉवर हाउस के एम्बेज़लमेंट के लिए भी कहा गया। वहां इर्रेगुलेरिटी रही है, यह बात सही है। ऐसे केसेज़ नोटिस में आये हैं। उनका प्रोसिक्युशन किया है, अदालत में उनका चलान किया, कुछ को तो सजा हुई है, कुछ के अभी बाकी है। जैसा अदालत से नतीजा निकलेगा उन केसेज़ में जरूर सजा दी जावेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सत्संगीवाला मामला?

श्री रामकिशोर व्यास : उसी पर मैं आऊंगा। वैसे तो वह उसी में कवर हो जाता है, उनकी तहकीकात मुकम्मिल नहीं हो पायी है। जब हो जायगी तो जो कार्यवाही होनी चाहिए वह अवश्य ही होगी। यदि किसी का भाई है, रिश्तेदार है और जैसी की आप बात करते हैं, कोई खयाल न रख कर प्रोपोजल और मेरिट्स पर जो एक्शन लेना चाहिए वह लिया जायगा, यह मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ।

एक बात कही गई कि कोयला जो यहां आता है उसको जांचने का कोई तरीका यहां पर नहीं है। यह सही है। श्री पी. के. चौधरी ने यह बात कही कि यहां जो कोयला आता है उसके टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। गये साल हमने महसूस किया कि जो कोयला आता है उसके टेस्ट करने का इन्तजाम नहीं है। चाहे जैसी क्वालिटी आ जाए, तो उसको टेस्ट करने की लेबोरेटरी बनाने की बात है, इसकी उचित व्यवस्था की जायगी। जो उचित सुझाव दिया है उसके लिये धन्यवाद है और उसको बजट में रखा भी है।

इसी तरह एक बात स्टोक के वेरीफिकेशन के बारे में कही गई। पहले भी सदन में यह बात आयी थी, ऐसा मुझे याद पड़ता है। कई बातें मैं खुद तो नहीं देख सकता हूं लेकिन स्टोक का फिजिकल वेरिफिकेशन कहां तक हुआ है इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है स्टॉक का वेरिफिकेशन हुआ है। माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात बतायी कि फिज़िकल वेरीफिकेशन तो हो गया, गवर्नमेन्ट के स्टॉक में कितना है, फाइलें तो बन गईं लेकिन एक्चुअल वेरीफिकेशन यह नहीं हुआ कि ...

श्री भैरोंसिंह : यह तो सब पॉवर हाउसेज़ का हो गया।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने यह बात कही थी कि फिज़ीकल वेरीफिकेशन हुआ या नहीं...

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो दूसरी बात बतायी उसको मैं ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानता हूं । वह यह है कि गवर्नमेन्ट का एट प्रेजेन्ट जो स्टोक है उसकी गणना तो हो गई कि इतना इतना फलां फलां जगह है लेकिन होना कितना चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, कोई कितनी मौजूद हैं, बीच में घट गई, यह जांचने की बात है । जो आपने सुझाव दिया है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ।

एक बात अलग अलग दरों के बारे में कही गई कि राजस्थान में अलग अलग दरें हैं । मैंने यह पहले भी कहा कि समान दरें नहीं हैं, फिर भी इसको दो तरीकों से देखा जा सकता है ? एक तो यह है कि जो बिजली इन्डस्ट्रीज़ को दी जाती है उससे इसका सम्बन्ध हो सकता है और एक कन्ज़म्प्शन की दृष्टि से देखी जा सकती है जो प्राइवेट रूप में होती है । तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है । जहां तक इन्डस्ट्रिलिस्ट्स को पॉवर देने का ताल्लुक है उसके लिए निवेदन करूं कि ज्यादातर लो रेट पर इन्डस्ट्रीज़ को कन्सेशन देने की जरूरत पड़ती है, उनको दी जाती है और मैं समझता हूँ दी भी जानी चाहिए । कुछ बातें ऐसी कही गईं कि बड़े आदमियों को सस्ती बिजली दी जाती है और छोटे आदमियों को नहीं दी जाती । ६–७ केसेज़ ऐसे हैं जिनको दी गई है । उनकी स्थिति यह है कि राजस्थान बनने से पहले, जहां जहां वे इन्डस्ट्रीज़ खड़ी थीं उनके साथ यह एग्रीमेन्ट्स थे, शर्तें थीं, मुहादे थे कि उनको एग्रीमेन्ट के अनुसार बिजली दी जाय । आज हम उन एग्रीमेन्ट्स को तोड़ नहीं सकते । उन्हीं के आधार पर हम उनको बिजली दे रहे हैं । फिर भी अगर कोई राजस्थान में बड़ी इन्डस्ट्रीज़ खोलना चाहे तो उस समय जो जनरल रेट्स हैं उनमें थोड़ी कम करनी पड़े तो भी मैं उसको बेजा नहीं मानता । इलेक्ट्रिसिटी इसके लिए ३ आना है और बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिए यदि २॥ आना प्रति युनिट भी करना पड़े तो भी मैं उसको बेजा नहीं मानता । एक तरफ बड़ा कन्जूमर होता है और जो ज्यादा बिजली कन्ज्यूम करता है, बड़ी इन्डस्ट्रीज़ में बिजली का कन्जम्प्शन ज्यादा होता है, कन्ट्री में इन्डस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिये कन्सेशन देना पड़ता है, और भी देते हैं, और मैं उसको बेजा नहीं मानता ।

एक बात चौमूं-रिंगस लाइन के बारे में भी कही गई और यह कहा गया कि वह इलेक्शन की वजह से रह गई । किसी ने शायद कह दिया कि यदि कांग्रेस का वोट दोगे तब तो लाइन चलेगी वरना नहीं चलेगी । मैं आपसे निवेदन करूं कि जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है वहां तक किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही और अगर किसी दूसरे ने कह दी है तो उसके लिये गवर्नमेन्ट जिम्मेदार नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि जयपुर के लिये प्लान्ट्स मंगाये हैं; वे जब आयेंगे तभी जयपुर से जहां जहां बिजली जानेवाली है वहां जा पायेगी । जयपुर से ही रिंगस तक बिजली जाने वाली है । वहां पर जयपुर में प्लान्ट आने के बाद ही बिजली दी जायगी । कहीं पर पोस्ट लगे हैं, कहीं पर नहीं लगे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ और इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि जैसे ही प्लान्ट आयेगा वैसे ही इसके खंभे पूरे होंगे और वायरिंग पूरा होगा । नहीं तो पहले लाइन पूरी करने से चोरी होने का अन्देशा है । छोटे छोटे टुकड़े

(श्री रामकिशोर व्यास)

जगह जगह से काट ले जाते हैं, डेमेज कर देते हैं। उस टाइम से पहले जब कि प्लान्ट आयेगा इसके खंभे आदि लग जायेंगे और उसमें देरी नहीं की जायगी। किसी क्षेत्र में जा सकती है, किसमें नहीं जा सकती, इसको ध्यान में रखते हुए मुहैया की जायगी।

इसी तरह सन् ५६ की ऑडिट रिपोर्ट की ओर ध्यान दिलाया गया है। उसमें कुछ बातें लिखी हैं जिनको नोट किया गया है और रिपोर्ट पढ़ी भी गई है और जो कार्यवाही करनी है वह की जायगी।

एक बात यह भी कही गई........

(बिजली चले जाने के कारन कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री भैरोंसिंह : यह बिजली विभाग कह रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : करेन्ट एक दम फेल हो जाय, उसका आप क्या कर सकते हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) दोनों बातें साथ साथ बताई हैं। बन्द भी हो सकता है और चालू भी हो सकता है।

एक बात यह कही गई कि बिजली के महकमे का सामान, हीटर्स वगैरह ऑफिसर्स के यहां जाते हैं। एक ऐसी प्रथा कि जिसके अनुसार बिजली के महकमे से सरकारी मुलाजिमों को और कुछ और लोगों को भी किराये पर पंखे आदि सामान दिया जाता था, इसलिये यदि इसकी तहत में यह बात आती है तब तो बेजा बात मालूम नहीं होती है लेकिन यदि किराये नहीं है, उसकी एन्ट्री रजिस्टर में नहीं है और बाला-बाला ही चला गया है तो उसकी जांच करेंगे। लेकिन ऐसी बात है कि ऑफिसर्स वगैरह किराये पर सामान लेते थे जिसकी ऐन्ट्री हुआ करती थी और अब भी बहुत से किराये पर लेते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : इस प्रकार की प्रथा थी या आदेश था?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रथा और आदेश में कोई फर्क नहीं है।

इस प्रकार की जो चीज है, एन्ट्रीज़ नहीं हैं, वगैर किराये के हैं तो जरूर जांच करने की बात है।........

श्री भैरोंसिंह : ऑडिट रिपोर्ट को देखिये।

श्री रामकिशोर व्यास : व्यक्तिगत बात है तो देखेंगे।

किशनगढ़ पॉवर हाउस के बारे में भी कहा गया कि वहां ठीक तरह से पॉवर हाउस काम नहीं कर रहा है। इसके लिये मैं इतना कहूँगा कि आपकी शिकायत ठीक हो सकती है, वहां इंजिन खराब है। उसके लिये दो डिज़ल सेट्स हन्ड्रेड किलोवाट्स का ऑर्डर दिया गया है। बजट में भी इसका प्रोविजन किया गया है, जल्दी हो जायेगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इंजन लग गया है लेकिन चालू नहीं हुआ है।

श्री रामकिशोर व्यास : पूरे सेट्स नहीं आये होंगे इसलिए चालू नहीं हुआ। ५०,००० रु० का प्रोविजन इस बजट में इसके लिये रखा गया है।

एक बात बीकानेर के बारे में कही गई

(श्री रामकिशोर व्यास)

कि बिजली चाहे जब खराब हो जाती है, पर उसका नोटिस पब्लिक को पहले नहीं मिलता है। यदि बिजली अचानक खराब हो जाय या अचानक दिक्कत आ जाय तो उसका नोटिस सम्भव नहीं है जैसा कि अभी यह १ मिनिट पहले हुआ। लेकिन यदि इंजिन ठीक करना है या किसी कारण से बन्द करना है तो उसका नोटिस देना चाहिये और जहां तक मेरी सूचना है वे नोटिस देते हैं। कुछ अर्से के लिये जानबूझ कर बन्द करते हैं और उसकी सूचना नहीं देते हैं तो बताइये, ऐसा इंतजाम कर देंगे कि सूचना दें।

इसी तरह मीटर्स के बारे में कहा गया कि सही रीडिंग नहीं देते हैं। इसके बारे में ऐसा है कि जहां मीटर खराब हो और सही रीडिंग नहीं देते हैं तो १० रु० देने पर वापिस टेस्ट होता है। ८ रु० के बजाय ८०० रु० या कितने बताये ?........

श्री मुरलीधर व्यास : १५७ रु० बताये।

श्री रामकिशोर व्यास : यह आश्चर्य की बात है। लेकिन कोई बड़ी खराबी हो जाती है तो सूचना देने पर जांच हो सकती है।

कोटा के बारे में कहा गया कि वहां पर बिजलीघर की स्थिति अच्छी नहीं है। मुझे खुदको मालूम है। मैं वहां गया था और मैंने खुदने देखा है। कोटा के लिये भी ऑर्डर प्लेस किया गया है। नया इंजन आवे उससे पहले बहुत मुमकिन है कि वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाय........

(पुनः बिजली अदृश्य हो जाने पर)

श्री भैरोंसिंह : डिपार्टमेन्ट बार बार कहता है कि पैरवी मत करो।

श्री रामकिशोर व्यास : मिनिस्टर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है।

कोटा के बारे में जिक्र कर रहा था। वाकई वहां पर बिजली की हालत अच्छी नहीं है। वहां के लिये टर्बाइन का ऑर्डर प्लेस किया गया है। वैसे विचार है कि यह प्लान्ट लगे उससे पहले ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाय।

(और पुनः बिजली अदृश्य हो जाने पर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : जब जयपुर में यह गड़बड़ है तो बाहर की क्या बात है ?

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) इसी तरह धौलपुर के बारे में भी कहा गया। वहां पर भी छोटा प्लान्ट है जो पुराना हो गया है और ठीक तरह से वर्क नहीं करता है। ५ साल का बताया जाता है उसकी केपेसिटी कंजम्पशन से कम है इसलिये धौलपुर के लिये भी नये प्लान्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है। मौजूदा जो प्लान्ट है उसको भी रिपेअर करायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसलिये मन्त्रीजी बैठ जावें और कुछ तक देर बिजली का इन्तजार करें तो अच्छा हो।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी बात सुनता हूँ और आप मेरी सुनते हैं; कोई दूसरी बात नहीं है।

नवलगढ़ के बारे में भी कहा गया कि वहां पर बिजली सप्लाई की व्यवस्था अच्छी

(श्री रामकिशोर व्यास)

नहीं है, रेट्स ज्यादा हैं और रावल साहब पर्सनल उपयोग में लेते हैं आदि। मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिये मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वह गवर्नमेन्ट कंसर्न नहीं है। महज इसलिये कि गवर्नमेन्ट के शेअर्स हैं इसलिये वह उनको डाइरेक्ट कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेन्ट के ५० परसेन्ट से ज्यादा शेअर्स हों तो गवर्नमेंट डाइरेक्ट कर सकती है, वरना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के माफिक ही कार्यवाही की जा सकती है; सर्टेन परसेन्टेज का ही प्रोफिट करे, उससे ज्यादा नहीं करे। यदि मेनेजमेन्ट के बारे में दुरुपयोग हो तो कम्पनी के डाइरेक्टर्स ही उसे देख सकते हैं। लेकिन जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अनुसार ही कर सकती है। यदि किसी कंसर्न में गवर्नमेन्ट के शेअर्स हैं और उसके डाइरेक्टर्स भी हैं तो उसका मतलब यह नहीं होता कि उसकी पोलिसी को गवर्नमेन्ट डिक्टेट करे। पोलिसी को डिक्टेट तो डाइरेक्टर्स ही करेंगे। यदि ५० पर्सेन्ट से ऊपर शेअर्स हैं तो गवर्नमेन्ट के डाइरेक्टर्स की मेजोरिटी हो जाती है, नहीं तो वह माइनोरिटी में रहती है। उस हालत में सुझाव दे सकती है वह शेअर होल्डर के नाते।

कुछ भाइयों ने सांगानेर और दौसा के बारे में कहा कि सांगानेर और दौसा में बिजली नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि सांगानेर में बिजली है। वहां पर कमी हो सकती, लेकिन बिजली है। जहांतक दौसा से लालसोट का प्रश्न है........

श्री नाथूलाल : दौसा की तरफ बाजारों में बिजली का प्रबन्ध नहीं था, यह कहा था मैंने।

श्री रामकिशोर व्यास : जहां तक बाजारों का प्रश्न है यह वहां की म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य है, वे बिजली देने के लिए पैसा खर्च करें।

इसी तरह से दौसा से लालसोट तक के लिए कहा गया कि खम्भे वहां लगाये गये हैं, वहां तार बिछा दिये जायं; जब जयपुर पॉवर हाउस में टर्बाइन आ जायगा, तभी बिजली दी जायगी। लालसोट से गंगापुर तक बिजली देने की बात भी तभी पूरी हो सकती है।

उदयपुर के बारे में कहा गया कि उदयपुर का भविष्य अन्धकारमय दिखाई देता है और आने वाले पांच वर्षों के लिए बिल्कुल अन्धेरा किया जा रहा है। मैं समझता हूं, वह कल्पना की बात है। जहां तक उदयपुर में बिजली देने ताल्लुक है, वहां खूब प्रकाश दिया जा रहा है।...

श्री जनार्दनराय नागर : बिजली की कुछ कमी है।

श्री रामकिशोर व्यास : उदयपुर में बिजली का पॉवर हाउस प्राइवेट कम्पनी का है, गवर्नमेन्ट का पॉवर हाउस नहीं। प्राइवेट कर्न्सन आपको वहां बिजली दे देते हैं...

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister very well knows that the Government has actually decided a policy that the Power House of Udaipur is statised. If I am wrong the Hon'ble Minister may correct me, Sir.

श्री रामकिशोर व्यास : I think it is not a point of order. It is only an information which the member is giving.

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री रामकिशोर व्यास : लेकिन वहां गर्वनमेंट ने उस पॉवर को एक्वायर करना ठीक नहीं समझा, किन्हीं कारणों से। उदयपुर के लिए चम्बल प्रोजेक्ट में से बिजली दे देने की बात है, वह दे दी जायगी। राणा प्रताप सागर को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा है, उस वक्त तक आपको सब्र करना पड़ेगा, तसल्ली के साथ.... ...

श्री जनार्दनराय नागर: Mr. Speaker, Sir......

(अश्रव्य)

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : No interruption please.

श्री रामकिशोर व्यास : गांधी सागर और राणा प्रताप सागर से उदयपुर भीलवाड़ा, चित्तौड़ को बिजली मिलने वाली है....

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर को सब जगह से मिलेगी, बाकी हिस्सों के लिए क्या बताया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया चित्तौड़, भीलवाड़ा को भी बिजली मिलेगी।

श्री सम्पतराज (१४८): झालावाड़ को कब मिलेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं समझता हूँ १९६०–६१ में मिलनी चाहिए। १९६०–६१ तक का अनुमान है।

(हंसी)

शिड्यूल्ड प्रोग्राम के माफिक ६०–६१ तक हो जायगी। ...

श्री अध्यक्ष : सम्भवतया।

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा अनुमानत:।

कुछ बात जयपुर शहर के बारे में कही गई। यहां जयपुर शहर में जहां गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं वहां बिजली नहीं पहुँची; यह भी कहा गया कि बिजली कम्पनी में बडी अव्यवस्था रहती है, वहां बिजली नहीं दे रहे हैं। मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जयपुर में कहीं भी बिजली लेना चाहते हों, हम बिजली देने को तैयार हैं। नारी का नाका, हसनपुरा, जहां मजदूर बसती है, वहां बिजली की कमी है, लेकिन जब भी वे बिजली चाहें, तब बिजली ले लें, बशर्ते कि म्युनिसिपल कमेटी पैसा खर्च करें। शहर में बिजली ले जाना म्यूनिसिपल कमेटी का काम है। जब जब म्युनिसिपल कमेटी ने बिजली लगाने के लिए कहा, पॉवर हाउस ने बिजली लगाई है। म्युनिसिपल कमेटी पैसा खर्च करे बिजली पहुँच जायगी........

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : म्युनिसिपल कमेटी कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है इस काम के लिए।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात और कही गई कि राजस्थान सरकार में और म्युनिसिपल कमेटियों में कसमकस चली आ रही है। मैं नहीं समझता, कोई कसमकस या झगड़ा रहा है राजस्थान सरकार में और म्युनिसिपल कमेटी में। मैं क्या जवाब दूं ? मुझे नहीं पता कि कहीं कसमकस या झगड़ा है ?

श्री रामकिशोर व्यास)

मेरी जानकारी है कि जयपुर म्युनिसिपल कमेटी व राजस्थान सरकार में कोई झगड़ा नहीं है। Their relations are quite good; जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार है।

एक बात और कही गई कि नई बिजली कम्पनी बनाई जा रही है जब कि पुरानी नहीं चला पाते। मैं आपसे कहूँ कि नई बिजली के पॉवर हाउस की जो बात है, उसके लिए आप कहें तो चलायें, आप कहें तो बन्द कर दें। तकलीफ के साथ पॉवर हाउस चलते हैं; उसके लिये हम मजबूर हैं। जब तक हमारे सामने चीज नहीं आये, तब तक उसको रन करना पड़ता है। मेरे कहने का सारांश यह है।

(अल्प विराम के अनन्तर)

कुछ और प्वाइन्ट्स हैं उनके बारे में और कह दूं।

कुछ एरियर्स के बारे में कहा गया कि बिजली के महकमे का बकाया का रुपया काफी बाकी है और उसको वसूल नहीं किया जा रहा है। यह बात ठीक है, काफी रुपया बाकी है और उसमें से जो वसूली हुई है वह काफी नहीं हुई। यह रुपया जो बकाये का बाकी है, वह ज्यादातर रूलिंग प्रिंसेज़ में, म्युनिसिपेलिटी में और डिपार्टमेंटस में है। यह सही बात कही गई कि यदि रूलिंग प्रिंसेज़ बकाये का रुपया नहीं देते हैं तो उनके साथ, जैसे साधारण आदमी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, कानूनी कार्यवाही की जाती है, उनके साथ भी यही किया जाना चाहिए। लेकिन फर्क केवल इतना पड़ता है कि उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी, जिस समय रियासतें छोड़ी थ, के सम्बन्ध में कुछ शर्तें थीं कि इतनी बिजली देनी पड़ेगी। उसके सम्बन्ध में कई झगड़े चल पड़े कि अपने यूज़ के लिए बिजली ले सकेंगे, क्या ले सकेंगे, कितनी ले सकेंगे, ऐसी उलझनें पैदा हो गई। राजस्थान गवर्नमेंट ने उनको डिसाइड कर दिया, लेकिन वे फाइनेलाइज़ नहीं हो सकीं, तब वे गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को भेज दी गई, रिप्रज़ेन्टेशन किए, अब यह तय हो गया है और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने डिस्कस करके तय कर दिया है कि इस हिसाब से देना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। एक बात श्री पी. के. चौधरी ने कही कि १० लाख बकाया है, उसमें से कुछ रियलाइज कर सकेंगे। इसी तरह म्यूनिसिपेलिटी के ड्यूज़ हैं, उनके सम्बन्ध में थोड़ा बहुत झगड़ा राजस्थान सरकार बनने से पहले हो गया, इसलिए अब तक रियलाइज़ नहीं हो सका। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन रहा है, उससे सब प्रोब्लम्स हल होने वाली हैं। ड्यूज़ जो वसूल कर सकते हैं, उनको वसूल करने के लिये कार्यवाही की जायगी।

एक मोशन सलूम्बर के बारे में आया था कि वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां बड़ी जरूरत है।....

श्री अध्यक्ष : सलूम्बर के बारे में कोई कटमोशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए बार बार याद आता है।

श्री रामकिशोर व्यास : जो कटमोशन सामने आ जाता है, वह याद आता है। वैसे मैं इसके बारे में 'हां' में जवाब न देकर 'ना' में जवाब देने वाला था, उससे संतोष

(श्री रामकिशोर व्यास)

हो जाता । तो कहने का मेरा सारांश यह है ....

श्री रामेश्वर दयाल : बारां के विषय में कुछ नहीं फर्माया ।

श्री रामकिशोर व्यास : बारां के विषय में मुझे जानकारी नहीं है । जानकारी करके बता दूंगा ।

तो मुख्तसर, सारांश में, मेरा कहना यह है कि पुराने जहां जहां टर्बाइन्स, एंजिन्स लगे हुए हैं वे इकोनोमिकल हैं और इसलिये कोस्ट ज्यादा पड़ती है । नये आते ही सब इन्तजाम ठीक कर देंगे और पुरानों में जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा इन्तजाम कर सकते हैं करेंगे ।

आशा है कि मेरे इन आश्वासनों के बाद जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं वे वापिस ले लेंगे और इस डिमान्ड को पास करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मैं समझता हूं कि उनमें से कोई जवाब देना नहीं चाहेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : जवाब देना चाहेंगे, साहब ।

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है और मैं समझता हूँ यह बहतर होगा कि आज यह डिमान्ड पास करके उठें । यदि, इस तरह से बोलते रहे तो मांगें बहुत हैं और मुझे भय है कि बहुत सी मांगों पर तो बहस ही नहीं हो सकेगी ।

श्री भैरोंसिंह : इसका उत्तर तो देना है । बाकी मांगों के लिए समय निश्चित कर लेंगे कि एक एक मांग के लिए कितना-कितना समय लेना है ।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में उत्तर दे दीजिये ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : मन्त्री महोदय की तरफ से आश्वासन मिला कि पॉवर हाउस का सुधार करने लिये बराबर कोशिश करेंगे, इससे खुशी होती है । दूसरी बात कही है कि सदन के अन्दर जो सुझाव रखे हैं उनमें से कुछ सुझावों पर अमल करेंगे, यह भी खुशी की बात है । पर साथ ही साथ उनमें से दो एक सुझावों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा । क्वालिटी टेस्ट के लिये कहा, पर क्वान्टिटी टेस्ट होना भी जरूरी है । क्वान्टिटी टेस्ट के लिये वेगन वेइंग मशीन्स रख दी जायं ताकि वेगन्स आयें जो मशीन पर रख कर क्वान्टिटी मालूम कर ली जाय । यह बहुत ही आवश्यक है और इस पर खास तौर से ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं । वेगन वेइंग मशीन रखने से ६० पर्सेंट रनिंग एक्स्पेन्सेज के हिसाब से ८३ लेकर रनिंग एक्स्पेन्सेज होते हैं और ४५ लाख फ्यूल में जाते हैं, यह खर्चा बच जायगा । इसलिये वेगन वेइंग मशीन्स हर एक पॉवर हाउस में लगा देनी चाहिये ।

दूसरा फ्यूल के बारे में कुछ कहा, इसके बारे में ८० लाख में से साढ़े बीस लाख खर्चा करते हैं, इस पर बराबर चैक रखने का इन्तजाम करेंगे ।

दूसरी, कोमर्शियल लाइन्स पर चलने की आपने जो बात कही है, इसको चैंज करने के लिये जो एकाउन्टन्ट्स हैं वो अगले साल से कोमर्शियल बेसिस पर रखे जायं । जो मजदूर

(श्री पी. के. चौधरी)

कारखाने में काम करते हैं उनका रिप्रेज़ेन्टेशन हो और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उनके नुमायन्दे हों, वर्क चार्ज एम्प्लोयीज़ हैं उनका रिप्रेज़ेन्टेशन हो। इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया जाता है, ५ रु० बढ़ाये गये हैं, कम से कम वर्क चार्ज एम्प्लोयीज हैं, परमानेन्ट एम्प्लोयीज़ हैं, उनको सब बेनिफिट मिलने चाहिये।

पॉवर हाउस का अच्छा इन्तजाम करने के तरीके के लिये गवर्नमेंट आज तक बराबर इन्तजाम नहीं कर पाई है, इसके लिये मैं एक सुझाव रखता हूं। जयपुर पॉवर हाउस में जोइन्ट कन्सल्टेशन चला दें, यूनियन मेनेजमेंट और गवर्नमेंट का जोइन्ट रिप्रेजेन्टेटिव मेनेजिंग बोर्ड बना दें। इससे चोरी रोकी जा सकती है। पहले जयपुर पॉवर हाउस में लेबर मेनेजमेंट का कन्सल्टेशन बोर्ड चलाया जाय और उसकी सफलता पर सारे राजस्थान में यह लागू हो सकता है। इस सुझाव पर भी अमल किया जायगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। इतना कह कर मैं कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी. के. चौधरी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री पी. के. चौधरी : मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय अध्यक्ष, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा था और जो दलीलें मैंने दी थीं वही की वही बातें मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में कहीं। मैंने कहा बिजली व्यवस्था नगरपालिका के चार्ज में है तो उन्होंने भी कहा कि नगरपालिका के चार्ज में है, मैंने कहा अव्यवस्था हो रही है, सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये तो बताया कि उनको अधिकार है चला सकते हैं। पर जो मुद्दे की बात थी वह उड़ा दी। म्युनिसिपैलिटी के पास सीमित साधन हैं। ६०-७० हजार की वार्षिक आमदनी है, ८००००० का लोन दे दिया, एक पिद्दी आसमान तोलने का प्रयास करती है, कैसे सफल हो सकती है? बाड़मेर म्युनिसिपैलिटी कैसे सफल हो सकती है?

जवाब तो संतोष जनक है नहीं, फिर भी हम तो उदारता रखते ही हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : ८ लाख रु० दिया है आपको तो।

श्री तनसिंह : ८ लाख दिया है तो अहसान क्या किया है, ब्याज सहित वापिस जो लेंगे। तो जवाब तो संतोषजनक नहीं है, फिर भी हम तो उदारता रखते ही हैं। वे भी क्या समझेंगे कि ऐसा कट मोशन मूव करने वाला मिला! अतः मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री तनसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा था, उस पर कहा गया कि टर्बाइन्स नहीं आ रहे हैं, एंजिन्स नहीं आ रहे हैं, बिजली विस्तार होने पर आयेगी तो शहरों तक रहेगी। मेरा प्रस्ताव था कि तहसील हैड क्वार्टर्स तक इस पचवर्षीय योजना में बिजली आ जानी चाहिये।

अगर मन्त्री महोदय आश्वासन दें कि आयंदा तहसील हैड क्वार्टर ऐसा नहीं रहेगा कि जहां बिजली का प्रबन्ध न हो तो मैं इस कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : सैकिन्ड फाइव इयर प्लान में जोड़ लिया है, जितना संभव था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव जगदीश प्रसाद माथुर ने पेश किया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय मंत्री की ओर से उत्तर प्राप्त हुआ, वह कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद इस विभाग के सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है। अव्वल तो यह विभाग स्थाई रूप से इनके पास रहेगा; ऐसी बात नहीं, किसी न किसी दूसरे मन्त्री के पास जाने वाला है। यही कारण लगता है कि उन्होंने इसमें इतनी रुचि नहीं बताई। अच्छा होता कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी करके इस सदन में उत्तर प्रस्तुत करते। कई बातें तो सदन में उन्होंने ऐसी कही हैं कि उनसे ऐसा लगता है कि वह सब कहने के बजाय इस वाद–विवाद का नकारात्मक उत्तर मिल जाता तो हमें संतोष होता। पर ऐसे जवाब से ऐसे भाव हममें जागृत किये हैं, हम निस्संकोच कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार जान–बूझ कर ऐसी कार्यवाहियां कराती है जिनसे पॉवर हाउसेज़ का काम न चले।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बड़े ठाट से कहा था, मैंने कुछ बातें सदन में कही थीं कि कुछ सरकारी अधिकारियों के पास रेफ्रीज़रेटर पड़े हैं; टेबल फैन्स पड़े हैं, सीलिंग फैन्स पड़े हैं कईयों के पास हीटर्स पड़े हैं उसका उत्तर दिया गया कि यह एक प्रथा है, यह एक पुरानी प्रथा चलती आ रही है। मुझे यह सुन कर बड़ा अफसोस हुआ कि राजस्थान के राज्य में अभी तक प्रथा के आधार पर जनता के धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। मुझे खुशी होती यदि उनकी ओर से उत्तर यह मिलता कि सारे रेफ्रीजरेटर, फेन्स आदि जहां जहां पड़े हैं उनसे चार्ज वसूल किया जावेगा और जहां पर रेफ्रीजरेटर आदि अनधिकृत रूप से ले जाये गये हैं उनको दंडित किया जावेगा, तो थोडा संतोष होता।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा था कि किराये पर हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपका एडीशन है और (राजस्व मंत्री महोदय को संबोधित करते हुए) यह तो मैं आशा ही करता था।

श्री रामकिशोर व्यास : यह एडीशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार की प्रथा है। अब भी यह मान लिया जावे कि किराये की प्रथा है....

श्री रामकिशोर व्यास : पहले भी मैंने कहा था।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले नहीं कहा था। मगर अब यह मान कर चला चावे कि ऐसी प्रथा थी, पंखे आदि किराये पर दिये जावें। तो मान कर चलना चाहिये कि किस किस अधिकारी के पास पंखे और दूसरा सामान है और किराया उनसे वसूल हुआ या नहीं? यदि प्राइवेट पार्टी से किराया वसूल करने का प्रश्न आता तो वह दूसरी बात थी, यहां तो विभाग के संबधित अधिकारियों में बकाया की बात है। यदि उनसे भी बकाया वसूल नहीं की जा सकती तो दूसरों की बकाया की वसूली कैसे हो सकेगी?

एक प्रश्न आता है। मैं तो माननीय मंत्री से पूछना चाहता था कि किन किन अधिकारियों के पास इस प्रकार के सामान हैं, मगर वे मुझसे ही पूछते हैं कि नाम बताओ। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें बहुत से सरकारी अधिकारी आते हैं और उनके नाम जानना चाहते हैं तो पी. ए. सी. की रिपोर्ट को पढ़ लें। उसमें ऑडिट ओबजेक्शन्स को पढ़ लें, रिपोर्ट ले लें तो उनको पता चल जायगा। यह एक अधिकृत जानकारी है। मेरी तरफ से इसमें कोई बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे सदन में इस प्रकार का आश्वासन दें और इस बात की घोषणा करें कि किस किस अधिकारी के यहां सारा सामान पड़ा है और किस किस अधिकारी के यहां से वापिस मंगा लिया गया, किस तारीख को किस अधिकारी के यहां पर सामान गया और किस तारीख को रेफ्रीजेरेटर्स, फेन्स आदि वापिस मंगाये गये और क्या चार्ज किया गया? इसका मतलब यह है कि जो लोग कुसूर करते हैं उनको किस प्रकार से दण्ड मिलेगा, इस बात की जानकारी हमको होती।

एक सवाल आया, वह सत्संगी साहब का था। मैं समझता था कि बिजली विभाग का प्रश्न आयगा उस समय माननीय गृह मंत्री, जो एन्टीकरप्शन बोर्ड के चेयरमेन भी हैं इसका संतोषजनक उत्तर देंगे। मगर उसका कोई जिक्र नहीं। जिसके कारण बिजली विभाग में काफी नुकशान हुआ और जिसका मामला तीन साल से चल रहा है उसके लिये निश्चित रूप से सदन में कोई उत्तर नहीं। मुझे अफसोस है इस बात का, जब मैं उनको यह कहते हुए सुनता हूँ, वे कहते हैं कि इसकी जांच हो रही है। मैं कहता हूं कि अब जांच की आवश्यकता क्या है? आपके रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन ने इसकी जांच की है, श्री यादराम ने इसकी जांच की है। आपका अब किस अधिकारी से जांच का मतलब है? यदि आपसे इसकी इन्क्वायरी नहीं होती है तो यह मामला पुलिस विभाग के सुपुर्द करें। यदि आप ऐसा करते तो सत्संगी साहब के हाथों में कभी की हथकड़ियें होतीं और जेल के सींखचों में बन्द मिलते। मैं यह कहता हूँ कि आप कांग्रेस के नेताओं से दबते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि किसी कांग्रेस के नेता के सम्बन्ध का प्रश्न नहीं है। यदि संबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है तो आप कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि फाइल चीफ मिनिस्टर की मेज पर है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी आप कहते हैं कि मामला पी. एस. सी को भेज दिया गया है, मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सदन उस समय आपका विश्वास करेगा जब सदन को पता चलेगा कि गरीब जनता के तीन लाख रुपयों का गबन करनेवाला आज जेल के सींखचों में बन्द हो। आज हम देखते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

कि मंत्री महोदय सदन में इस ढंग से उत्तर देते हैं मानों सदन के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है ; सदन की एक प्रकार से मखोल होती। अध्यक्ष महोदय, ईश्वर साक्षी देता है मगर आज तो पॉवर हाउस ने साक्षी दी है। यदि इस प्रकार होता रहा तो बिजली नहीं रहेगी, पंखे नहीं रहेंगे और सबको पसीना आवेगा। यदि गरीबों ने अपनी थोड़ी भी हमदर्दी बताई तो पसीना लाकर छोड़ेंगे और आपको हजारों लोगों को सींखचों में डालना पड़ेगा।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को सचेत होना चाहिये। पब्लिक के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको जिस तरह से वे चाहें प्रयोग में लावें।

एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि किशनगढ़ के मामले में घाटा हुआ। इसके लिये मैं अभी तक कह सकता हूँ कि अभी तक उसका बेलेन्स शीट नहीं बना; जब बेलेन्स शीट ही नहीं बना तो किस प्रकार कह सकते हैं कि घाटा है? आप कैसे कह सकते हैं कि नफा है! घाटा या नफा तो बेलेन्स शीट को देखने से ही पता चलता है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कब कहा घाटा है?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि कागज देख लिये घाटा....

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने पहले कब कहा, घाटा है?

श्री भैरोंसिंह : मैंने पहले ही कहा कि घाटा है। मैं मानता हूं कि बेलेन्स शीट बनाई जानी चाहिये। बेलेन्स शीट को देख कर ही चार्ज लिया गया या नहीं? मगर मैं यह कहूँगा कि जब चार्ज लिया गया तब कोई बेलेन्स शीट नहीं थी। फिज़िकल वेरीफिकेशन के बारे में उन्होंने मान लिया। मगर मैं यह कहूँगा कि इस बात को स्वीकार करते हुए आज ५ वर्ष हो गये। आज लगातार हमको यही उत्तर मिलता है और मैंने पहले भी कहा था कि इसी तरह का उत्तर होगा। कहते हैं गिनती करवा ली, रजिस्टर में एन्ट्रीज़ करा लीं, मगर मैं यह कहूंगा कि उसका नतीजा क्या हुआ? जब तक ओरीजिनल वाउचरों और बिलों से उसका मुकाबला नहीं होगा तब तक इस बात का पता नहीं लगेगा कि कितना सामान आया और जो मौजूद है वह ठीक है या नहीं। मगर कहते हैं कि जाँच कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय को इस बात का आश्वासन हाउस में देना चाहिये कि अमुक समय में फिजिकल वेरीफिकेशन का काम समाप्त कर दिया जावेगा, मगर ऐसा नहीं किया जाता है और ऐसेम्बली की कार्यवाही से बच कर निकलने की कोशिश की जाती है, नोन कमिटल स्टेटमेन्ट दिये जाते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि इस प्रकार का एम्बेज़लमेंट कोई छोटा अधिकारी करता तो सरकार उसके मामले को कभी का पुलिस के सुपुर्द कर देती और वह फौरन जेल के सींखचों में बन्द होता, फौरन टेलीफोन होते और सब कार्यवाही हो जाती! मगर बड़े आदमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ सारी गल्ती सिद्ध होती है उसके खिलाफ माननीय मत्री कोई कार्यवाही नहीं करते। अतः इन थोड़े से शब्दों में मैं यह कहूंगा कि आज बिजली के विभाग में गरीब जनता के धन का सदुपयोग नहीं होता है। ऐसी सूरत में मैंने जो कटौती का प्रस्ताव

Page No.107

(श्री भैरोंसिंह)

रखा है वह वाजिब है और मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मेरे प्रस्ताव को मंजूर करके सरकार को बता दें कि गरीब जनता का रुपया लापरवाही से खर्च किया जा रहा है, जो उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती का प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने जो रखा है स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मुकिलाल मोदी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मौहरसिंह ने रखा है वह स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि : "अनुदान की मांग संख्या २६, शीर्षक ४१-विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरी करने हेतु, राज्यपाल महोदय को १,७२,१०,००० रुपये तक की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल-ध्वनि)

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजकर २१ मिनट पर ६ मई, १९५७ के ११ म. पू. पर स्थगित हुई)

संक्षिप्त विवरण

(बुधवार, १५ मई, १९५७)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

"भगवान बुद्ध" पुस्तक से जैन समाज में अत्यधिक क्षोभ २०४५

जनवरी ५४ से जयपुर में चेचक से ग्रस्त व्यक्ति

टोंक-उनियारा व अलीगढ़ स० माधोपुर सड़क का निर्माण कार्य

सीकर जिला बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायत

कालवा बंध (उनियारा) का निर्माण कार्य

कोटा से इटावा व मांगरोल जाने वाली सड़क का ठेका

बयाना व रूपवास तहसीलों में गम्भीर नदी की बाढ़ से क्षति

सप्लाई कार्यालय के एक्स केशियर श्री मूलचन्द्र के विरुद्ध गबन के मामलों की जांच

रानीगांव (तहसील बाड़मेर) मल्टी पर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी को शासकीय सहायता

ऋषभदेव में बिजली की शासकीय व्यवस्था

नेशनल बॉलबियरिंग फैक्ट्री (जयपुर) के निकट पशुओं का लगने वाला हटवाड़ा

सिकराय में डाक बंगले के भवन का निर्माण कार्य

धौलपुर नगरपालिका की चुंगी-दरों में संशोधन

चौकीदारी प्रथा की समाप्ति से आजीविका-विहीन व्यक्ति

रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अन्तर्गत गत वर्ष केन्द्रीय सरकार से प्राप्त धन-राशि

डांग (धौलपुर) क्षेत्र की सीमा का निर्धारण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगने वाले स्थान

गत वर्ष अध्यक्ष नगरपालिका सीकर द्वारा वृक्षों के ढांवले बनाने का ठेका

जयसमन्द, उदयसागर इत्यादि तालाबों से निकलने वाली नहरों पर बेटरमेंट टैक्स

दिसम्बर ५५ में नगरपालिका सीकर में नजूल समिति का निर्वाचन

प्रताप सागर बांध का निर्माण कार्य एवं उससे प्राप्त विद्युत शक्ति

मनोहरथाना (जि० झालावाड़) के रेंजर के विरुद्ध शिकायतें

बाड़मेर के जनाना अस्पताल के निर्माण में व्यय होने वाली धन-राशि

मांग संख्या ६–सामान्य प्रशासन २११०

इस मांग पर मुख्य मन्त्री द्वारा कल दिये गये उत्तर के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये :

श्री तनसिंह
श्री पी. के. चौधरी
श्री रामेश्वरदयाल
श्री तेजाराम
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री भीमसेन
श्री भैरोंसिंह (१४)
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री मोहरसिंह
श्री लच्छूराम
श्री सम्पतराज

कुछ सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लिये एवं शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या २६–विद्युत (संयुक्त) स्थापना और औजार तथा स्थिर संयंत्र २१४७

श्री रामकिशोर व्यास द्वारा प्रस्तावित इस मांग पर निम्नलिखित सदस्यों ने या तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये अथवा उन प्रस्तावों की आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं उपस्थित कीं :

श्री तनसिंह
श्री पी. के. चौधरी
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री भैरोंसिंह (१४)
श्री मोहरसिंह
श्री पुरुषोत्तमलाल
श्री मुरलीधर व्यास
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री हीरा
श्री श्रीराम
श्री नाथूलाल
श्री जनार्दनराय नागर
श्रीमती डा० चन्द्रकला
श्री रामेश्वरदयाल
श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
श्री प्रभुलाल

कुछ सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये एवं शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई।

गुरुवार, १६ मई, १९५७
मांगों पर मतदान

परिशिष्ट १,

(कृपया प्रश्न संख्या १४८ का उत्तर देखिये)

NATIONAL WATER SUPPLY & SANITATION SCHEME EXECUTED BY BOARD 1955-56.

District.	GOVT. Grant.	Public contribution.	Total estimated cost
1. Jaipnr	1,50,869/-	75,451/-	2,26,320/-
2. Tonk	60,000/-	30,900/-	90,900/-
3. Sawai-Madhopur	69,100/-	35,100/-	1,04,200/-
4. Alwar	1,00,000/-	50,000/-	1,50,000/-
5. Bharatpur	85,104/-	42,552/-	1,27,656/-
6. Sikar	1,25,000/-	62,500/-	1,87,500/-
7. Jhunjhunu	1,08,900/-	54,450/-	1,63,350/-
8. Jodhpur	1,25,000/-	62,500/-	1,87,500/-
9. Pali	51,900/-	25,950/-	77,850/-
10. Nagaur	2,11,500/-	1,05,750/-	3,17,250/-
11. Sirohi	72,200/-	36,100/-	1,08,300/-
12. Barmer	1,42,551/-	71,276/-	2,13,827/-
13. Jaisalmer	1,00,000/-	50,000/-	1,50,000/-
14. Jalore	1,00,000/-	50,000/-	1,50,000/-
15. Bikaner	1,75,000/-	87,500/-	2,62,500/-
16. Ganganagar	1,50,000/-	75,000/-	2,25,000/-
17. Kota	1,00,800/-	50,400/-	1,51,200/-
18. Bundi	50,000/-	25,000/-	75,000/-
19. Jhalawar	74,866/-	37,435/-	1,12,301/-
20. Udaipur	1,51,178/-	75,962/-	2,27,140/-
21. Dungarpur	63,000/-	31,500/-	94,500/-
22. Bhilwara	70,281/-	35,865/-	1,06,146/-
23. Banswara	60,000/-	30,000/-	90,000/-
24. Chittorgarh	1,02,751/-	58,759/-	1,61,510/-
GRANT TOTAL:	27,00,000/-	12,59,950/-	37,59,950/-

राजस्थान ग्राम जल सहायता बोर्ड जयपुर

जल कष्ट निवारणार्थ योजनाओं का विवरण सन् १९५५-५६

जिला	स्वीकृत अनुदान	नये कुए	मरम्मत कुए	कुंड नये	कुन्ड मरम्मत	बावडी तालाब, नाडीआदि	कुल स्वीकृत योजनाओं का योग
जयपुर	४०१७४१.०.०	१३४	३९७		३	२३	५५७
सवाई माधोपुर	२१६८३०.०.०	९४	२८			३	१२५
टोंक	१८९५८१.०.०	८९	१४८			७५	३१२
भरतपुर	२७६३१२.०.०	१७७	२०३			४६	४२६
अलवर	२८१००३.१२.०	४१	७२			६८	१८१
सीकर	५४८७३५.८.०	१९४	३६१	६	१	६	४६८
झुंझुनूं	५१६५००.०.०	१२८	२३२	६	१	४	३७१
जोधपुर	६३३०००.०.०	१३०	२११	१५	४	१०४	४६४
पाली	१९१७१०.०.०	५८	९३			५४	२०५
जैसलमेर	३२८०६६.०.०	१४	५८	४	८	२७	१११
बाड़मेर	४,०६३४.०.०	१०४	७७	२३	२	५१	२५७
जालौर	३६६०००.०.०	६४	२२	८३	६	३४	२०९
सिरोही	१९८३३२.८.०	६०	४४			१८	१२२
नागौर	८९८०७०.८.०	१६८	३१७	१२		२९	५२६
बीकानेर	८०४००० ०.०	४१	८९	४८	१६	७	२०१
चूरू	५१७९१४.०.०	४२	१३९	६६	१३	११	२७१
श्री गंगानगर	४१४५६८.०.०	२२	२९	२५	२	२९	१०७
कोटा	३९६८४६.१२.०	५१	८५			२५	१६१
बूंदी	१८८४५६.०.०	७२	४४		१	७४	१९१
झालावाड़	२१३६०७.८.०	१४३	१०७		१	२९	२८०
उदयपुर	४६८४४२.२.०	१३३	२१६		१		३५०
भीलवाड़ा	२३२५६६.०.०	४७	२७२				३१९
बांसवाड़ा	१४७६०९.०.०	९८	६५				१६३
डूंगरपुर	१२४४८६.०.०	५६	७४				१३०
चित्तौड़गढ़	२४४६२२.४.०	१७७	६७		१	३७	२८२
योग	९२०९६३४.०.०	२३३७	३४५०	२८८	६०	७५४	६८८९

परिशिष्ट २.

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५० का उत्तर देखिये)

(a) In the Second Five Year Plan the following places are proposed to be electrified (in the districtsmentioned against each).

GROUP.	S. N.	NAME OF PLACE.	NAME OF DISTRICT.
I.	1.	Jodhpur.	Jodhpur.
	2.	Bilara.	Jodhpur.
	3.	Sojat.	Pali.
	4.	Pipar Road.	Jodhpur.
	5.	Kaparda.	Jodhpur.
	6.	Bhilwara	Bhilwara.
	7.	Shahpura.	Bhilwara.
	8.	Bharatpur.	Bharatpur.
	9.	Deeg.	Bharatpur.
	10.	Mica Mines near Shahpura.	Bhilwara.
II.	1.	Kishangarh.	Jaipur.
	2.	Jhalawar.	Jhalawar.
	3.	Hindaun.	Hindaun.
	4.	Karauli.	Hindaun.
	5.	Newai.	Tonk.
	6.	Tonk.	Tonk.
	7.	Dungarpur.	Dungarpur.
	8.	Sagwara.	Dungarpur,
	9.	Dholpur.	Bharatpur.
	10.	Bari.	Bharatpur.
	11.	Gundaria.	-do-
	12.	Kesarbag.	-do-
	13.	Bhilgawan.	-do-
	14.	Nibhi.	-do-
	15.	Kund.	-do-
	16.	Salimabad.	-do-
	17.	Jaisalmer.	Jaisalmer.
	18.	Alwar.	Alwar.
	19.	Bharatpur.	Bharatpur.
	20.	Jaipur.	Jaipur.
	21.	Bikaner.	Bikaner.
	22.	Kotah.	Kotah.
	23.	Jamsar.	Bikaner.
	24.	Dausa.	Jaipur

	25.	Balsot.	Jaipur.
	26.	Didwana.	Jaipur.
	27.	Bamanwas.	Sawai Madhopur.
	28.	Gangapur.	-do-
	29.	Phulera.	Jaipur.
	30.	Kuchaman City.	Nagore.
	31.	Kuchaman Road.	-do-
	32.	Sambhar.	Jaipur.
	33.	Makrana.	Nagore.

BHAKRA NANGAL BY 1958.

III.	1.	Sri Ganganagar.	Sri Ganganagar.
	2.	Hanumangarh New Township.	-do-
	3.	Hanumangarh Fort.	-do-
	4.	Chautala Road.	-do-
	5.	Pilibanga.	-dc-
	6.	Suratgarh.	-do-
	7.	Sadulshahr.	-do-
	8.	Sarpusar.	-do-
	9.	Jetsar.	-do-
	10.	Bijeynagar.	-do-
	11.	Raisinghnagar.	-do-
	12.	Gajsinghpur.	-do-
	13,	Karanpur.	-do-
	14.	Kesrisinghpur.	-do-
	15.	Prithvirajpur.	-do-
	16.	Rajgarh.	Churu.
	17.	Nohar.	Sri Ganganagar.
	18.	Bhadra.	-do-
	19.	Pilani.	Jhunjhunu.
	20.	Jhunjhunu.	-do-
	21.	Chirawa.	-do-
	22.	Surajgarh.	-do-
	23.	Khetri.	-do-
	24.	Ratangarh.	Churu.
	25.	Sardarshahar.	-do-
	26.	Churu.	-do-
	27.	Ratangarh,	-do-
	28.	Ramgarh.	Sikar.
	29.	Bisau.	Jhunjhunu.
	30.	Fatehpur.	Sikar

	31.	Lachmangarh.	-do-
	32.	Sikar.	-do-
	33.	Nawalgarh.	Jhunjhunu.
	34.	Rajaldear.	Churu.
	35.	Momasar.	-do-
	36.	Parsneu.	
	37.	Talchhapar.	Churu.
	38,	Sujangarh.	-do-
	39.	Bidsar.	-do-
	40.	Sandwa.	-do-
	41.	Janswantgarh.	Nagore.
	42.	Ladnun.	-do-
	43.	Bikaner.	Bikaner.
	44.	Nal.	-do-
	45.	Kodamdesar.	-do-
	46.	Gajner.	-do-
	47.	Kolayat.	-do-
	48.	Gangashahar.	-do-
	49.	Bhisar.	-do-
	50.	Udramsar.	-do-
	51.	Palana.	-do-
	52.	Deshnoke.	-do-
	53.	Surpura.	-do-
	54.	Himatsar.	-do-
	55.	Nokha.	-do-
	56.	Devikundagar.	-do-
	57.	Napasar.	-do-
	58.	Dulchsar.	Churu.
	59.	Sudsar.	-do-
	60.	Dungargarh.	-do-
	61.	Jamwar.	Bikaner.
		CHAMBAL BY 1960-61	
IV.	1.	Kotah.	Kotah.
	2.	Bundi.	Bundi.
	3.	Lakheri.	Bundi.
	4.	Sawai Madhopur.	Sawaimadhopur.
	5.	Newai.	Tonk.
	6.	Banasthali.	-do-
	7.	Tonk.	-do-
	8.	Gangapur.	Sawai Modhopur.

	9.	Hindaun.	Hindaun.
	10.	Karauli.	-do
	11.	Jaipur.	Jaipur.
	12.	Phulera.	Jaipur.
	13.	Sambhar.	Jaipur.
	14.	Nawa.	Nagore.
	15.	Makrana.	Nagore.
	16.	Dausa.	Jaipur.
	17.	Kuchaman.	Nagore.
	18.	Bhilwara.	Bhilwara.
	19.	Kishangarh.	Jaipur.
V.	1.	Bilara.	Jodhpur.
	2.	Sojat.	Pali.
	3.	Nagore.	Nagore.
	4.	Jaipur.	Jaipur.
	5.	Chittorgarh.	Cuittorgarh.
	6.	Jalore.	Jalore
	7.	Alwar.	Alwar.
	8.	Jaipur.	Jaipur.
	9.	Reengus.	Sikar.
	10.	Siwana.	Alwar.
	11.	Jilots.	-do-
	12.	Nimbahera.	-do-
	13.	Patan Newan.	-do-
	14.	Shyamaka.	-do-
	15.	Ismailpur.	-do-
	16.	Khairtal.	-do-
	17.	Dantla.	-do-
	18.	Nangla Doongar.	-do-
	19.	Nangal Manjia.	-do-
	20.	Lissana.	-do-
	21.	Noornagar.	-do-
	22.	Baskirpalnagar.	-do-
	23.	Kishangarh.	-do-
	24.	Gunj.	-do-
	25.	Tehnoli.	-do-
	26.	Jhirandia.	-do-
	27.	Sirmoli.	-do-
	28.	Milakpur.	-do-
	29.	Karoli.	-do-
	30.	Baldeopas.	-do-

3	1.Cikhani.		-do-
32.	Bhadurpur	Taraf Phari	-do-
33.	„	„ Joria.	-do-
34.	„	„ Katra.	-do-
35.	„	„ Kanungoan.	-do-
36.	„	„ Meran.	-do-
37.	Kithor.		-do-
38.	Rata Khurd.		-do-
39.	Rata Kalan.		-do
40.	Basi Jagta.		-do-
41.	Basai Balan.		-do-
42.	Nasirabad'		-do-
43.	Sumairpur.		Pali.
44.	Deedwana.		Sirohi
45.	Daulatpura.		-do-
46.	Toda Bhim.		Hindaun.
47.	Rajsamand.		Udaipur.
48.	Kankroli.		-do-
49.	Hundarsa.		-do-
50.	Dectri.		-do-
51.	Baran.		Kotah.
52.	Sawai Madhopur.		Sawai Madhopur.
53.	Taranagar.		Churu.
54.	Jhunjhnu,		Jhunjhunu.

(b) The towns mentioned in Group III and IV will be supplied Hydro Electric power from the multi-purpose river Valley Development Scheme.

परिशिष्ट ३

सदन की मेज पर रखे गये स्थगित तारांकितप्रश्नोत्तर

३५. (६१ एच. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सीकर जिले के किस-किस थाने में कितने-कितने हथियार किस-किस तारीख से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पड़े हैं ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इन हथियारों के लाइसेंस प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(क) सीकर जिले के विभिन्न थानों के मालखानों में कुल ७६५ हथियार निम्न प्रकार से मौजूद हैं। इसकी थानेवार सूची संलग्न है

थाना	सीकर	१६	थाना	सदर सीकर	८
,,	रघुनाथगढ़	५	,,	नेछवा	४८
,,	सिंगरावट	१७५	,,	दांता रामगढ़	८२
,,	खाटू	४१	,,	नीम का थाना	१४
,,	खंडेला	११	,,	श्री माधोपुर	६२
,,	थाना थोई	५०	,,	पाटन	२८
,,	फतेहपुर	३७	,,	रामगढ़	५६
,,	लछमनगढ़	१२६			

(ख) जो हथियार थाने में रखे हैं उनमें सिर्फ १७ बी. एल. गन्स हैं बाकी एम. एल. गन्स हैं। एम. एल. गन्स के लाइसेंस की मयाद ३०-६-५७ तक बढ़ा दी गई है।

जिलाधीश, सीकर ने थानेदारों को आदेश दे दिये हैं कि वे एम. एल. गन्स को उनके मालिकों कोवापिस दे दें ताकि वे ३०-६-५७ तक उनके लाइसेंस करवा लें। १७ बी. एल. गन्स में से २ जप्त कर ली गई हैं और १५ की आवश्यक कार्यवाही जिलाधीश, सीकर कर रहे हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

५६. (६१ एल. एल. एम.) श्री भैरोंसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १४—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५६-५७ में किस किस तारीख को किस किस नगरपालिका के चुनाव सम्पन्न हुए ? तत्सम्बन्धी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) चुनी हुई इन नगरपालिकाओं के सदस्यों को किस किस तारीख को नगर पालिका का कार्यभार सौंपा गया ?

(ग) चुनाव की तारीख से दो माह की अवधि समाप्त होने के बाद तक जिन नव निर्वाचित नगरपालिकाओं को कार्यभार नहीं सौंपा गया उनके प्रत्येक के क्या क्या कारण हैं विवरण सहित बतायें जावें ?

उत्तर

(क) एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ख) उक्त तालिका में यह सूचना दर्ज है ।

(ग) उक्त तालिका में यह भी सूचना दर्ज है । निर्वाचित सदस्यों के नाम समय पर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित न हो सकने के कारण नव निर्वाचित नगरपालिका, चुनाव की तारीख से २ माह की अवधि समाप्त होने के बाद तक, कार्यभार नहीं सम्हाल सकी ।

नाम नगरपालिका	चुनाव होने की तिथि	नये बोर्ड के चार्ज लेने की तिथि	चुनाव होने के दो माह तक नये बोर्ड ने कार्य-भार संभाला या नहीं ।	दो माह में कार्य भार न सम्भालने का कारण
जयपुर	१५।७।५६	८।८।५६	कार्यभार दो माह में ही सम्भाल लिया ।	
चोमूं	२६।७।५६	१५।१।५७	नहीं	निर्वाचित सदस्यों के नाम समय पर प्रकाशित न होने से
नरायना	१६।८।५६	३०।११।५६	,,	,,
फुलेरा	७।५।५६	६।६।५६	,,	,,
लक्ष्मणगढ़	१६।७।५६	२।४।५७	,,	दो वार्डों के चुनाव समय पर नहीं हो सके अतः उनके उप चुनाव करवाने में विलम्ब हुआ ।
फतहपुर	३।५।५६	२२।८।५६	,,	निर्वाचित सदस्यों के नाम समय पर प्रकाशित न होने से ।
			,,	
झुंझुनू	२८।७।५६	नये बोर्ड ने कार्य अभी तक नहीं सम्भाला	,,	,,
बिसाऊ	१५।५।५६	१२।६।५६	,,	,,
उदयपुरवाटी	१३।६।५६	२३।८।५६	,,	,,
गंगापुर	२६।६।५६	७।१२।५६	,,	,,
धोलपुर	सरकार ने बोर्ड को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिया है ।			,,
बीकानेर	२३,२५,२७।८।५६	१।५।५७	नहीं	,,
गंगाशहर	२४।४।५६	११।८।५६	,,	,,
चूरू	६।४।५६	३०।८।५६	,,	,,
रतनगढ़	२।७।५६	८।१२।५६	,,	,,
छापर	२०।५।५६	८।१०।५६	,,	,,

गंगानगर	१७।४।५६	१६।६।५६	कार्यभार दो माह में ही सम्भाल लिया।	,, ,,
सूरतगढ़	१४।८।५६	१५।१२।५६	नहीं	,,
हिन्दमल कोट	२।१०।५६	बोर्ड ने चार्ज नहीं लिया	,,	९ वार्डों का चुनाव १२।८।५६
सोजत	१२।८.५६	२२।४।५७	,,	व १ वार्डका चुनाव १७।१२।५६ को सम्पन्नहोने के कारण।
भीनमाल	१४।७।५६	७।१।५७	नहीं	निर्वाचित सदस्यों के नाम समय पर प्रकाशित न होने से।
बाडमेर	१५।६।५६	११।१२।५६	,,	,
सिरोही	८।७ ५६	१।१२।५६	,,	,,
छोटी सादड़ी	१।५।५६	२४।१०।५६	,,	,,
कुशलगढ़	१२।६।५६	२।१।५७	,,	,,
पिंडवाड़ा	३०।१२।५६	नये बोर्ड ने कार्य भार नहीं सम्भाला।	,,	,,
अजमेर	३०।१।५७	१२।२।५७	कार्यभार दो माह में ही सम्भाल लिया गया।	,,
तारानगर	१।१०।५६	११।५।५७	नहीं	निर्वाचित सदस्यों के नाम प्रकशित न होने से।
बाली	६।४।५६	२५।३।५७	,,	,,
राजसमन्द	३१।३।५६	६।८।५६	,,	,,
शाहपुरा	७।४।५६	१४।८।५६	,,	,,
छबडा	२२।८।५५	१६।७।५६	,,	,,
चिड़ावा	३१।५।५६	२२।७।५६	कार्यभार दो माह में ही सम्भाल लिया।	,,

---

६८. (२१।ए. टी. एम.) श्री सुगनचन्द जैन, एम. एल. ए. डिविजन नम्बर १९४ क्या मंत्री सहकारी विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चित्तौड़ जिले में कहां कहां पर सन् १९५४ से आज तक कितनी सहकारी तहसील वाइज़ समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) कौन कौन सी समितियों को किस किस काम के लिये कितना कितना लोन मिला ?

(ग) कौन कौन सी तहसीलें ऐसी हैं जिनमें समितियां नहीं खोली गई ?

(घ) इस जिले में कहां कहां पर कौन कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं और किस किस कार्यकर्त्ता ने ज़्यादा समितियां खोलीं ?

(ङ) क्या कोई ऐसी समिति भी है जिसने सरकार द्वारा रकम न दिए जाने के कारण काम

नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार की तरफ से शीघ्र ही रकम दिलाये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) बड़ी सादड़ी, भैंसरोडगढ़, भदेसर और कनेरा तहसीलों में कोई समिति नहीं खोली गई।

(घ) अमला जो चित्तौड़ जिले में कार्य कर रहा है तथा उनके द्वारा जो समितियां खोली गई हैं उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

संख्या	नाम	पद	हैडक्वार्टर	खोली गई समितियां की संख्या
१.	श्री सुशीलकुमार गुप्ता	निरीक्षक	चित्तौड़ गढ़	६
२.	श्री हरिप्रसाद मित्तल	,,	कपासन	४
३.	श्री मोतीलाल मेहता	सहायक निरीक्षक	प्रतापगढ़	१
४.	श्री दुर्गाशंकर	,,	बेगूं	—

(ङ) इस प्रश्न का यह भाग सरकार को दूसरी प्रकार से भेजा गया था जिसको उत्तर तैयार है – आज के प्रश्नों की सूची में यह भाग अन्य प्रकार प्रकाशित किया गया है। इसका उत्तर एकत्रित करने के लिए समय चाहिये।

सरकार को प्रश्न जिस प्रकार भेजा गया था उसका उत्तर निम्नलिखित है :

जो समितियां कार्य नहीं कर रही हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।-बेगूं रेगर बहुधन्धी सहकारी समिति के खजान्ची श्री भुवाना ने ११-६-५६ को सहकारी केन्द्रीय बैंक भीलवाड़ा से २४००) रु० सदस्यों में वितरित करने के लिये लिए थे, उनमें कुल १२६०) रु० वितरित किये गये। शेष रकम की वसूली के लिए पंजीयक, सहकारी विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय से धारा ४६ के अन्तर्गत जांच करने की आज्ञा हो चुकी है और कार्यवाही जारी है।

(सूची अगले पृष्ठ पर है।)

परिशिष्ट (क)

चित्तौड़ जिले में सन् ५४ से आज तक तहसीलवार निम्नलिखित समितियां बनाई गई हैं :

क्रम सं०	नाम समितियां	गांव का नाम	तहसील	तारीख रजिस्ट्री
१	यादव बहुधंधी सहकारी समिति	छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	३०-४-५४
२	चर्म उद्योग उत्पादक सहकारी समिति	"	"	२२-६-५५
३	चर्म ऊन उत्पादक सहकारी समिति	"	"	३०-६-५५
४	ग्राम उद्योग सहकारी समिति लि०	"	"	३०-६-५५
५	कृषि यादव सहकारी समिति लि०	"	"	१६-७-५६
६	सूखी बहुधंधी सहकारी समिति लि०	सूखी	"	७-८-५६
७	किसान बहुधंधी सहकारी समिति लि०	मन्डिपिया	डूंगला	८-२-५५
८	कृषि सुधार बहुधंधी सहकारी समिति	चिकारड़ा	"	२८-४-५६
९	दलितवर्ग उत्पादक सहकारी समिति	निंबाहेड़ा	निंबाहेड़ा	९-५-५५
१०	जीनगर बहुधंधी सहकारी समिति	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	१३-६-५५
११	रेगर बहुधंधी सहकारी समिति	रोड़ा हेड़ा	"	२२-६-५५
१२	बचत व साख सह० समिति	कन्थारिया मीणों का	"	२२-६-५५
१३	" "	बोरियाना	"	२२-६-५५
१४	" "	डगला का खेड़ा	"	२०-७-५५
१५	बहुधंधी सहकारी समिति	चौथपुरा	"	२०-७-५७
१६	गृहनिर्माण सहकारी समिति लि०	चित्तौड़	"	२५-७-५५
१७	कपड़ा छपाई सहकारी समिति लि०	"	"	२६-१२-५५
१८	नीलगर उत्पादक सहकारी समिति लि०	"	"	१८-१-५६
१९	लोहा उत्पादक सहकारी समिति लि०	"	"	१६-७-५६
२०	गाड़िया लोहार बहुधंधी सहकारी समिति	"	"	८-८-५६
२१	सिरादी बहुधंधी सहकारी समिति	"	"	१-३-५७
२२	मोटानी का पान्डोली सहकारी समिति	मान्डोली	"	१-३-५७
२३	बौरदा बहुधंधी सहकारी समिति	बौरादा	"	६-३-५७
२४	बचत व साख सहकारी समिति	रोड़ा हेड़ा	"	१२-७-५५
२५	बुनकर सहकारी समिति	बेंगू	बेंगू	१८-१-५६
२६	चर्म उत्पादक सहकारी समिति	"	"	१८-१-५६
२७	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	पारसौली	"	१८-१-५७
२८	" "	दौलतपुरा	"	२३-२-५६
२९	लोक प्रिय बुनकर सहकारी समिति लि०	बेगूं	"	२३-२-५६
३०	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	भीचौर	"	२१-३-५७
३१	रैगर बहुधंधी सहकारी समिति	बेगूं	"	३०-४-५६
३२	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	नन्दबाई	"	२८-१२-५६

३३	लेबर कान्ट्रेक्ट सहकारी समिति लि०	रावरदा	,,	२८-१२-५६
३४	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	मन्डावरी	,,	२८-१२-५६
३५	प्रकाश बहुधंधी सहकारी समिति लि०	बेगूं	,,	२८-१२-५६
३६	बहुधंधी सहकारी समिति लि०	कल्याणपुरा	,,	२८-१२-५६
३७	आमलदा बहुउद्देशीय सहकारी समिति लि०	आमलदा	,,	१-३-५७
३८	बहुधंधी सहकारी समिति	नागदड़ा	अत्तलारा	२८-५-५५
३९	जाजली बहुधंधी सहकारी समिति	जाजली	,,	२८-५-५५
४०	गांधी बहुधंधी सहकारी समिति	अमलारद	प्रतापगढ़	२८-५-५५
४१	कुलमीपुरा व ,,	कुलमीपुरा	,,	२८-५-५५
४२	अम्बामाता व	अम्बामाता	,,	२८-५-५५
४३	धनगरकामरिया प्रतापगढ़ सहकारी समिति	प्रतापगढ़	,,	२८-५-५५
४४	प्रतापगढ़ मोचियान उद्योग सह० स०	,,	,,	१२-७-५५
४५	बमौतर बहुधंधी सहकारी समिति	बमौतर	,,	२३-७-५५
४६	सिद्धपुरा ,, ,,	सिद्धपुरा	,,	२३-७-५५
४७	खेतौड़ी ,, ,,	प्रतापगढ़	,,	१२-११-५५
४८	खैरोट ,, ,,	नाई का पठार	,,	१-१२-५५
४९	जहाजपुर ,, ,,	जहाजपुर	,,	१-१२-५५
५०	श्रीगोपाल ,, ,,	धोत्तर	,,	१२-२-५६
५१	आंवलेश्वर ,, ,,	आंवलेश्वर	,,	२१-३-५६
५२	गन्धेर ,, ,,	गन्धेर	,,	२१-३-५६
५३	श्रीधामलिया ,, ,,	धामलिया	,,	५-५-५५
५४	विलेश्री ,, ,,	विलेश्री	,,	६-५-५६
५५	लालपुरा ,, ,,	लालपुरा	,,	७-८-५६
५६	हाड़ीजी की पिपलिया ,,	हाड़ीजी की पीपलिया	,,	८-८-५६
५७	पानमोड़ी ,, ,,	पानमोड़ी	,,	८-८-५६
५८	बसाड़ ,, ,,	बसाड़	,,	१४-९-५६
५९	बहुद्देशीय सहकारी समिति प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	,,	२४-१०-५६
६०	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	कपासन	कपासन	५-[illegible]-५५
६१	बहुधंधी सहकारी समिति	भुगांना	,,	२१-२-५७
६२	रोलिया बहुधंधी सहकारी समिति	रोलिया	,,	२६-२-५७
६३	चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०	बनलाकला	,,	५-४-५७
६४	कांचियाखेड़ी बहुधंधी सहकारी समिति	कांचियाखेड़ी	,,	५-४-५७
६५	बृहत बहुधंधी सह० समिति लि० गंगरार	गंगरार	राशमी	१८-१-५६
६६	जवानपुरा बहुउद्देशीय सह० समि०	जवानपुरा	,,	२५-२-५६
६७	राशमी बहुधंधी सह० समिति	राशमी	,,	२५-२-५६
६८	गुरजनिया बचत व साख सह० समिति	गुरजनिया	,,	३-३-५६

६९	रेगर उत्पादक सह० समिति लि०	सामता	गंगरार	२२-६-५५
७०	सोनियाना बहुधंधी सहकारी समिति	सौनियाना	,,	२९-७-५५
७१	बहुधंधी किसान सह० समिति	साड़ास	,,	११-९-५६
७२	बहुधंधी सहकारी समिति	इन्दौर	,,	२१-२-५७
७३	बस्सी उत्पादक सह० समिति	बस्सी	,,	१०-३-५७
७४	सौकड़िया बहुधंधी सह० समिति	सौकड़िया	,,	२५-३-५७

परिशिष्ट 'ख'

सूची सहकारी समितियां जिन्हें चित्तौड़ जिले में सन् १९५४ में कर्जा दिया गया।

क्र. सं.	नाम समितियां		कर्जा जो दिया गया रुपयों में।	प्रयोजन कर्जा देने का
१.	बचत व साख सहकारी समिति	बोवीयाना	२०२५)	खाद, बीज व सिंचाई हेतु
२.	,, ,, ,,	डागला का खेड़ा	२०००)	,, ,, ,,
२.	,, ,, ,,	गुरजनिया	२५००)	,, ,, ,,
४.	,, ,, ,,	कन्धारिया	१४७५)	,, ,, ,,
५.	बहुधन्धी सहकारी स०	अमलावद	१८००)	,, ,, ,,
६.	,, ,, ,,	खेरोट	५५०)	,, ,, ,,
७.	,, ,, ,,	चौथपुरा	२००००)	,, ,, ,,
८.	,, ,, ,,		६१००)	,, ,, ,,
९.	,, ,, ,,	पारसौली	१०००)	,, ,, ,,
१०.	,, ,, ,,	अवलेश्वर	२२००)	,, ,, ,,
११.	,, ,, ,,	घमोतार	१०५०)	,, ,, ,,
१२.	,, ,, ,,	जाजपुर	१०५०)	,, ,, ,,
१३.	,, ,, ,,	खारतौड़ी	७५०)	,, ,, ,,
१४.	,, ,, ,,	बूद	२८५०)	,, ,, ,,
१५.	,, ,, ,,	जवानपुरा	१९००)	,, ,, ,,
१६.	,, ,, ,,	राशमी	२५००)	,, ,, ,,
१७.	,, ,, ,,	गन्भेर	९००)	,, ,, ,,
१८,	,, ,, ,,	सिद्धपुरा	४९००)	,, ,, ,,
१९.	,, ,, ,,	चिकाड़ा	२९००)	,, ,, ,,
२०.	,, ,, ,,	बेगूं	२४००)	,, ,, ,,
२१.	,, ,, ,,	जाजली	१४००)	,, ,, ,,
२२.	,, ,, ,,	बमोतर	१५००)	,, ,, ,,
२३.	चर्म उत्पादक सहकारी स०	कपासन	६००)	कच्चा माल तथा चमड़ा रंगाई
२४.	,, ,, ,,	छोटी सादड़ी	२६३०)	
			६८८५०)	

कर्जा वितरण किया

क्र० सं०	नाम समितियां	कर्जा जो दिया गया	प्रयोजन कर्जा देने का
१.	कृषि ऋणदात्री सह० समिति खादुंडा	३२५०)	खाद, बीज, एवं सिंचाई हेतु
२.	बचत एवं साख सह० समिति कंथारिया	८८५०)	,, ,, ,,
३.	बहुधंधी सहकारी समिति छोटी सादड़ी	३५००)	,, ,, ,,
४.	,, ,, चौथपुरा	२७०००)	,, ,, ,,
५.	,, ,, मंडकिया	१३३००)	,, ,, ,,
६.	बचत एवं साख सह० समिति बोधियाना	२४००)	,, ,, ,,
७.	बहुधंधी सह० समिति प्रतापगढ़	५०५०)	,, ,, ,,
८.	बचत एवं साख समिति डगला का खेड़ा	३७५०)	,, ,, ,,
९.	प्रकाश बहुउद्देशीय सह० समिति बेगूं	४५००)	,, ,, ,,
१०.	बहुधंधी सह० समिति मंडावरी	३५००)	,, ,, ,,
११.	,, ,, ,, साड़ास	११५०)	,, ,, ,,

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण बुधवार दिनांक १५ मई, १९५७)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२०४६	२०	'आपने जी हां' कहा।	आपने 'जी हां' कहा।
,,	२६	श्री बद्रप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
२०५१	प्रथम पंक्ति के नीचे	—	(श्री श्रीमानसिंह)
२०५२	१६	किसी अधिकारियों से	किन्हीं अधिकारियों से
२११०	२८-२६	(पूर्व क्रम से) मांग संख्या ६-सामान्य प्रशासन	मांग संख्या ६-सामान्य प्रशासन (पूर्वक्रम से)
२१६१	३४	श्री लच्छूराम (मण्डवा)	श्री लच्छूराम (मण्डावा)
२१६८	८	(श्री नागर दारा सदन में	श्री नागर द्वारा सदन में
२२१७	२८	जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डींग)	जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डींग)